


दिनांक..... को विधान सभा
को प्रस्तुत की गई
Presented to the Legislature
on... ५-३-१०

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष

राज्य के वित्त
संख्या 1

हरियाणा सरकार



विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार	1.1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियां	1.3	11
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	16
व्यय की गुणवत्ता	1.5	22
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.6	28
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	32
ऋण पोषण	1.8	35
राजकोषीय असंतुलन	1.9	37
निष्कर्ष	1.10	40
अनुशंसाएं	1.11	41
अध्याय – 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	43
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	43
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	44
बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां	2.4	53
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.5	54
निष्कर्ष	2.6	56
अनुशंसाएं	2.7	57

		संदर्भ
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय – 3		
वित्तीय प्रतिवेदन करना		
उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रेषित करने में विलम्ब	3.1	59
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण /प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	60
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	61
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	61
दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	62
निष्कर्ष	3.6	63
अनुशंसाएँ	3.7	64

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	राज्य पार्श्वक	1.1, 1.3.1, 1.4.1 एवं 1.4.2	65
1.2 भाग क	सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं प्रारूप	1.1	66
1.2 भाग ख	वित्त लेखाओं का प्रदर्शन	1.1	67
1.3 भाग क	वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	1.1	69
1.3 भाग ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	1.1	70
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े	1.3	76
1.5 भाग क	वर्ष 2009 – 10 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1 एवं 1.7.1	79
1.5 भाग ख	31 मार्च 2010 को हरियाणा सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 एवं 1.7.1	81
1.6	अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय तथा 2009 – 10 के दौरान उनके विरुद्ध वास्तविकों को दर्शाने वाला ब्लौरा	1.1.2.1	82

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.7	अनुमोदित योजना में शामिल परन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ली गई और जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ, योजनाओं का विवरण	1.1.2.3	83
1.8	योजनाओं का विवरण जहां संशोधित अनुमानों में किए गए प्रावधानों को कम कर दिया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	1.1.2.3	85
1.9	संशोधित अनुमानों में सम्मिलित स्कीमों का व्यौरा	1.1.2.3	86
1.10	स्कीमों का व्यौरा जहां बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परन्तु वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से कम था	1.1.2.3	87
1.11	स्कीमों का विवरण जहां व्यय, बजट प्राक्कलनों में प्रावधान के बिना किया गया था	1.1.2.3	88
1.12	मुख्य घटकों के सम्बन्ध में कर तथा कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला व्यौरा	1.3.1	89
1.13	अंतिम वर्ष, जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2010 को)	1.6.3	90
1.14	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिकी/अर्ध वाणिज्यिकी उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.6.4	91
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी	2.3.1	92
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.3.3	93
2.3	बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले विवरण	2.3.5	94
2.4	प्रकरण जहां पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.8	95
2.5	विभिन्न अनुदानों /विनियोजनों की तालिका जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुए।	2.3.8	96

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
2.6	अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन	2.3.9	97
2.7	वास्तविक बचतों को आधिक्य में अभ्यर्पण (₹ 50 लाख अथवा अधिक)	2.3.10	107
2.8	अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का विवरण	2.3.11	108
2.9	30 एवं 31 मार्च 2010 को ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण के मामले कुल	2.3.11	109
2.10	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाला विवरण	2.3.12	110
2.11	दोषपूर्ण बजट दर्शाने वाले प्रकरणों के विवरण	2.4	111
2.12	वर्ष 2009-10 के लिए वित्त विभाग को बजट अनुमान प्रस्तुत किए जाने में देरी का विवरण	2.5.3	114
3.1	31 मार्च 2010 को देय प्राप्त एवं लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण	3.1	115
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	3.2	117
3.3	सी.ए.जी. को लेखे प्रस्तुत करने के और स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी	3.3	123
3.4	लेखाओं के अन्तिमकरण और विभागीय नियंत्रित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपकरणों में सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	125
3.5	दुर्विनियोजन, गबन आदि के प्रकरण, जिनमें जून 2010 की समाप्ति तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी, का विभागवार/अवधिवार विघटन	3.5	126
3.6	चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामान की हानि के कारण सरकार को हानि से सम्बन्धित प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	3.5	127
संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष		129-130	

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाशा सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के क्रमशः अध्याय । एवं ॥ में अंतर्विष्ट हैं।
3. “वित्तीय प्रतिवेदन करने” पर अध्याय ॥ 2009-10 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति मुहैया करता है।

ऋग्गीषोऽग्निः

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जुलाई 2005 में हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम अधिनियमित किया। इसने अपनी अर्थनीति में वृद्धि स्थिरता प्राप्त करने के दीर्घावधि उद्देश्य से मध्यावधि में राजकोषीय सुधार मार्ग के माध्यम से एक सुधार कार्यसूची निर्धारित की। सरकार की इन सुधारों को बढ़ावा देने की वचनबद्धता बाद के बजटों में उद्घोषित नीति प्रारंभों से झलकती है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की विधि के लाभ कुछ सीमा तक राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके तथा देयताओं को न्यूनतम करके प्राप्त किए गए हैं। तथापि, संस्थागत एवं क्षेत्रीय सुधारकों द्वारा लोक - व्यय की गुणवत्ता सुधारने और राजकोषीय स्थिरता बढ़ाने हेतु अत्यंत आवश्यक 'राजकोषीय स्थान' तैयार करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता और उत्तरदायिता के लिए सही संस्थागत यंत्रावली बनाई है।

प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार के मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करता है। इस प्रतिवेदन के तीन अध्याय हैं।

अध्याय 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और राज्य सरकार की 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह, किए गए खर्च और उधार लेने की पद्धति पर पूर्ण जानकारी के अतिरिक्त राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ऑफ बजट रूट के माध्यम से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह अनुदानवार विनियोजन और पद्धति जिससे आवृत्ति संसाधनों का प्रबन्ध सेवा वितरक विभागों द्वारा किया गया था, विवरण देता है।

अध्याय 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न प्रतिवेदक अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से सम्बन्धित सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से प्राप्त आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

वित्तीय सुधार: 2008 - 09 के दौरान सरप्लस के घाटे में बदलने से राजस्व सरप्लस प्राप्त करने में सरकार की पूर्ववर्ती प्राप्तियों को जारी नहीं रखा जा सका। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण राजस्व घाटा इसकी

राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित करते हुए 2009-10 के दौरान फिर बढ़ गया। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से भी प्रतिबद्ध खर्च पर दबाव पड़ा। राज्य अभी भी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है यदि बेहतर कर अनुपालन, कर एकत्रीकरण की कीमत में कमी, राजस्व एरियर को वापस प्राप्त करने पर संकेन्द्रण के माध्यम से और अनुत्पादक खर्च को कम करके सामूहिक प्रयास किए जाएं।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान ($\text{₹ } 2,737$ करोड़), जो 2008-09 पर वर्ष के दौरान 17 प्रतिशत तक बढ़ गये, 2009-10 हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किये गये अनुसार राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत के मध्यम - अवधि लक्ष्य के भीतर थे। $\text{₹ } 2737$ करोड़ के ब्याज भुगतान भी राजकोषीय सुधार पथ ($\text{₹ } 2,840$ करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी ($\text{₹ } 2,947$ करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों के भीतर थे।

योजनेत्तर व्यय: राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत था जिसमें 62 प्रतिशत योजनेत्तर घटक था। योजनेत्तर राजस्व व्यय बारहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण ($\text{₹ } 11,374$ करोड़) तथा राजकोषीय सुधार पथ में किये गये प्रक्षेपण ($\text{₹ } 15,930$ करोड़) से उच्चतर था।

अपूर्ण परियोजनाएं: अप्रैल 2008 और मार्च 2010 के बीच पूर्ण होने वाली पंद्रह (सिंचाई तथा भवन एवं सड़क) परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों के लिए धन का मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.09 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इस पर औसत निर्गमन की रेंज 7.43 से 9.20 प्रतिशत थी। यह एक असहा आनुपातिकता है। इसलिए राज्य सरकार को, बेहतर मूल्य प्राप्ति निवेशों की ओर जाना चाहिए अन्यथा परियोजनाओं के लिए उच्च मूल्य के ऋणों की निधियां कम आर्थिक लाभों से अर्थव्यवस्था पर भार डालना जारी रखेंगी। वे परियोजनाएं जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। समय आ गया है कि राज्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनमें बड़े नुकसान हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा की जाए और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए (उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं) या अपनी साम्या का अपनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।

कर्ज निर्वहन योग्यता: एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2009-10 के दौरान गारंटियों तथा सांत्वना-पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं $\text{₹ } 49,829$ करोड़ थीं जो जी.एस.डी.पी.का 24 प्रतिशत थीं जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 की सीमाओं में थीं। तथापि 2009-10 में मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणों में प्रायोजित ($\text{₹ } 39,654$ करोड़) से उच्चतर थी। राजस्व घाटे में वृद्धि सूचित करती है कि उच्च दर ऋणों का कुछ भाग सरकार द्वारा अपने वर्तमान खर्च पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऋणित निधियां यथासंभव

केवल पूंजीगत व्यय के निधिकरण हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए जबकि राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: बजट से बाहर से कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधी प्राप्त निधियां एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 से पारदर्शिता की आवश्यकताओं को बधित करती हैं और इस प्रकार उत्तरदायिता से बाहर रह जाती हैं। उनका उपयोग मॉनीटर करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है और किसी विशेष वर्ष में मुख्य ध्वजपोत पर या अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर किए खर्च के आंकड़े एकदम उपलब्ध नहीं हैं। इन निधियों का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम बनाए जाने की आवश्यकता और अद्यतन की गई सूचना सरकार और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।

अध्याय 2


वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण:

राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकासशील कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति से ₹ 5,307.13 करोड़ की समग्र बचत रही। ₹ 439.29 करोड़ के आधिक्य के प्रति संतुलन के बावजूद भी भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत इसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। लोक ऋण में गत पांच वर्षों से निरन्तर बृहद बचतें दर्ज की गई। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। राज्य में अवलोकित वर्ष के अन्त में अधिक खर्च भी अन्य चिरकालिक लक्षण था। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गई या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गई जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सरक्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबंधन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन करना:

सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की विभिन्न विभागों में अनुपालना नहीं की जा रही थी जैसा कि विभिन्न ग्रांटी संस्थाओं से ऋणों एवं अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब से स्पष्ट था। स्वायत्त निकायों और विभागीय अंडरटेकिंग्स द्वारा भी वार्षिक लेखे प्रस्तुतिकरण में देरी अवलोकित की गई। हानियों और दुर्घटनाओं के उदाहरण थे जिसके लिए विभागीय कार्यवाही लम्बे समय से लम्बित थी। ऐसे मामलों में चूककर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने हेतु विभागीय जांच - पड़ताल शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए।



अध्याय - 1
राज्य सरकार के वित्त

HARYANA

NORTH



PUNJAB

RAJASTHAN



1.1

प्रस्तावना

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। परिशिष्ट 1.1 में इंगित किए गए अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम गरीबी है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 478 व्यक्ति) अखिल भारतीय घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 325 व्यक्ति) से उच्चतर था। राज्य ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि दर्ज की तथा 2000 - 01 से 2008 - 09 तक की अवधि हेतु इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कम्पाउंड वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 12.50 प्रतिशत की तुलना में 15.37 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.42 प्रतिशत के विरुद्ध 17.58 प्रतिशत तक बढ़ गई।

यह अध्याय 2009 - 10 के दौरान हरियाणा राज्य सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित बदलावों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की परिशिष्ट 1.2 भाग क में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले - आऊट परिशिष्ट 1.2 भाग रव में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिये अपनाई गई पद्धति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानक / सीलिंग्स परिशिष्ट 1.3 भाग क तथा रव में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार

गत वर्ष की तुलना में 2009 - 10 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय सम्पादनों का सार तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट 1.5 भाग क तथा रव 2009 - 10 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के अतिरिक्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

2008-09	प्राप्तियां	2009-10	2008-09	संवितरण		2009-10		
भाग क : राजस्व						योजनेतर	योजनागत	कुल
18,452.31	राजस्व प्राप्तियां	20,992.66	20,534.73	राजस्व व्यय		19,542.62	5,714.77	25,257.39
11,655.28	कर राजस्व	13,219.50	6,024.47	सामान्य सेवाएं		7,687.33	68.02	7,755.35
3,238.45	कर - भिन्न राजस्व	2,741.40	7,258.73	सामाजिक सेवाएं		5,887.63	4,014.59	9,902.22
1,724.62	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	1,774.47	7,035.75	आर्थिक सेवाएं		5,897.75	1,632.16	7,529.91
1,833.96	भारत सरकार से अनुदान	3,257.29	215.78	सहायता अनुदान एवं अंशदान*		69.91	-	69.91
भाग ख : पूँजी								
6.80	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	9.39	4,501.67	पूँजीगत परिव्यय		1,015.19	4,203.29	5,218.48
351.80	ऋणों एवं अधिमों की वसूलियां	212.84	332.31	संवितरित ऋण एवं अधिम		213.93	615.76	829.69
3,888.06	लोक ऋण प्राप्तियां	8,455.37	1,291.84	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		-	-	2,745.97
-	आकस्मिक निधि	-	-	आकस्मिक निधि		-	-	-
12,308.28	लोक लेखा प्राप्तियां	15,789.41	11,441.82	लोक लेखा संवितरण		-	-	14,319.66
6,500.06	आरम्भिक नकद शेष	3,404.94	3,404.94	अंतिम नकद शेष		-	-	493.42
41,507.31	कुल	48,864.61	41,507.31	कुल		-	-	48,864.61

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण

गत वर्ष से 2009 - 10 के दौरान वित्तीय सम्पादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में 13.42 प्रतिशत (₹ 1,564 करोड़) की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,541 करोड़ (13.77 प्रतिशत) तक बढ़ गई। संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा तथा भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से अनुदान क्रमशः ₹ 50 करोड़ (2.90 प्रतिशत) एवं ₹ 1,423 करोड़ (77.61 प्रतिशत) तक बढ़ गये। सरकार ने जी.ओ.आई. से डेब्ट कंसोलिडेशन एण्ड रिलीफ फैसिलिटी¹ (डी.सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत ₹ 96.67 करोड़ के डेब्ट क्रेडिट प्राप्त किये। राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 13,220 करोड़), बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) (₹ 14,794 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 11 प्रतिशत तक तथा राज्य सरकार द्वारा इसके मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) (₹ 14,646 करोड़) के 10 प्रतिशत और वित्तीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) (₹ 13,700 करोड़) के चार प्रतिशत तक घट गया। राज्य का स्वयं का कर - भिन्न राजस्व (₹ 2,741 करोड़), टी.एफ.सी. (₹ 2,372 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों से 16 प्रतिशत तक तथा एफ.सी.पी. (₹ 2,300 करोड़) में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 19 प्रतिशत तक उच्चतर

¹ राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अनुसार राजस्व तथा राजकोषीय घाटा नियत्रित करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया प्रोत्साहन डेब्ट कंसोलिडेशन एण्ड रिलीफ फैसिलिटी है।

था किन्तु वर्ष 2009 – 10 हेतु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,600 करोड़) में नियत किए गए लक्ष्यों से 24 प्रतिशत तक निम्नतर था।

- सामाजिक सेवाओं (₹ 2,643 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 494 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 1,731 करोड़) पर मुख्यतः व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 4,723 करोड़ (23 प्रतिशत) तक बढ़ गया। योजनेत्तर राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) जो 2009 – 10 में ₹ 19,542 करोड़ था, टी.एफ.सी. के मानकीय आकलन (₹ 11,374 करोड़) 72 प्रतिशत, एफ.सी.पी. में किए गए सरकार के प्रक्षेपण (₹ 15,930 करोड़) के 23 प्रतिशत से उच्च किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 20,201 करोड़) के तीन प्रतिशत तक नीचे था।
- आर्थिक सेवाओं पर मुख्यतः ‘कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों’ (₹ 482 करोड़) तथा ‘परिवहन’ (₹ 368 करोड़) पर विशेषतः पूंजीगत व्यय में ₹ 716 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2009 – 10 में ₹ 139 करोड़ (39 प्रतिशत) तक घट गई।
- लोक ऋण प्राप्तियां मुख्यतः आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,498 करोड़ की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से 2009 – 10 में ₹ 4,567 करोड़ (117 प्रतिशत) तक बढ़ गई। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में भी ₹ 1,454 करोड़ (113 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। इस प्रकार, 2009 – 10 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 3,113 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां 2008 – 09 में ₹ 12,308 करोड़ से 2009 – 10 में ₹ 15,789 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके संवितरण भी 2008 – 09 में ₹ 11,442 करोड़ से 2009 – 10 में ₹ 14,320 करोड़ तक बढ़ गए।
- 2009 – 10 की समाप्ति पर सरकार का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,912 करोड़ तक कम हो गया। चालू वर्ष के अंत पर ₹ 493 करोड़ के कुल नकद शेष, जी.ओ.आई. की प्रतिभूतियों में निवेश किये गए ₹ 103 करोड़, में से 2009 – 10 के दौरान ₹ 25 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

1.1.2 बजटीय पूर्वानुमानों का विश्लेषण

1.1.2.1 प्रस्तावना

योजना आयोग ने ₹ 35,000 करोड़ के लिए ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना (2007 – 12) अनुमोदित की, जिसमें ₹ 10,000 करोड़ (₹ 10,400 करोड़ तक संशोधित) का प्रावधान वर्ष 2009 – 10 के लिए किया गया था। राज्य का बजट वृद्धित प्रणाली अपनाकर तैयार किया जाता है अर्थात् उपलब्ध संसाधनों पर पहला प्रभार सभी चालू स्कीमों पर होता है तथा नई स्कीमें उसके बाद शामिल की जाती हैं। वित्त विभाग, गत वर्ष के तथा सितम्बर तक चालू राजकोषीय वर्ष के आंकड़े ध्यान में रखकर विभागीय प्रस्तावों का परीक्षण करता

है। वर्ष 2009 - 10 के अनुमान 2007 - 08 के पूर्व - प्रस्तुत² आंकड़ों तथा सितम्बर 2008 तक आधार वर्ष 2008 - 09 की प्राप्तियों/व्यय को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। तदनुसार, 2009 - 10 के बजट अनुमानों के लिए बजटीय अनुमान निम्नानुसार बनाए गए थे:

राजस्व प्राप्तियां:

- योजनेत्तर राजस्व प्राप्तियां³ 2008 - 09 पर 14.73 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

कर राजस्व:

- कर दांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना था, जो 2008 - 09 के दौरान यथा लागू रहेगा;
- राज्य का अपना कर राजस्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण 1.96 प्रतिशत तक बढ़ना अनुमानित था तथा मूल्य वर्धित कर (वैट) से राजस्व 16.53 प्रतिशत तक बढ़ना था।

कर - भिन्न राजस्व:

- अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव के कारण कर भिन्न राजस्व में 4.70 प्रतिशत तक कमी होगी।

संघीय करों का केन्द्रीय हिस्सा:

- यह 2008 - 09 के बजट अनुमानों (बी.ई.) के स्तर पर रहेगा।

सहायता अनुदान:

राजस्व घाटा अनुदान तथा आपदा राहत निधि का केन्द्रीय हिस्सा, जैसा टी.एफ.सी. द्वारा सिफारिश की गई, योजनेत्तर अनुदानों के अन्तर्गत लिए गए थे। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान टी.एफ.सी. अवधि हेतु सिफारिश किए गए योग का पांचवा भाग लिया गया था। राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं, वनों के अनुरक्षण तथा परम्परा संरक्षण, जैसा टी.एफ.सी. द्वारा सिफारिश की गई, के लिए अनुदान राज्य की अपनी निधियों (एस.ओ.एफ.) के अन्तर्गत प्लान संसाधनों के रूप में लिए गए थे। राज्य द्वारा ₹ 2,258.77 करोड़ का प्रावधान किया गया था।


योजनेत्तर व्यय: यह 2008 - 09 पर 23.06 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ माना गया था।

प्रक्षेपित प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके विरुद्ध वास्तविकों के विवरण परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

² पूर्व - प्रस्तुत आंकड़े वित्त लेखाओं के अन्तिमकरण से पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आपूरित आंकड़े हैं।

³ योजनेत्तर राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर राजस्व, कर - भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा तथा योजनेत्तर सहायता अनुदान शामिल हैं।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमानों तथा वास्तविकों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: 2009 – 10 हेतु राज्य वित्त लेखे तथा बजट अनुमान)

1.1.2.2 बजटीय अनुमानों में कमियां

बी.ई. की तैयारी में प्रक्रिया तथा पारदर्शित का परीक्षण करने के लिए वित्त विभाग में वर्ष 2009 - 10 के लिए बी.ई. की तैयारी हेतु प्राप्तियों तथा व्यय के लिए बनाए गए बजटीय अनुमानों तथा उनके विरुद्ध वास्तविकों का विश्लेषण संचालित किया गया था (जून - अगस्त 2010)। यह देखा गया था कि बजटीय अनुमान, वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थे तथा कुछ मामलों में संबंधित विभागों के प्रस्तावों की अनदेखी करके बनाए गए थे:

- i) 2008 - 09 तथा 2009 - 10 हेतु बी.ई. के साथ सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राजकोषीय नीति तथा प्रकटीकरण की विवरणी 2008 - 09 तथा 2009 - 10 के दौरान चालू मूल्यों में क्रमशः 17.9 तथा 14.7 प्रतिशत की दर पर समग्र वृद्धि इंगित करती है। वृद्धि दर में 2008 - 09 में 17.9 प्रतिशत से 2009 - 10 में 14.7 तक कभी मुख्यतः विनिर्माण तथा तृतीय सैकटरों के अन्तर्गत थी, यद्यपि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धि दर में बढ़ोतरी थी। बी.ई.में अर्थव्यवस्था में मंदी के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने के लिए जी.एस.डी.पी. में धीमी वृद्धि का प्रभाव परिकलित नहीं किया गया था।

ii) बी.ई. 2009 - 10 में प्रक्षेपित योजनेत्तर राजस्व प्राप्तियां (एन.पी.आर.आर.) (₹ 20,521.58 करोड़) ने 14.73 प्रतिशत की अनमानित वृद्धि के विरुद्ध बी.ई. 2008 - 09

(₹ 20,441.38 करोड़) पर मात्र 0.39 प्रतिशत वृद्धि संघटित की।

- iii) राज्य का अपना कर राजस्व 2008-09 के अनुमोदित प्लान (₹ 14,365.32 करोड़) पर 1.96 प्रतिशत (₹ 14,646.50 करोड़) की वृद्धि तक अनुमानित था जबकि वास्तविक प्राप्तियां (₹ 13,219.50 करोड़) 2008-09 के अनुमोदित प्लान से 7.97 प्रतिशत कम थी।
- iv) मूल्य वर्धित कर 2008-09 के अनुमोदित प्लान (₹ 8,385 करोड़) पर 2009-10 के दौरान 16.53 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अनुमान था किन्तु वास्तविक प्राप्तियां (₹ 7,907.22 करोड़) 2009-10 में 5.70 प्रतिशत तक कम हो गई।
- v) ₹ 3,610.01 करोड़ तक प्रक्षेपित राज्य के कर-भिन्न राजस्व ने बी.ई. 2008-09 (₹ 4,079.30 करोड़) पर 11.50 प्रतिशत की कमी दर्ज की। ₹ 2,741.40 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति 2008-09 के अनुमोदित प्लान (₹ 4,079.30 करोड़) से 32.80 प्रतिशत कम थी।
- vi) प्राप्ति शीर्ष '0217 - शहरी विकास' के अन्तर्गत कर-भिन्न राजस्व रीयल एस्टेट मार्केट में मंदी के दृष्टिगत संबंधित विभाग से ₹ 350 करोड़ के प्रस्ताव के विरुद्ध ₹ 1,200 करोड़ तक अनुमानित था। तथापि, वास्तविक प्राप्ति (₹ 133.70 करोड़) प्रक्षेपणों का मात्र 11 प्रतिशत थी। इस प्रकार, रीयल एस्टेट मार्केट में मंदी का प्रभाव 2009-10 हेतु बजट अनुमान का पूर्वानुमान करते समय अवअनुमानित था।
- vii) 2008-09 के दौरान घटती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखे बिना '0042 - यात्री एवं माल कर' के अन्तर्गत ₹ 425 करोड़ का प्रक्षेपण किया गया था। 2009-10 के दौरान ₹ 391.45 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 33.55 करोड़ तक उच्चतर अनुमान हुआ।
- viii) गत प्रवृत्तियों (2008-09 में ₹ 107 करोड़) तथा संबंधित विभाग (₹ 120 करोड़) की सिफारिशों को नजरअंदाज करके शीर्ष "0043 - बिजली पर कर एवं शुल्क" के अन्तर्गत ₹ 130 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके विरुद्ध, वास्तविक संग्रहण ₹ 119.59 करोड़ था परिणामतः ₹ 10.41 करोड़ तक उच्चतर अनुमान हुआ।
- ix) केन्द्रीय करों का हिस्सा बी.ई. 2008-09 (₹ 1,686.76 करोड़) के स्तर तक माना गया था किन्तु 2009-10 में बी.ई. में ₹ 1,921.72 करोड़ तक प्रक्षेपित था जो 13.93 प्रतिशत तक उच्चतर था। वर्ष के दौरान ₹ 1,774.47 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति 2008-09 के अनुमोदित प्लान से 5.20 प्रतिशत उच्चतर थी।
- x) एन.पी.आर.ई. में 2008-09 के अनुमोदित प्लान (₹ 16,500.60 करोड़) पर 23.06 प्रतिशत की प्रक्षेपित वृद्धि वास्तविक नहीं थी क्योंकि 2009-10 के दौरान

वास्तविक व्यय (₹ 19,542.62 करोड़) 2008-09 के अनुमोदित प्लान के प्रक्षेपण से मात्र 18.44 प्रतिशत उच्चतर था।

1.1.2.3 प्लान अनुमानों में कमियां

2009-10 के दौरान ₹ 10,000 करोड़ तक अनुमानित प्लान व्यय ₹ 10,400 करोड़ तक संशोधित किया गया (जनवरी 2010) था, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 9,624.44 करोड़ था जो मूल अनुमानों से कम था। भिन्नताएं निम्नलिखित के कारण थीं:

- i) ₹ 524.21 करोड़ की लागत के साथ 2009-10 के अनुमोदित प्लान में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 79 प्लान स्कीमें संशोधित अनुमानों (आर.ई.) में आहरित कर ली गई थी (परिशिष्ट 1.7)।
- ii) मूल अनुमानों में 35 प्लान स्कीमों के लिए किया गया ₹ 246.84 करोड़ का प्रावधान संशोधित लागत में ₹ 147.74 करोड़ तक कम किया गया था किन्तु इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रावधानों के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 1.8)।
- iii) ₹ 277.09 करोड़ के प्रावधानों वाली 27 नई प्लान स्कीमें आर.ई. में शामिल की गई थी जिनके विरुद्ध ₹ 154.12 करोड़ का व्यय वर्ष के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 1.9)।
- iv) सात प्लान स्कीमों के लिए अनुमोदित ₹ 54.64 करोड़ का प्रावधान आर.ई. में ₹ 58.89 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध ₹ 43.74 करोड़ का व्यय किया गया था। व्यय मूल प्रावधानों से कम था तथा इसलिए संशोधन आवश्यकता पर आधारित नहीं था (परिशिष्ट 1.10)।
- v) बी.ई. में किसी प्रावधान के बिना पांच स्कीमों के विरुद्ध ₹ 6.91 करोड़ का व्यय किया गया था (परिशिष्ट 1.11)।
- vi) भारतीय योजना आयोग द्वारा ₹ 10,000 करोड़ की वार्षिक योजना के अनुमोदन के पश्चात् 41 स्कीमों में ₹ 1,350.93 करोड़ की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की गई थी। अनुमान ₹ 10,400 करोड़ तक संशोधित किए गए थे।

निदेशक, आर्थिक एवं सारिव्यकी विश्लेषण (डी.ई.एस.ए.) ने बताया (सितम्बर 2010) कि संबंधित विभागों द्वारा स्कीमों के अकार्यान्वयन, संबंधित विभागों द्वारा बजट के अभ्यर्पण, अन्य स्कीमों को निधियों के हस्तांतरण, परियोजनाओं/स्कीमों के अननुमोदन, मितव्ययी उपायों, लेखा-शीर्ष न खोलने, मांगों की विलम्बित प्राप्तियों, कार्य योजना के अनुमोदन में विलम्ब, केन्द्रीय अनुदान की कम प्राप्ति, इत्यादि के

कारण निधियों का आहरण, प्रावधानों में छूट, नई स्कीमों के संयोजन, प्रावधानों के बिना व्यय करना, इत्यादि था।

vii) सरकार ने भारतीय योजना आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कृषि तथा सहायक गतिविधियों की लागत बढ़ाने के लिए 2009-10 के दौरान योजनेत्तर से योजना में ₹ 107 करोड़ की कुल लागत के साथ सहकारिता विभाग की दो स्कीमों⁴ को परिवर्तित कर दिया (दिसम्बर 2009)। सहकारिता विभाग (प्रमुख शीर्ष - “2401-फसल पालन”) में फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वार्ड.) के अन्तर्गत 2009-10 हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि तथा सहायक क्षेत्रों के अधीन 2009-10 के दौरान 3.77 प्रतिशत के बेस-लाइन व्यय को प्राप्त करने के लिए ही स्कीमें परिवर्तित की गई थी।

डी.ई.एस.ए. ने योजनेत्तर स्कीमों के योजनागत स्कीमों में परिवर्तन का समर्थन करते हुए (जुलाई 2010) बताया कि आर.के.वी.वार्ड. के अन्तर्गत जी.ओ.आई. से निधियों का निर्धारण करने के लिए राज्य को पात्र बनाने हेतु वर्ष 2009-10 के दौरान कृषि तथा सहायक क्षेत्र के अन्तर्गत लागत को बढ़ाया गया था। तथापि, तथ्य शेष रहा कि व्यय के वर्गीकरण पर भारतीय योजना आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में योजनेत्तर स्कीमों का योजनागत स्कीमों में परिवर्तन किया गया था।

1.2 राज्य के संसाधन


1.2.1 2009-10 के वित्तीय लेखाओं के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों की राजस्व⁵ एवं पूंजीगत⁶ दो ही स्ट्रीम हैं, जोकि सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। तालिका 1.1, 2009-10 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और वितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा 2009-10 के वित्त लेखाओं में दर्ज है जबकि चार्ट 1.2, 2005-10 के दौरान सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.3, 2009-10 के दौरान सरकार के संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।


⁴ i) ₹ 80 करोड़ की लागत सहित सहकारी चीनी मिलों को ऋण।
ii) ₹ 27 करोड़ की वित्तीय लागत सहित सहकारी ऋणों के ब्याज पर छूट हेतु स्कीम।

⁵ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा जी.ओ.आई. से सहायतानुदान सम्मिलित हैं।

⁶ पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के अतिरिक्त लोक लेखा से संभूतियां शामिल हैं।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार की कुल प्राप्तियां 2005 – 06 में ₹ 22,953 करोड़ से ₹ 22,506 करोड़ (98 प्रतिशत) तक बढ़कर 2009 – 10 में ₹ 45,459 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियां 2005 – 06 में ₹ 13,853 करोड़ से ₹ 7,140 करोड़ (52 प्रतिशत) तक बढ़कर 2009 – 10 में ₹ 20,993 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, 2005 – 06 में ₹ 3,639 करोड़ से ₹ 5,038 करोड़ (138 प्रतिशत) बढ़कर 2009 – 10 में ₹ 8,677 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियां भी 2005 – 06 में ₹ 5,461 करोड़ से ₹ 10,328 करोड़ (189 प्रतिशत) बढ़कर 2009 – 10 में ₹ 15,789 करोड़ हो गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2005 – 06 में 60 प्रतिशत से थोड़ा सा घटकर 2009 – 10 में 46 प्रतिशत हो गया। कुल प्राप्तियों में लोक लेखा राशियों का हिस्सा

2005 - 06 के 24 प्रतिशत से 2009 - 10 में बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 2005 - 06 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2009 - 10 में 19 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर हस्तांतरित निधियां

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य की कार्यान्वयन अभिकरणों⁷ को केंद्र सरकार सीधे ही बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी तंत्र से नहीं दी जातीं, वार्षिक वित्त लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय साथ ही साथ उनसे लिये गये अन्य वित्तीय परिवर्ती/पैरामीटर कम अनुमानित ही रह जाते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2008 - 09 और 2009 - 10 में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम / स्कीम (केन्द्र का हिस्सा इंगित करें)	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	केन्द्र का हिस्सा	
			2008-09	2009-10
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला शामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	28.60	9.39
2.	राष्ट्रीय शामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	134.57	117.89
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	50.33	52.26
4.	स्वर्णजयंती याम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	23.51	24.71
5.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	10.59	27.22
6.	एकीकृत बंजररम्भि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	4.28	3.84
7.	जिला शामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	8.03	11.45
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	11.57	30.23
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	204.52	273.07
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	0	2.45
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	(के.जी.बी.बी.)	0.95	0.47
12.	राष्ट्रीय शामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	211.59	174.45
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	लागू नहीं	33.00	56.00
14.	लघु सिंचाई स्कीम	लागू नहीं	12.07	2.12
15.	प्रधान मंत्री याम सड़क योजना	लागू नहीं	272.02	283.72
16.	राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा मिशन	लागू नहीं	11.04	28.65
17.	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को केन्द्रीय हिस्सा समर्थन स्कीम	लागू नहीं	5.77	7.38
कुल			1,022.44	1,105.30

(स्रोत: वित्त लेखा तथा संबंधित विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

⁷ राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर - सरकारी संगठन सहित ऐसे संगठन/संस्था शामिल होते हैं जो राज्य में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं।


तालिका 1.2 दर्शाती है कि राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (केंद्रीय अंश) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2008 - 09 (₹ 1,022.44 करोड़) से 2009 - 10 में (₹ 1,105.30 करोड़) तक आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि: ₹ 18.66 करोड़ (161 प्रतिशत), मरुस्थल विकास कार्यक्रम: ₹ 16.63 करोड़ (157 प्रतिशत), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: ₹ 17.61 करोड़ (160 प्रतिशत), राष्ट्रीय बागवानी मिशन: ₹ 23 करोड़ (70 प्रतिशत) तथा सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 68.55 करोड़ (34 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी। तथापि, निधियों के हस्तांतरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अधीन ₹ 16.68 करोड़ (12 प्रतिशत), संसद सदस्य की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अधीन ₹ 19.21 करोड़ (67 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन ₹ 37.14 करोड़ (18 प्रतिशत) तथा लघु सिंचाई स्कीम के अधीन ₹ 9.95 करोड़ (82 प्रतिशत) की कमी आई।

चूंकि ये निधियां सरकार के लेखाओं में नहीं आती, जी.ओ.आई. से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण लेखाओं के रख - रखाव और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चूंक का खतरा बना रहता है। इन अभिकरणों द्वारा लेखांकन की समरूप प्रक्रिया न अपनाने के अभाव में इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में उचित प्रलेखन एवं समय पर रिपोर्ट करने के लिए कोई यंत्रावली नहीं थी।

1.3


राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्लौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर - भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2005 - 10 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2008-09 में ₹ 18,452 करोड़ से 2009-10 में ₹ 20,993 करोड़ तक ₹ 2,541 करोड़ (14 प्रतिशत) तक बढ़ गई। इसका अपना कर राजस्व 2008-09 में ₹ 11,655 करोड़ से ₹ 1,565 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 13,220 करोड़ तक हो गया। वृद्धि मुख्यतः बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 877 करोड़) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 640 करोड़) के अन्तर्गत थी। कर-भिन्न राजस्व 2008-09 में ₹ 3,238 करोड़ से ₹ 497 करोड़ (15 प्रतिशत) तक घटकर 2009-10 में ₹ 2,741 करोड़ हो गया। केन्द्रीय अन्तरणों में ₹ 50 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सीमा शुल्कों (₹ 81 करोड़) तथा संघीय उत्पाद शुल्कों (₹ 88 करोड़) में कमी द्वारा बराबर किए गए सहकारी कर (₹ 165 करोड़), आय पर कर इत्यादि (₹ 52 करोड़) के अन्तर्गत थी। जी.ओ.आई. से सहायता - अनुदान, जिसने चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत संघटित किया, 2008-09 में ₹ 1,834 करोड़ से ₹ 3,257 करोड़ तक बढ़ गए। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (₹ 140 करोड़), योजनेत्तर अनुदानों (₹ 1,094 करोड़) तथा राज्य प्लान स्कीमों (₹ 189 करोड़) के अन्तर्गत ₹ 1,423 करोड़ की वृद्धि थी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

चालू मूल्य में जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.3 : जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	13,853	17,952	19,751	18,452	20,993
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.25	29.58	10.02	(-) 6.58	13.77
आर.आर. /जी.एस.डी.पी.(प्रतिशत)	13.02	13.78	12.81	10.11	10.02
उत्पलावकता अनुपात ⁸					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.767	1.320	0.544	(-) 0.358	0.934
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य के स्वयं की कर उत्पलावकता	1.605	0.909	0.343	0.017	0.911

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि, जिसने घटती प्रवृत्ति दर्शाई, 2005 – 06 में 24.25 प्रतिशत से घटकर 2009 – 10 में 13.77 प्रतिशत हो गई। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता अनुपात 2005 – 06 में 13.02 से घट कर 2009 – 10 में 10.02 हो गई। जी.एस.डी.पी.के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता भी 2005 – 06 में 1.767 से 2009 – 10 में 0.934 तक घट गई। जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता 2005 – 06 में 1.605 से 2009 – 10 में 0.911 तक कम हो गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व की उत्पलावकता को बढ़ाने की क्षमता का विकास किए जाने की आवश्यकता है।

⁸

उत्पलावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इग्निट करता है। उदाहरणार्थ 0.6 पर राजस्व उत्पलावकता सूचित करती है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत तक बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशतता प्लाइट्स तक बढ़ जायेगी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता - अनुदानों में राज्य के हिस्से वित्त आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय कर प्राप्तियों, योजनागत स्कीमों इत्यादि के लिये केंद्रीय सहायता के संग्रहण के आधार पर तय होते हैं, अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वयं के कर एवं कर भिन्न संसाधनों से राजस्व समाविष्ट करते हुए इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। कर - भिन्न प्राप्तियों के घटकों के अतिरिक्त मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण की तुलना में उनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2005 - 06 से 2009 - 10 तक के वर्षों में संगत अखिल भारतीय औसत सहित सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता परिशिष्ट 1.12 में प्रस्तुत की गई हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व पिछले वर्ष ($\text{₹ } 11,655$ करोड़) से 2009 - 10 के दौरान ($\text{₹ } 13,220$ करोड़) 13 प्रतिशत तक बढ़ गया। बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व ने कर राजस्व का प्रमुख हिस्सा (68 प्रतिशत) समाविष्ट किया तथा यह गत वर्ष से 11 प्रतिशत तक बढ़ गया। अप्रैल 2003 में लागू मूल्य वर्धित कर (वैट) ने बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व की उत्पलावकता को बढ़ा दिया तथा 2009 - 10 के दौरान $\text{₹ } 878$ करोड़ का उच्चतर संग्रहण किया। स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत प्राप्तियां 2008 - 09 में $\text{₹ } 1,326$ करोड़ से 2.41 प्रतिशत तक घटकर 2009 - 10 में $\text{₹ } 1,294$ करोड़ हो गई। कर राजस्व के अन्य घटकों ने वर्ष के दौरान नगण्य वृद्धि तथा कमी के साथ सापेक्ष स्थिरता दर्शाई। तथापि, राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. ($\text{₹ } 13,700$ करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. ($\text{₹ } 14,646$ करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों के अतिरिक्त टी.एफ.सी. द्वारा किये गये आकलन ($\text{₹ } 14,794$ करोड़) से कम था।

2005 - 10 के दौरान, कर राजस्व के संग्रहण पर व्यय बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों के लिये 0.66 तथा 0.86 प्रतिशत, वाहनों पर कर के लिये 2.34 व 4.09 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क के लिये 0.94 तथा 1.30 प्रतिशत, स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस के लिये 0.42 तथा 1.23 प्रतिशत, यात्री एवं माल कर के लिये 0.30 तथा 0.95 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा।

कर - भिन्न राजस्व

2000 - 01 से 2008 - 09 तक की अवधि के दौरान हरियाणा में कर - भिन्न राजस्व की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (10.67 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (12.08 प्रतिशत) से कम थी जो आगे 7.42 प्रतिशत (2000 - 01 से 2009 - 10 तक की अवधि हेतु) तक घट गई (परिशिष्ट 1.1)। कर - भिन्न राजस्व, जिसमें डी.सी.आर.एफ.के अधीन समेकित ऋण के पुनर्भुगतान पर भारत सरकार से $\text{₹ } 96.67$ करोड़ की ऋण राहत सम्मिलित है, ने 2009 - 10 के दौरान पिछले वर्ष से $\text{₹ } 497$ करोड़ (15 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी से कुल राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत संघटित किया। कर - भिन्न राजस्व में कमी मुख्यतः मुख्य शीर्ष 'शहरी विकास' के अन्तर्गत प्राप्तियों में $\text{₹ } 751$ करोड़ की कमी के कारण हुई। कर - भिन्न राजस्व के संग्रहण पर किया गया व्यय कर राजस्व के संग्रहण पर किये गये व्यय से कहीं अधिक था। तथापि, 2009 - 10 के दौरान कर - भिन्न राजस्व टी.एफ.सी. ($\text{₹ } 2,372$ करोड़) तथा

राज्य सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में ($\text{₹ } 2,300$ करोड़) प्रक्षेपण से अधिक $\text{₹ } 2,741$ करोड़ रहा। यह सरकार द्वारा इसके एम.टी.एफ.पी.एस. ($\text{₹ } 3,600$ करोड़) के प्रक्षेपण से $\text{₹ } 859$ करोड़ (24 प्रतिशत) कम था।

1.3.2 करों की चोरी एवं पुनर्भुगतानों के कारण राजस्व की हानि

कर चोरी के $21,917^9$ प्रकरणों में से (20,907 प्रकरण 2009 - 10 के दौरान तथा 1,010 प्रकरण पूर्ववर्ती अवधि के दौरान पता लगाए गए थे) 18,707 प्रकरणों में निर्धारण /जांच पूरी हो चुकी थी तथा जुर्माने सहित $\text{₹ } 17.22$ करोड़ की अतिरिक्त मांग आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाई गई थी।

2009 - 10 के दौरान आबकारी एवं कराधान, बिजली तथा शहरी विकास विभागों द्वारा 3,118 प्रकरणों में $\text{₹ } 439.52$ करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 2,659 दावेदारों को $\text{₹ } 158.62$ करोड़ वापस किये गये थे। $\text{₹ } 280.90$ करोड़ की वापसियों से आवेष्टित बकाया 459 प्रकरणों में से वापसी के 99 प्रतिशत प्रकरण आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित थे तथा एक प्रतिशत प्रकरण (कुल राशि के एक प्रतिशत से आवेष्टित) विद्युत तथा शहरी विकास विभागों से संबंधित थे।

1.3.3 राजस्व के बकाया

राजस्व बकाया 2005 - 06 में $\text{₹ } 1,432$ करोड़ से 126 प्रतिशत तक बढ़कर 2009 - 10 में $\text{₹ } 3,232$ करोड़¹⁰ हो गये। इनमें से, $\text{₹ } 832$ करोड़ (26 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। बकाया सुख्यत: बिक्रियों, व्यापार, इत्यादि पर कर: $\text{₹ } 2,724$ करोड़, स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर: $\text{₹ } 188$ करोड़, बिजली पर कर एवं शुल्क: $\text{₹ } 114$ करोड़, राज्य उत्पाद: $\text{₹ } 85$ करोड़ तथा यात्री एवं माल भाड़े पर कर: $\text{₹ } 65$ करोड़ के कारण थे। जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से प्रमाणित होता है, बिक्रीयों, व्यापार इत्यादि पर कर कुल बकाया का 84 प्रतिशत हिस्सा बनता है। $\text{₹ } 589$ करोड़ की राशि की मांगे उच्च - न्यायालय, ज्यूडिशियल एवं नान - ज्यूडिशियल प्राधिकारियों द्वारा अनुमत स्थगनों के कारण वसूल नहीं की जा सकी। राजस्व के बकायों के संग्रहण पर तुरंत ध्यान देने के साथ - साथ समयबद्ध ढंग से उनके उद्ग्रहण हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

⁹ आंकड़े, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के अनुसार हैं।


¹⁰ आंकड़े, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के अनुसार हैं।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्ययों की जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व की वैधानिकताओं की रूप रेखा में रहते हुये घाटे अथवा उधारियों द्वारा दिये गए वित्त से सार्वजनिक व्यय में बढ़ौतरी के लिये बजटीय बाध्यताएं होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू वित्तीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया व्यय की कीमत पर नहीं है, रखासकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिये किये जाने वाले व्यय की।

1.4.1 व्यय वर्धन एवं संघटन

पांच वर्षों (2005 - 10) की अवधि के कुल व्यय में अवलोकित प्रवृत्तियों को चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है। तालिका 1.4 में गत पांच वर्षों (2005 - 10) के पूंजीगत व्यय के विकास को प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

तालिका 1.4: पूंजीगत व्यय की वृद्धि


(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पूंजीगत व्यय	1,612	2,428	3,426	4,502	5,218
वृद्धि दर	80	51	41	31	16
कुल व्यय से प्रतिशतता	11.17	12.80	16.13	17.75	16.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

अवधि के दौरान कुल व्यय की तुलना में गत पांच वर्षों के दौरान व्यय के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां 2005-06 में ₹ 14,429 करोड़ से ₹ 16,876 करोड़ (117 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 31,305 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय 2005-06 में ₹ 12,640 करोड़ से ₹ 12,617 करोड़ (लगभग 100 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 25,257 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय 2005-06 में ₹ 1,612 करोड़ से ₹ 3,606 करोड़ (224 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 5,218 करोड़ हो गया। 2000-01 से 2008-09 तक के लिए हरियाणा के पूंजीगत व्यय (15.26 प्रतिशत) की कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर उसी अवधि के दौरान अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (21.41 प्रतिशत) से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण भी 2005-06 में ₹ 177 करोड़ से ₹ 653 करोड़ (369 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 830 करोड़ हो गया। तथापि, कुल व्यय में एनपीआरई का अंश 2005-06 में 74 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 62 प्रतिशत रह गया।


2009-10 के दौरान कुल व्यय अर्थात् ₹ 31,305 करोड़ पिछले वर्ष से ₹ 5,937 करोड़ (23 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल वृद्धि में राजस्व व्यय ने ₹ 4,723 करोड़ (80 प्रतिशत) का योगदान दिया जबकि पूंजीगत व्यय ₹ 716 करोड़ (12 प्रतिशत) परिगणित किया गया। ₹ 498 करोड़ (आठ प्रतिशत) की शेष राशि का ऋणों एवं अग्रिमों द्वारा योगदान दिया गया था। कुल व्यय के योजनागत एवं योजनेतर व्यय में विघटन ने प्रकट किया कि योजनागत एवं योजनेतर व्यय का अंश क्रमशः 34 एवं 66 प्रतिशत था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2005-06 के 87.60 प्रतिशत से 2009-10 में घटकर 80.68 प्रतिशत रह गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2005-06 में 11.17 प्रतिशत से 2009-10 में बढ़कर 16.67 प्रतिशत हो गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2005-06 के

1.23 प्रतिशत से बढ़कर 2009 – 10 में 2.65 प्रतिशत हो गया। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.ई. का अनुपात 9.10 प्रतिशत से 9.32 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. 2008 – 09 पर 65.50 प्रतिशत से 62.42 प्रतिशत तक घट गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के विभिन्न घटकों के परस्पर संबद्ध हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2005 – 06 में 32 प्रतिशत से 2009 – 10 में 25 प्रतिशत तक घट गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण 2005 – 06 में 34 प्रतिशत से 2009 – 10 में 37 प्रतिशत तक बढ़ गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का सांगा हिस्सा, जिसने विकास व्यय प्रस्तुत किया, 2005 – 06 में 65 प्रतिशत से 2009 – 10 में 72 प्रतिशत तक बढ़ गया, यद्यपि पिछले वर्ष 2009 – 10 में इसके स्तर से 2008 – 09 के स्तर से कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं थी। ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2005 – 10 के दौरान लगभग स्थिर रहा।

राज्य का राजस्व व्यय 2005 – 06 में ₹ 12,640 करोड़ से 20 प्रतिशत की औसत दर से सुसंगत रूप से बढ़ते हुये 2009 – 10 में ₹ 25,257 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में 2009 – 10 में ₹ 4,723 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 1,379 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 846 करोड़), पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 776 करोड़), ब्याज देयताएं (₹ 398 करोड़), पुलिस (₹ 325 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण थी। एन.पी.आर.ई. तथा योजनागत राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) में राजस्व व्यय के विघटन ने प्रकट किया कि एन.पी.आर.ई. का आनुपातिक हिस्सा पी.आर.ई. के हिस्से से पर्याप्त अधिक था। ₹ 4,723 करोड़ की कुल वृद्धि में एन.पी.आर.ई. व पी.आर.ई. के क्रमशः ₹ 2,926 करोड़ एवं ₹ 1,797 करोड़ थे।

2009-10 में ₹ 19,542 करोड़ का एन.पी.आर.ई., टी.एफ.सी. (₹ 11,374 करोड़) के मानकी निर्धारण, इसके एफ.सी.पी. (₹ 15,930 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 20,201 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रक्षेपण से उच्चतर था।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान और वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा परिदान समाविष्ट हैं। 2005-10 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 एवं चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन व मजदूरीयां जिसका है	3,894 (28)	4,126 (23)	4,566 (23)	6,546 (35)	9,348 (42)	8,440* (40)
योजनेतर शीर्ष	3,584	3,784	4,292	6,069	8,750	7,746
योजना शीर्ष**	310	342	274	477	598	694
ब्याज भुगतान	2,100 (15)	2,265 (13)	2,346 (12)	2,339 (13)	3,001 (13)	2,737 (13)
पेंशन का व्यय	1,033 (7)	1,173 (7)	1,298 (7)	1,614 (9)	2,190 (10)	2,390 (11)
परिदान	1,466 (11)	3,852 (21)	3,057 (15)	3,190 (17)	3,056 (14)	3,089 (15)
कुल	8,493	11,416	11,267	13,689	17,595	16,656


(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे एवं म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा प्रदत्त सूचना।)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* (-) ₹ 23.10 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.9: 2005-10 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरियां

2000 - 01 से 2008 - 09 के दौरान वेतन एवं मजदूरियों पर हरियाणा में व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (11.63 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (9.37 प्रतिशत) से अधिक थी। 2000 - 01 से 2009 - 10 की अवधि के लिए विकास दर (13.50 प्रतिशत) और बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय 2005 - 06 में ₹ 3,894 करोड़ से 117 प्रतिशत बढ़कर 2009 - 10 में ₹ 8,440 करोड़ हो गया। 2009 - 10 में ₹ 8,440 करोड़ वास्तविक वेतन व्यय तथापि, राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 5,080 करोड़) के तथा राज्य सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 8,820 करोड़) के प्रक्षेपणों से उच्चतर थे। राजस्व व्यय का कुल योजनेतर वेतन बिल, ब्याज भुगतानों तथा पेंशन का निवल 38 प्रतिशत था जो कि टी.एफ.सी. द्वारा निर्धारित 35 प्रतिशत के मानक से उच्चतर था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2005 - 06 में ₹ 2,100 करोड़ से 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2009 - 10 में ₹ 2,737 करोड़ हो गये। तथापि, गत वर्ष की तुलना में 2009 - 10 के दौरान ₹ 398 करोड़ (17 प्रतिशत) की बढ़त आई। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2005 - 06 में 15 प्रतिशत से कम हो कर 2009 - 10 में 13 प्रतिशत हो गई। ब्याज भुगतान जैसा कि टी.एफ.सी. द्वारा विचारित 2009 - 10 तक प्राप्य राजस्व प्राप्तियों के मध्यावधि लक्ष्य 15 प्रतिशत के अंदर ही था। 2009 - 10 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 2,737 करोड़) भी राज्य द्वारा अपने एफ.सी.पी. (₹ 2,840 करोड़) के प्रक्षेपणों तथा वर्ष 2009 - 10 के लिये एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 2,947 करोड़) के प्रक्षेपणों के अंदर ही रहा।

पेंशन भुगतान

2000 - 01 से 2008 - 09 के दौरान पेंशन पर हरियाणा में संयुक्त वार्षिक विकास दर (13.87 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की दर (12.03 प्रतिशत) से अधिक थी। हरियाणा की यह विकास दर 2000 - 01 से 2009 - 10 तक (17.24 प्रतिशत) और बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। पेंशन भुगतान 2005 - 06 के ₹ 1,033 करोड़ से ₹ 1,357 करोड़ (131 प्रतिशत) बढ़कर 2009 - 10 में ₹ 2,390 करोड़ हो गया परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता 2005 - 06 में सात से 2009 - 10 में वृद्धि के साथ 11 हो गई। 2009 - 10 में पेंशन भुगतानों पर व्यय (₹ 2,390 करोड़) राज्य के एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गए प्रक्षेपण से 70 प्रतिशत अधिक था परन्तु इसी वर्ष के टी.एफ.सी. के आकलन एवं राज्य के एफ.सी.पी. में किये प्रक्षेपण से क्रमशः 52 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत अधिक था। बढ़ते पेंशन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से नई अंशदान पेंशन स्कीम शुरू की गई थी।

कुल व्यय

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 13,567 करोड़) था जो सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में संक्षेपणों (₹ 9,565 करोड़) से ₹ 4,002 करोड़ (42 प्रतिशत) अधिक था और इसमें एफ.सी.पी. के प्रक्षेपित 50.52 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों के विरुद्ध 64.63 प्रतिशत का प्रयोग किया।

परिदान

परिदानों का भुगतान 2005 - 06 में ₹ 1,466 करोड़ से ₹ 1,623 करोड़ (111 प्रतिशत) बढ़कर 2009 - 10 में ₹ 3,089 करोड़ हो गया। जिसने कुल व्यय का 10 प्रतिशत संघटित किया तथा राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत उपभोग किया। ₹ 3,089 करोड़ के कुल परिदानों में से ₹ 2,780 करोड़ (90 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे, जिसमें से अधिकतम ग्रामीण विद्युतीकरण (₹ 2,771 करोड़) के लिये थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को वास्तविक परिदान राज्य के अपने एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण (₹ 1,840 करोड़) से 151 प्रतिशत (₹ 2,780 करोड़) था। ₹ 309 करोड़ का सामान्य परिदान भी 2009 - 10 के लिये एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 120 करोड़) से लगभग 258 प्रतिशत था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2005 - 06 से 2009 - 10 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6 : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10		
					बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताओं की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थान (सहायतित स्कूल सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	244.06	247.53	459.65	538.49	775.01	446.03	(-) 42
नगर निगम एवं नगरपालिका	शून्य	125.63	103.22	464.45	306.24	306.24	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	73.12	135.02	93.88	412.16	405.79	366.26	(-) 10
विकास अभियान	303.31	231.93	520.33	268.75	380.98	333.48	(-) 12
हस्पताल एवं धर्मीय संस्थाएं	25.28	20.32	49.46	46.80	145.41	125.79	(-) 13
अन्य संस्थाएं	196.29	161.51	345.05	322.72	300.13	368.89	(+) 23
कुल	842.06	921.94	1,571.59	2,053.37	2,213.56	1,946.69	(-) 54
आर्टी. की प्रतिशतता के रूप में सहायता	7	6	9	10			8

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2005 - 06 में ₹ 842.06 करोड़ से 2009 - 10 में बढ़कर ₹ 1,946.69 करोड़ हो गई, 2009 - 10 के दौरान राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत रही। उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण प्रकट करता है कि वित्तीय सहायता 2008 - 09 में ₹ 2,053.37 करोड़ से 2009 - 10 के दौरान घटत ₹ 1,946.69 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 106.68 करोड़ (पांच प्रतिशत) की घटत मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 92.46 करोड़), नगरपालिका निगमों तथा नगरपालिका समितियों (₹ 158.21 करोड़) तथा जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 45.90 करोड़) को कम सहायता दिये जाने के कारण थी। विकास एजेंसियों हस्पतालों तथा अन्य

धर्मार्थ संस्थानों को सहायता क्रमशः ₹ 64.73 करोड़, ₹ 78.99 करोड़ एवं ₹ 46.17 करोड़ तक बढ़ गई। ₹ 2,213.56 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,946.69 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई। बजट अनुमानों की तुलना में शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं, जिला परिषदों हस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं प्राथमिक को वास्तव में निर्मुक्त की कमी की रेंज 10 से 42 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, “‘अन्य संस्थाओं’” को वास्तविक निर्मुक्त बजट अनुमान से 23 प्रतिशत अधिक था जो मुख्यतः ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए मुआवजे और अभ्यर्पण के अधीन था। स्थानीय निकायों को ₹ 672.50 करोड़ का वास्तविक निर्मुक्त टी.एफ.सी. के प्रक्षेपण (₹ 40.98 करोड़) से 17 गुणा अधिक था।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बढ़िया सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं का होना सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कार्यकुशलता तथा उपयोग एवं प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपी गई सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक मूलभूत संरचना से संबद्ध व्यय जिम्मेवारियां बृहद रूप से राज्य के विषय हैं। मानवीय विकास स्तरों को बढ़ाने के लिये राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना होता है। किसी विशेष क्षेत्र के साथ निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) जुड़ी होती है यदि यह संगत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तालिका 1.7 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2009-10 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.7 : राज्य के 2005-06 और 2009-10 में राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई. / जी.एस.डी.पी.	डी.एफ. / ए.ई.	एस.एस.ई. / ए.ई.	सी.ई. / ए.ई.	शिक्षा / ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत* (अनुपात) 2005-06	17.58	61.39	30.91	13.92	15.02	4.06
हरियाणा और अनुपात 2005-06	13.56	64.97	30.73	11.17	13.81	3.24
सामान्य श्रेणी राज्य औसत* (अनुपात) 2009-10	18.18	66.11	35.76	14.85	16.18	4.29
हरियाणा औसत (अनुपात) * 2009-10	14.94	73.80	36.38	16.67	16.99	3.50

* जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
ए.ई. - कुल व्यय, डी.ई. - विकास व्यय, एस.एस.ई. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई. - पूँजीगत व्यय
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
जी.एस.डी.पी. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सार्विकीय निवेशालय से सूचना प्राप्त की

तालिका 1.7 में 2005-06 (टी.एफ.सी. अवार्ड अवधि का प्रथम वर्ष) एवं चालू वर्ष अर्थात् 2009-10 (टी.एफ.सी.ज. की अवार्ड अवधि का समाप्ति वर्ष) में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों की दी गई वित्तीय प्राथमिकताओं की तुलना दर्शाती है।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- 2005 - 06 एवं 2009 - 10 दोनों में जी.एस.डी.पी. का अनुपात के रूप में ए.ई. (13.56 एवं 14.94 प्रतिशत), अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की (17.58 एवं 18.18 प्रतिशत) तुलना में हरियाणा राज्य के प्रकरण में निम्नतर था।
- सरकार ने 2005 - 06 एवं 2009 - 10 में डी.ई. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका ए.ई. से अनुपात (64.97 प्रतिशत एवं 73.80 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात (61.39 एवं 66.11 प्रतिशत) से उच्चतर था।
- 2005 - 06 में ए.ई. में एस.एस.ई. का अनुपात (30.73 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में अनुपात (30.91 प्रतिशत) से निम्नतर था, परन्तु सरकार ने 2009 - 10 में इस क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी क्योंकि ए.ई. में यह अनुपात (36.38 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात (35.76 प्रतिशत) से उच्चतर था।
- 2005 - 06 में ए.ई. से सी.ई. का अनुपात (11.17 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से निम्नतर था (13.92 प्रतिशत)। फिर भी, 2009 - 10 के दौरान यह अनुपात (16.67 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात (14.85 प्रतिशत) से उच्चतर था।
- ए.ई. से शिक्षा व्यय का अनुपात 2005 - 06 में 13.81 प्रतिशत से 2009 - 10 में 16.99 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात (16.18 प्रतिशत) से उच्चतर था।
- 2005 - 06 एवं 2009 - 10 में स्वास्थ्य पर व्यय का ए.ई. से अनुपात (3.24 एवं 3.50 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात (4.06 एवं 4.29 प्रतिशत) से कम था। सरकार द्वारा स्वास्थ्य को उच्चतर वित्तीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.5.2 व्यय प्रयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के लिये कोर पब्लिक और मैरिट गुइस¹¹ के प्रावधान पर जोर देना और समुचित व्यय की

¹¹ कोर पब्लिक गुइस वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुयें एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।

मैरिट गुइस वे आवश्यक वस्तुयें हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये तथा इसलिये उनकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइजड आहार का प्रबन्ध और रूपणता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

तर्कसंगत व्यवस्था करना आवश्यक है। वर्तमान वर्षों में ऋण सेवा में कमी आने के कारण उत्पन्न राजकोषीय स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये, विकास व्यय¹² की ओर आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (और / अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख - रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और / अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। 2005 - 06 से 2009 - 10 के दौरान राज्य के कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय¹³ में प्रवृत्तियों को तालिका 1.8 दर्शाती है। चार्ट - 1.10, 2005 - 10 के दौरान अवयववार व्यय को दर्शाती है। तालिका 1.9, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख - रखाव पर खर्च किये गये पूँजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अवयवों के विवरणों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.8: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय	9,375 (65)	13,615 (72)	15,346 (72)	18,743 (74)	22,934 (73)	23,103 (74)
क) विकास राजस्व व्यय (क से ग तक)	7,810 (54)	11,242 (59)	11,961 (56)	14,294 (56)	17,855 (57)	17,432 (56)
ख) विकास पूँजीगत व्यय	1,530 (11)	2,338 (12)	3,255 (15)	4,307 (17)	3,857 (12)	5,031 (16)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	35 (0.24)	35 (0.18)	130 (0.61)	142 (0.56)	1,222 (4)	640 (2)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


(नोट: कोण्ठकों में दिए गए अंक कुल व्यय की प्रतिशतता के सूचक हैं।)

¹²

व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर - विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत लागत और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर - विकास व्यय समझा जाता है।

¹³

विकास व्यय को सामाजिक - आर्थिक सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2005-06 में ₹ 9,357 करोड़ से 2009-10 में ₹ 23,103 करोड़ होकर विकास व्यय ₹ 13,728 करोड़ (146 प्रतिशत) बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 74 प्रतिशत संघटित किया, 2008-09 में ₹ 18,743 करोड़ से ₹ 4,360 करोड़ (23 प्रतिशत) बढ़कर 2009-10 में ₹ 23,103 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 75 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूँजीगत व्यय का हिस्सा केवल 25 प्रतिशत था। ₹ 22,934 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध यह व्यय भी अपने बजट अनुमानों से ₹ 169 करोड़ तक अधिक हो गया, वास्तविक व्यय ₹ 23,103 करोड़ था।

तालिका 1.9: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय – प्रयोग की दक्षता

(₹ करोड़ में)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2008-09		2009-10		
	सीई. एवं टीई.अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		सीई. और टीई. अनुपात	आर.ई. में हिस्सा
		एस. एवं डब्ल्यू.	ओ. एण्ड एम.		
सामाजिक सेवाएं (एस.एस.)					
शिक्षा, सेल, कला एवं संस्कृति	0.023	66.95	0.01-	0.021	68.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.057	75.24	-	0.068	76.38
जल सप्लाई, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.422	26.30	8.96	0.413	35.41
कुल (एस.एस.)	0.133	50.02	1.46	0.116	64.60
आर्थिक सेवाएं (ई.एस.)					
कृषि एवं सम्बन्धित कार्य	0.369	48.51	1.22	0.478	50.94
सिचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.518	45.98	12.66	0.462	22.28
विद्युत एवं ऊर्जा	0.221	0.03	-	0.244	0.06
परिवहन	0.408	30.19	26.85	0.475	36.85
कुल (ई.एस.)	0.312	18.82	6.41	0.385	20.97
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	0.232	34.67	3.89	0.264	44.51
					4.56

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

टी.ई.: कुल व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय, आर.ई.: राजस्व व्यय, एस. एण्ड डब्ल्यू.: वेतन एवं मजदूरियां, ओ. एण्ड एम.: कार्य एवं रख - रखाव

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात 2008-09 में 0.133 से 2009-10 में 0.116 तक कम हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात 2008-09 में 0.312 से 2009-10 में 0.385 तक बढ़ गया।

वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2008-09 में 50.02 प्रतिशत से 2009-10 में 64.60 प्रतिशत तक बढ़ गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2008-09 में 1.46 प्रतिशत से 2009-10 में 1.08 प्रतिशत तक घट गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों तथा परिचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय का हिस्सा 2008-09 में 18.82 प्रतिशत एवं 6.41 प्रतिशत से 2009-10 में क्रमशः 20.97 प्रतिशत एवं 8.62 प्रतिशत तक बढ़ गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय 2008-09 में 34.67 प्रतिशत से 2009-10 में 44.51 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.5.3 फ्लैगशिप योजनाएः व्यय की स्थिति

भारत सरकार द्वारा 27 केन्द्रीय सैकटर और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संभावित प्रभावों को पहचानते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित योजनाओं की फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में पहचान की है। निम्नलिखित राशियां केन्द्र सरकार, मंत्रालयों द्वारा हरियाणा सरकार को उनके कार्यकलापों और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/एन.जी.ओज को 2009-10 के दौरान स्कीमों के लिए निर्मुक्त की गई थीं।

तालिका 1.10: हरियाणा में कार्यान्वयित फलैगशिप स्कीमों के अन्तर्गत व्यय निधियों की उपब्रह्मता से तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	प्राप्त निधियां		प्रारम्भिक शेष और अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों का कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों के व्यय की प्रतिशतता
		जी.ओ.आई. से	राज्य का हिस्सा			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	174.45	24.00	368.82	304.19	82
2	एकीकृत वाटर शैड प्रबंधन कार्यक्रम (मरुस्थल विकास कार्यक्रम)	27.22	9.17	63.49	29.45	46
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट	117.89	12.12	188.77	143.56	76
4	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.00	12.20	12.20	12.20	100
5	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	30.23	0.28	46.68	39.83	85
6	इन्द्रिया आवास योजना	52.26	17.42	84.85	80.78	95
7	सर्व शिक्षा अभियान	273.07	182.05	560.39	452.52	81
8	ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम	187.92	2.97	190.89	90.95	48
	(ख) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	40.35	0.00	0.00	40.35	100
9	दोपहर भोजन स्कीम	129.09	47.58	176.67	175.49	99
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	79.41	6.00	85.41	108.13	127
11	राष्ट्रीय उपवन मिशन	56.00	11.25	80.35	80.27	99
12	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना	283.72	0.00	317.93	283.72	89
13	कृषि का बृहत प्रबंध जिसमें वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना और विस्तार सेवाएं सम्मिलित हैं	27.12	3.01	30.13	29.84	99
14	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	0.00	0.34	0.34	0.34	100
15	तेल बीजों, दालों और मक्का पर एकीकृत स्कीम	6.56	2.01	8.65	6.38	74
16	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	लागू नहीं	7.05	7.05	7.05	100
17	राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस एक्शन प्लान	लागू नहीं	1.68	1.68	1.68	100
18	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना	4.51	0.00	135.06	102.34	76
19	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम	12.82	139.49	246.31	215.79	88
20	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	35.32	0.00	37.67	37.67	100
21	राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र	2.03	0.23	2.26	2.23	99
22	कृषि विस्तार	7.38	0.82	8.20	5.86	72

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना)

तालिका 1.10 दर्शाती है कि एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (मरुस्थल विकास कार्यक्रम), ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों (ए) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (बी) मरुस्थल विकास कार्यक्रम, कृषि विस्तार एवं तेल, बीज, दालें तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 46 और 74 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.6 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के गठन के बाद, राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित स्रोतों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में, सरकार को अन्तर्निहित परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कराने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने और वित्तीय परिचालनों में निष्पक्षता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्षों की तुलना में 2009-10 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2010 के अंत में ₹ 411.61 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय वाली 35 सिंचाई परियोजनाओं में से सात के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2009-10 में इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 192.78 करोड़) पूँजीगत परिव्यय का 47 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 184.39 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के बाद, ₹ 12.20 करोड़ की हानि हुई, जो इन परियोजनाओं पर पूँजीगत लागत का तीन प्रतिशत थी।

1.6.2 अधूरी परियोजनायें

31 मार्च 2010 को अधूरी परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना तालिका 1.11 में दी गई है। अधूरी परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि यथा 31 मार्च 2010 पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2009 तक का कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	11	43.69	43.69	23.20
सिंचाई	4	9.54	9.58	6.81
कुल	15	53.23	53.27	30.01

(स्रोत : 2009-10 के लिए राज्य वित्तीय लेरवे)

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि अप्रैल 2008 और मार्च 2010 के बीच थी, परन्तु सिंचाई परियोजनाओं के मामले में ये छः से 23 माह तक परिवर्ती समय फैलाव सहित अपूर्ण थी और मार्ग परियोजनाओं के लिए यह छः से 17 महीनों तक श्रृंखलित रहा। इन परियोजनाओं के पूर्ण करने में देरी के कारणों को विभागों द्वारा नहीं बताया गया।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2010 तक सरकार ने साविधिक विभागों, ग्रामीण बैंकों, सांज्ञा स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 5,575.18 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। पिछले पांच वर्षों में इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.15 प्रतिशत था जबकि 2005 - 10 के दौरान अपनी उधारों पर सरकार ने ब्याज की औसत दर 8.54 प्रतिशत अदा की।

तालिका 1.12 : निवेशों की वापसी

निवेश/वापसी/अधारों की लागत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	2,261.44	3,058.05	3,988.43	5,031.32	881.87	5,575.18
वापसी (₹ करोड़ में)	1.92	5.62	6.05	8.27	9.54	9.60
वापसी (प्रतिशत)	0.09	0.18	0.15	0.16	1.08	0.17
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.95	9.20	7.43	7.82	9.77	9.29
ब्याज दर और वापसी के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.86	9.02	7.28	7.66	8.69	9.12

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2005 - 06 में ₹ 2,261.44 करोड़ से ₹ 3,317.4 करोड़ (147 प्रतिशत) तक बढ़कर 2009 - 10 में ₹ 5,575.18 करोड़ हो गये, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2005 - 06 में ₹ 1.92 करोड़ से 2009 - 10 में ₹ 9.60 करोड़ बढ़ गए। पिछले पांच सालों के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ प्रतिशतता 0.09 से 0.18 तक अल्प श्रृंखलित रही, जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 2005 - 10 के दौरान 7.43 से 9.29 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया। 2009 - 10 के दौरान ₹ 543.86 करोड़ का निवेश बजट प्रावधान (₹ 881.87 करोड़) के अन्तर्गत था।

2009 - 10 तक ₹ 4,948 करोड़ के कुल निवेश सहित 10 सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थीं और 2009 - 10 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 4,592 करोड़ हो गई (अनुलग्नक 1.13)। यह देखना उपयुक्त है कि 2009 - 10 में राज्य सरकार द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल.¹⁴ (₹ 163 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल.¹⁵ (₹ 234 करोड़), एच.पी.जी.एल.¹⁶ (₹ 132 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 529 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान इन चार¹⁷ विद्युत वितरण कम्पनियों की ₹ 4,201 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 4,592 करोड़) का 91 प्रतिशत संघटित किया। मुख्यतः वित्तीय प्रबन्ध, योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, इसके परिचालनों एवं मानिटरिंग¹⁸ में कमियों के कारण नुकसान हुए। इस प्रकार, सरकार को

¹⁴ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

¹⁵ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

¹⁶ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

¹⁷ हानियां: यू.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 2,778 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 1,261 करोड़), एच.पी.जी.सी. (₹ 140 करोड़) तथा एच.बी.पी.एन. (₹ 22 करोड़)।

¹⁸ 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) का अनुच्छेद 1.16

अच्छे प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये न केवल उच्च लागत उधारों को अधिक सूझबूझ से निवेश करने की ही जरूरत है बल्कि अपनी साम्या को नुकसान उठाने वाली इकाईयों से निकालने की भी जरूरत है।

1.6.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उद्यमों द्वारा अर्ध-सरकारी प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष,
जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये हैं, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति,
निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में लगाई गई पूँजी से प्रतिलाभ अनुलग्नक 1.14 में दी गई है।
यह देखा गया है कि:

- उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक राज्य सरकार द्वारा पांच¹⁹
उपक्रमों में ₹ 2,216.79 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- कुल उपक्रमों में से केवल दो ने ₹ 27.73 करोड़ के निवेशित पूँजी के विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ का
लाभ अर्जित किया जिससे 4.76 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई (कृषि
विभाग - कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण और मुद्रण एवं लेखन सामग्री - राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक
योजना)।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से एक उपक्रम जो पांच वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान
में चला (हरियाणा रोडवेज) और एक उपक्रम, जिसका नाम कृषि विभाग है (बीज डिपो योजना),
ने पिछले 22 वर्षों से प्राफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 2,189.06 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध इन तीन²⁰ विभागीय उपक्रमों की संचित हानियां
₹ 230.57 करोड़ थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से भी
कई को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती रही है। तालिका 1.13 31 मार्च 2009 को बकाया ऋणों एवं
अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान व्याज अदायगियों की तुलना में व्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

¹⁹

कृषि विभाग (बीज डिपो योजना), कृषि विभाग (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण), मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बुक स्कीम), खाद्य एवं सप्लाई (ग्रेन सप्लाई योजना) तथा हरियाणा रोडवेज।

²⁰

कृषि विभाग (बीज डिपो योजना): ₹ 0.10 करोड़, खाद्य एवं सप्लाई (ग्रेन सप्लाई योजना):
₹ 132.27 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 98.20 करोड़

तालिका 1.13 : राज्य सरकार द्वारा औसत ब्याज प्राप्त दिये अग्रिमों पर

(₹ करोड़ में)

ऋणों / ब्याज प्राप्तियों / उधारों की लागत की प्रमाणा	2007-08	2008-09	2009-10	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	1,825	1,897		1877
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	286	332	1483	830
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	214	352	267	213
अन्त शेष	1,897	1,877		2494
जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई के लिये लम्बित शेष	1,897	1,877		
निवल योग	72	(-)20	1216	617
ब्याज प्राप्तियां	21	53	80	73
लम्बित ऋणों व अग्रिमों की ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	1.13	2.81		3.34
राज्य सरकार की लम्बित राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	8.06	7.25	7.57	6.96
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच का अन्तर (प्रतिशत)	6.93	4.44		3.62

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

31 मार्च 2009 को ₹ 1,877 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 31 मार्च 2010 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 2,494 करोड़ था। 2009 - 10 में दिये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्ति 3.34 प्रतिशत थी और 2009 - 10 के दौरान सरकारी उधारों पर 9.29 प्रतिशत की भारित ब्याज दर से कम है। ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 73 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 80 करोड़) से काफी कम था। वर्ष के दौरान दिये गये ₹ 830 करोड़ में से ₹ 418 करोड़ शहरी विकास, ₹ 124 करोड़ विद्युत परियोजनाओं, ₹ 96 करोड़ उद्योगों एवं खनिज और ₹ 190 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम दिए गए।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद हो गई थी, के विरुद्ध ₹ 176.31 करोड़ के ऋण बकाया थे। वर्ष 2009 - 10 के प्रारम्भ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 618.44 करोड़ का ऋण बकाया था। पिछले ऋणों की किसी वसूली के बिना इन सहकारी चीनी मिलों को ₹ 72.50 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

1.6.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों में से सरकार द्वारा किये गये निवेशों को तालिका 1.14 दर्शाती है।

तालिका 1.14: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश

(₹ करोड़ में)

विशिष्टताएं	1 अप्रैल 2009 को	31 मार्च 2010 को	बढ़त (+) घटत (-)
रोकड़ शेष	3,404.94	493.42	(-)2911.52
रोकड़ शेषों के निवेश (क से ग)	2,841.58	103.34	(-)2738.24
(क) भारत सरकार के कोषालय बिल	2,841.58	103.34	(-)2738.24
(ख) भारत सरकार सुरक्षाएं	-	-	-
(ग) अन्य सुरक्षाएं	-	-	-
(घ) अन्य निवेश	-	-	-
निवेशों से निर्धारित शेषों का निधिवार विघटन (क से ड.)	1,157.97	1,517.63	(+)359.66
(क) शोधन निधि	289.25	387.94	(+)98.69
(ख) विकास स्कीमों के लिए निधियां	0.11	0.11	-
(ग) हरिजन उत्थान के लिये गावों पुनर्निर्माण निधियां	2.19	2.19	-
(घ) आपदा प्रबन्ध निधि	811.37	1,067.99	(+)256.62
(इ) गांटी विमोचन निधि	55.05	59.40	(+)4.35
ब्याज प्राप्त	302.81	25.40	(-)277.41

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 3,404.94 करोड़ से घटकर ₹ 493.42 करोड़ रह गया। परिणामस्वरूप, रोकड़ शेषों में से निवेश भी ₹ 2,841.38 करोड़ से घटकर ₹ 103.34 करोड़ रह गया। तथापि, चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2009 को ₹ 1,157.97 करोड़ से 31 मार्च 2010 को ₹ 1,517.63 करोड़ होकर ₹ 359.66 करोड़ बढ़ गया जो मुख्यतः आपदा राहत निधि (₹ 256.62 करोड़) और ऋण - निधि में से ₹ 98.69 करोड़ के अधिक निवेश के कारण था। 2008 - 09 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 302.81 करोड़) से 2009 - 10 के दौरान निवेशों पर प्राप्त ₹ 25.40 करोड़ के ब्याज से ₹ 277.41 करोड़ (91.61 प्रतिशत) कम था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2009 - 10 के दौरान सात दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 169.58 करोड़ रखा गया था जिसके लिए सात प्रतिशत की दर पर ₹ 4.17 लाख का ब्याज दिया गया था।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं


1.7.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन पद्धति में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2010 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2009 की सदृश स्थिति से तुलना करके परिशिष्ट 1.5 भाग (क) एवं (ख) में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से बनती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूँजी लागत और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को समाविष्ट करती हैं।

जैसा कि एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में परिभाषित किया गया है “कुल देयता” से अभिप्राय राज्य की सचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करेगा।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है। पिछल वर्ष की तुलना में 2009-10 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरचना को चार्ट 1.11 और 1.12 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2008-09 में ₹ 32,278 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 39,337 करोड़ हो गई। मुख्यतः लोक ऋण (₹ 3,113 करोड़), अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि प्राथमिक (₹ 510 करोड़) और जमा (₹ 310 करोड़) की प्राप्ति में बढ़ोत्तरी के कारण 2009-10 के दौरान उत्पादकता दर पिछले साल से ऊपर 21.87 प्रतिशत थी। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2005-06 में 0.254 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 0.188 प्रतिशत हो गया। 2009-10 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.87 गुणा और राज्य के अपने स्रोतों का 2.46 गुणा थी। 2009-10 वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 2,737 करोड़ (6.96 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि 2009-10 तक ₹ 39,337 करोड़ की कुल राजकोषीय देयताएं राज्य विधायिका में प्रस्तुत 2009-10 के बजट अनुमानों के लिए एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए सप्रक्षेपणों ₹ 39,654 करोड़ की सीमा के भीतर थी। तथापि, यह राशि, राज्य विधायिका को एफ.सी.पी. के प्रक्षेपणों (₹ 36,400 करोड़) से ₹ 2,937 करोड़ (7 प्रतिशत) अधिक था।

सरकार ने 2002 - 03 के दौरान एक समेकित ऋण - निधि स्थापित कर ली है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। 31 मार्च 2010 को ऋण - निधि में बकाया शेष ₹ 390.07 करोड़ था।

1.7.3 गारंटियों - आकस्मिक देयताओं की स्थिति

उधार लेने वाले, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, के दोषी हो जाने पर, गारंटियां वे देयताएं हैं जो राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक आ जाती है। राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.15 में दी गई हैं।

तालिका 1.15: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी		2007-08	2008-09	2009-10	
				बजट	अनुमान
अधिकतम गारंटी राशि		6,341	5,188	1,500	4,757
लम्बित गारंटीड राशि		4,402	4,575	1,500	4,536
कुल राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम गारंटीड राशि		32	28	7	23
राज्य के अपने एफ.सी.पी. के अनुसार मानदण्ड		3,600	3,400		3,200

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2009 - 10 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के बदले कोई राशि अदा नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा गारंटीड 21 मार्च 2010 तक लम्बित अधिकतम राशि ₹ 4,536 करोड़ से राशि निगमों और बोर्डों (₹ 2,002 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 1,822 करोड़), और सरकारी कम्पनियां (₹ 712 करोड़) के संबंध में थी।

कुल देयताओं में से आकस्मिक देयताओं के लिये 2003 - 04 के दौरान राज्य सरकार ने गारंटी ऋण विमोचन निधि का संघटन किया। 31 मार्च 2010 को निधि में शेष ₹ 59.40 करोड़ था। गारंटी ऋणविमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया आमन्त्रित गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि, वर्ष के दौरान जु़ड़ने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप आमन्त्रित होने वाली राशियों को जोड़कर राशि प्रदान करनी थी। राज्य सरकार ने निधि ₹ 4.34 करोड़ का अंशदान किया जोकि लम्बित गारंटियों का एक प्रतिशत था। तथापि, 31 मार्च 2010 को ₹ 4,536 करोड़ की बकाया गारंटी वर्ष के लिये राज्य की एफ.सी.पी. में वर्ष के लिए दिए गए ₹ 3,200 करोड़ के प्रक्षेपण से अधिक थी। 2009 - 10 के दौरान गारंटियों (₹ 43,873 करोड़) को शामिल करके कुल देयताएं जी.एस.डी.पी. का 21 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2010 तक प्राप्त करने के लिये एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में विचार किये गये 28 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी, परन्तु 2009 - 10 के एम.टी.एफ.पी.एस.में प्रक्षेपित राशि (₹ 39,654 करोड़) से उच्चतर थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों के हक में ₹ 5,956 करोड़ के कुल ऋणों के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी किये जिससे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ। यह राशि यदि लम्बित देयताओं (₹ 49,829 करोड़) में सम्मिलित की जाए, जी.एस.डी.पी.का 24 प्रतिशत होगी।

1.8 ऋण पोषण

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण पोषण²¹ को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण²²; गैर - ऋण प्राप्तियों²³ की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों²⁴ की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा मापकर) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संबंध में राज्य सरकार के ऋण का पोषण निर्धारित करता है। तालिका 1.16 2004 - 05 से प्रारम्भ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

²¹ ऋण पोषण, काफी समय तक लगातार ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात कायम करने के लिये राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषणता वर्तमान या सौंपे गये दायित्व की पूर्ति के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने से मेल खानी चाहिये।

²² स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण - जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयुक्त ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (जी.एस.डी.पी. बढ़ोतरी दर - ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण* दर प्रसार), ऋण पोषण शर्ते बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जायेगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।

²³ राज्य की वर्धित गैर - ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने से है। ऋण पोषण को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर - ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।

²⁴ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

तालिका 1.16: ऋण स्थिरता : सूचक एवं प्रवाह

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के सूचक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	2,986	6,857	4,027	(-) 1,283	(-) 5,594
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्ता (संसाधन अंतराल)	920	1,464	(-) 2,443	(-) 5,293	(-) 3,533
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	819	(-) 392	(-) 1,709	1,113	4,682
ब्याज भुगतान का भार (आई पी / आर आर अनुपात)	15	13	12	13	13
राज्य ऋणों की पूर्ण होने की स्थिति (वर्षों में)					
0 1				1,153.46 (5)	14,930.27(6)
1 3				2,790.89 (12)	28,167.40 (12)
3 5				3,892.16 (17)	29,221.95 (13)
5 7				3,871.19 (17)	28,592.97 (13)
7-9					29,287.36 (13)
9-11					30,204.86 (13)
11-13					26,336.62 (12)
13-15					26,239.50 (12)
15 और उपरोक्त					13,288.80 (6)

(सेत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

मूल घाटे के साथ - साथ प्रमात्रा प्रसार 2008 - 09 के (-) ₹ 1,283 करोड़ से आगे घट कर 2009 - 10 में (-) ₹ 5,594 करोड़ हो गया। जिसके परिणामस्वरूप ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ गया था जो मध्यम से लम्बी अवधि में राज्य के ऋण पोषण को खराब करेगा, यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है।

2007 - 10 के दौरान संसाधन अंतर ऋणात्मक रहा तथा प्राथमिक व्यय, यह इंगित करते हुए कि राज्य को अपने स्रोत संघटन प्रयत्नों से ऋण स्थिरीकरण की सुनिश्चितता के लिये कदम उठाने की ज़रूरत है, आंशिक रूप से उधार ली गई निधियों से किया गया था।

उधार ली गई निधियों से निवल निधियों की उपलब्धता स्थिति 2008 - 09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2009 - 10 में ₹ 4,682 करोड़ हो गई। 2009 - 10 के दौरान सरकार ने ₹ 4,000 करोड़ के मार्किट ऋण लिए (₹ 700 करोड़ जिन पर 8.54 प्रतिशत ब्याज, ₹ 400 करोड़ जिन पर ₹ 8.32 प्रतिशत ब्याज, ₹ 1,000 करोड़, ₹ 700 करोड़ और ₹ 1,200 करोड़ जिन पर क्रमशः 8.27 प्रतिशत, 7.83 प्रतिशत और 8.15 प्रतिशत ब्याज था)।

2005 - 10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी का अनुपात कम होकर 15 से 13 हो गया, जो इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज अदायगी का भार कम हो रहा था।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा, जैसा कि तालिका 1.16 में दिया गया है, इंगित करती है कि राज्य सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 12 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 13 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 13 प्रतिशत और सात वर्षों से 9 वर्षों के मध्य 13 प्रतिशत 9 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य 13 प्रतिशत और 11 से 13 वर्ष के मध्य 12 प्रतिशत और 13 से 15 वर्ष के मध्य 12 प्रतिशत और 15 वर्ष के


बाद 6 प्रतिशत की दर से पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपना वित्त पोषण सुधारना होगा।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित समयावधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके स्रोतों एवं वचनबद्धताओं के मध्य अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की घोषक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और बनाये गये स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के आवश्यक संकेतक है। यह खण्ड, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2009-10 के लिये एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटों की प्रवृत्तियां

2005-10 की समयावधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियां चार्ट 1.13 में प्रस्तुत हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.17: 2005-10 की अवधि पर घाटा सूचकों के प्रवाह

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आरडी./जी.एस.डी.पी.	0.011	0.012	0.014	(-) 0.011	(-) 0.020
एफ.डी./जी.एस.डी.पी.	(-) 0.003	0.009	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.048
पी.डी./जी.एस.डी.पी.	0.017	0.026	0.007	(-) 0.023	(-) 0.035

राजस्व घाटा, जो एफ.आर.बी.एम. के अनुसार 2008-09 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था तथा तत्पश्चात् राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जाना था, 2008-09 के दौरान ₹ 2,082 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया जो आगे, राजस्व व्यय में ₹ 4,723 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 2009-10 में ₹ 4,264 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व घाटे में वृद्धि जमा पूंजीगत व्यय (₹ 716 करोड़) में वृद्धि तथा ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 498 करोड़) के संवितरण से 2008-09 में ₹ 6,557 करोड़ से 2009-10 में ₹ 10,090 करोड़ तक ₹ 3,533 करोड़ के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई। इससे 2008-09 में ₹ 4,218 करोड़ से 2009-10 में ₹ 7,353 करोड़ तक प्राथमिक घाटे में ₹ 3,136 करोड़ की वृद्धि हुई। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम मानक के अनुसार, वित्तीय घाटा, जी.एस.डी.पी. के चार प्रतिशत निम्न रखा जाना था परन्तु यह, 2009-10 के दौरान जी.एस.डी.पी. का 4.82 प्रतिशत था।

राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटा, एफ.सी.पी. में वर्ष 2009-10 हेतु निर्धारित क्रमशः ₹ 205 करोड़ एवं ₹ 2,295 करोड़ के लक्ष्य से अधिक थे। राजस्व घाटे, वित्तीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में वृद्धि 2009-10 के दौरान राज्य की बिंगड़ती वित्तीय स्थिति को सूचित करती है।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त प्रबन्ध पद्धति

तालिका 1.18 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्तप्रबन्ध पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है।

तालिका 1.18: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसके वित्त प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विशिष्टताएं	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजकोषीय घाटे का विघटन	(-) 286	(+) 1,179	(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090
1 राजस्व घाटा (-)	(+) 1,213	(+) 1,590	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4,264
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,612	(-) 2,428	(-) 3,416	(-) 4,495	(-) 5,209
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(+) 113	(+) 2,016	(-) 72	20	(-) 617
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रवाह					
1 मार्किट उधारियां	386.94	(-) 147.40	(-) 253.73	2,504.54	3,683.68
2 भारत सरकार ऋण	(-) 70.36	(-) 90.24	(-) 44.98	(-) 47.46	(-) 34.16
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के जारी विशेष सुरक्षाएं	1,860.97	1,099.05	50.56	(-) 79.73	534.43
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	63.70	36.68	250.75	218.88	1,525.45
5 अल्प बचत भविष्य निधि	354.75	364.80	299.32	352.38	861.92
6 रिजर्व निधि	14.12	(-) 48.32	15.23	(-) 4.81	(-) 39.13
7 जमा एवम अग्रिम	158.02	377.70	184.72	216.62	526.64
8 सर्पेस एवम विविध	(-) 2,745.49	(-) 2,496.50	21.69	3,546.38	2,785.98
9 प्रेषण	43.62	(-) 15.63	14.28	(-) 26.63	(-) 282.96
10 कुल अधिक्य (+) घाटा (-)	66.27	(-) 919.86	537.84	6,680.17	9,561.85
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	219.39	(-) 258.90	(+) 726.03	(-) 122.37	528.81
12 कुल राजकोषीय घाटा	286	(-) 1,179	1,264	6,557	10,090

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेरवे)

* 8999 - रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, 2008-09 में ₹ 6,557 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 10,090 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे में बढ़त का कारण राजस्व घाटे में ₹ 2,182 करोड़ की बढ़त, पूंजीगत व्यय में ₹ 714 करोड़ की बढ़त और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 637 करोड़ की बढ़त थी। राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति दर्शाती है कि बाजार-उधारों (₹ 3,683.68 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 1525.45 करोड़), लघु बचतें, भविष्य निधि प्राथमिक (₹ 861.92 करोड़) और जमा एवं अग्रिमों (₹ 526.64 करोड़) में वृद्धि थी, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई।

1.9.3 घाटे/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजी व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) में वियोजन राज्य के वित्तों में घाटे के गुण को इंगित करती है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (तालिका 1.19) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिये जरूरी है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजी व्यय की वृद्धि की ओर रहा है, की ओर संकेत करता है।

तालिका 1.19 : प्राथमिक घाटा/आधिक्य – सूचकों का विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व ²⁵ व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2005-06	14,143	10,540	1,612	177	12,329	3,603	1,814
2006-07	20,153	14,096	2,428	185	16,709	6,057	3,444
2007-08	19,975	15,181	3,426	286	18,893	4,794	1,082
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2005-06 से 2008-09 के दौरान राज्य सरकार के पास प्राथमिक राजस्व आधिक्य घटती प्रवृत्ति में था। यह 2006-07 में ₹ 6,057 करोड़ से घटकर 2008-09 में ₹ 616 करोड़ रह गया। 2009-10 के दौरान प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2005-06 के ₹ 12,329 करोड़ से 2009-10 में ₹ 28,568 करोड़ से ₹ 1,305 करोड़ के घाटे में बदल गया क्योंकि प्राथमिक व्यय में बढ़त हुई (जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम शामिल है) यद्यपि गैर-ऋण प्राप्तियां भी बढ़कर ₹ 18,811 करोड़

²⁵

प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय राजस्व व्यय को छोड़कर ब्याज भुगतान से है।

(2008 - 09) से ₹ 21,215 करोड़ (2009 - 10) हो गया। इस प्रकार, गैर - ऋण प्राप्तियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए कम हो गई जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में बढ़ि द्धि हुई।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व एवं व्यय की प्रवृत्ति: कर राजस्व में 13 प्रतिशत बढ़त राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 14 प्रतिशत की बढ़त आई। 2009 - 10 में कर राजस्व में टी.एफ.सी. के प्रक्षेपण की तुलना में 11 प्रतिशत, एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण की तुलना में 10 प्रतिशत और एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण से चार प्रतिशत की कमी रही। तथापि, कर - भिन्न राजस्व टी.एफ.सी. के प्रक्षेपण से 16 प्रतिशत और एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण से 19 प्रतिशत अधिक था। यह वर्ष के दौरान एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण की तुलना में 24 प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय, जिसने वर्ष के दौरान कुल व्यय का 81 प्रतिशत संघटित किया, पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ गया। इसका एन.पी.आर.ई. घटक, जो ₹ 19,542 करोड़ था, राज्य के लिए टी.एफ.सी. के प्रक्षेपण (₹ 11,374 करोड़) से 72 प्रतिशत, राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 15,930 करोड़) के प्रक्षेपण से 23 प्रतिशत था। तथापि, योजनेतर राजस्व ₹ 19,542 करोड़ का योजनेतर व्यय एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण ₹ 20,201 करोड़ के अन्तर्गत था। गैर - योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2009 - 10 के दौरान लगभग 85 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 3,089 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 2,780 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा 2009 - 10 के राजकोषीय सुधार पथ में ₹ 1,840 करोड़ के राज्य के अपने प्रक्षेपण से 151 गुणा ज्यादा था।

पूंजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 17 प्रतिशत संघटित किया, भी 2008 - 09 की अपेक्षा 2009 - 10 में 16 प्रतिशत तक बढ़ गया। बढ़ते हुए पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा (74 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों में इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में था।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता (₹ 672.52 करोड़), टी.एफ.सी. के प्रक्षेपण (₹ 40.98 करोड़) से 17 गुणा अधिक थी।

राजकोषीय सुधार की ओर वापसी: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम पारित करने वाले शुरूआती राज्यों में से हरियाणा भी एक है। राज्य की राजकोषीय स्थिति, जो राजकोषीय मानकों में प्रवृत्तियों के संबंध में देखी जाती हैं, में राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे / आधिक्य ने 2009 - 10 में पिछले वर्षों की अपेक्षा निम्नतर प्रवाह दिखाया। राजस्व राजकोषीय और प्राथमिक आधिक्य क्रमशः 2008 - 09 के ₹ 2,082 करोड़, ₹ 6,557 करोड़ और ₹ 4,218 करोड़ से 2009 - 10 में ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ और ₹ 7,354 करोड़ हो गए। 2009 - 10 में घाटा लक्ष्य प्राप्त करने में चूक का मुख्य कारण आर्थिक मंदी (जिसका प्रभाव राजस्व प्राप्तियों पर पड़ा) और छठे वेतन आयोग का दिया जाना (जिससे नियोजित व्यय बढ़ गया) था।

कर्ज निर्वहन योग्यता: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित जी.एस.डी.पी. 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2009 - 10 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 49,829 करोड़ थीं जो जी.एस.डी.पी.का 24 प्रतिशत है जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा में था किन्तु 2009 - 10 में एम.टी.एफ.पी.एस. में प्रयोजित (₹ 39,654 करोड़) से उच्चतर था। पिछले वर्षों की अपेक्षा राजस्व घाटे में उभार सूचित करता है कि उच्च दर ऋणों का कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा अपने वर्तमान खर्च पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में हरियाणा सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.9 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सरकार ने इस निवेश पर 7.43 से 9.29 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया (अनुच्छेद 1.6.3)।

अपूर्ण परियोजनाएं: पन्द्रह परियोजनाएं, जो अप्रैल 2008 और मार्च 2010 के बीच पूर्ण की जानी थीं, अब तक अपूर्ण थीं। अपूर्ण परियोजनाओं (अनुच्छेद 1.6.2) का समय व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों को इन डूबी हुई लागतों का लाभ मिल सके।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 1,105.30 करोड़ हस्तान्तरित किए जोकि गत वर्ष से ₹ 82.86 करोड़ (8 प्रतिशत) की वृद्धि थी। जब तक ये निधियां राज्य बजट से बाहर रहती हैं, इनका उपयोग मॉनीटर करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है और किसी विशेष वर्ष में मुख्य ध्वजपोत स्कीमों या अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं किन्तु भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः निधिकृत की जाती हैं, पर किए गए व्यय के आंकड़े एकदम उपलब्ध नहीं हैं।

1.11 अनुशंसाएं

- 2005 के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सक्षम था बशर्ते कि कर अनुपालन में वृद्धि, टैक्स इकट्ठा करने की लागत में कमी, राजस्व बकायों की प्राप्ति और अनुत्पादक व्यय कम करने के प्रयास किए जाएं ताकि घाटों की सीमा अधिनियम में निश्चित की गई सीमाओं में रहे।
- ऋणित निधियां यथासंभव केवल संरचना हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए और राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

- राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसे निवेश करे जिसमें मूल्यों की उचित वापसी हो अन्यथा उच्च मूल्य दर पर लिए गए ऋण कम वित्तीय लाभों वाली परियोजनाओं में लगाए जाते रहेंगे। वे परियोजनाएं, जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों, जिनमें बड़े नुकसान (अनुच्छेद 1.6.3) हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना भी उचित होगा और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए (उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं) या अपनी साम्या का विनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।
- जी.ओ.आई. निधियां, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और अद्यतन की गई सूचना राज्य सरकार और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रभारित और दत्तमत, व्यय की गई राशि तथा विनियोजन अधिनियम द्वारा सूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के तुलनात्मक खर्चों के लेखे है। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजनों को विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट के दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में जो विनियोजन अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, की तुलना में विशिष्ट निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूँजीगत व्यय निर्दिष्ट करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तीय प्रबंधन और बजट संबंधी प्रावधानों के प्रबंधन को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अन्दर है तथा संविधान के प्रावधान के अन्तर्गत, जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे इस प्रकार प्रभारित किया जा रहा है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

26 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2009-10 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय, तत्तुल्यात्मक मूल/पूरक प्रावधानों की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	23,073.07	1,324.48	24,397.55	22,577.47	(-) 1,820.08
	II पूँजीगत	7,217.27	956.33	8,173.60	7,656.98	(-) 516.62
	III ऋण एवं अग्रिम	1,483.27	-*	1,483.27	829.69	(-) 653.58
कुल दत्तमत		31,773.61	2,280.81	34,054.42	31,064.14	(-) 2,990.28
भारित	IV राजस्व	3,120.16	1.42	3,121.58	2,857.80	(-) 263.78
	V पूँजीगत	45.00	0.80	45.80	25.12	(-) 20.68
	VI लोक ऋण - देनदारी	3,685.70	1,092.66	4,778.36	2,745.97	(-) 2,032.39
कुल भारित		6,850.86	1,094.88	7,945.74	5,628.89	(-) 2,316.85
आकर्षित निधि विनियोजन (यदि है तो)		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग		38,624.47	3,375.69	42,000.16	36,693.03	(-) 5,307.13

* चूंकि राशि ₹ 1,000 थी अतः आंकड़ा दर्शाया नहीं गया है।

नोट: उपरोक्त दर्शाएं गए व्यय की राशियां राजस्व शीर्षों (₹ 177.88 करोड़) और पूँजीगत (₹ 2,463.62 करोड़) के अन्तर्गत की गई वसूलियों को व्यय में से घटा कर समायोजित की गई राशियों को लेखे में लिए बिना, सकल राशियां हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ₹ 3,375.69 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, गत वर्ष में 12 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का नौ प्रतिशत बनता था।

₹ 5,307.13 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 23 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 10 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगी) में ₹ 5,746.42 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो कि राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत तीन अनुदानों और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत तीन अनुदानों में ₹ 439.29 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित था। ₹ 439.29 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2010) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2010)। वित, भवन एवं सड़कें, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण एवं पुनर्वास, और शहरी विकास विभागों द्वारा महत्वपूर्ण बचतें/अत्यधिक व्यय किए गए थे।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन

2.3.1 आबंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम ने प्रकट किया कि 25 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 5,698.09 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, 11 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित 14¹ प्रकरणों में बचत ₹ 5,460.01 करोड़ (96 प्रतिशत) थी जिसे तालिका 2.2 में निर्दर्शित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का क्रम एवं नाम	वास्तविक	अनुपरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व – दत्तमत						
1.	4-राजस्व	445.42	101.67	547.09	367.78	179.31
2.	8-भवन एवं सड़कें	869.77	50.00	919.77	808.25	111.52
3.	9-शिक्षा	5,350.51	142.13	5,492.64	5,206.55	286.09
4.	11- शहरी विकास	911.89	-	911.89	334.02	577.87
5.	13-समाज कल्याण एवं पुनर्वास	1,376.63	815.48	2,192.11	2,109.82	82.29
6.	14-खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	243.42	-	243.42	86.99	156.43
7.	15-सिंचाई	3,810.70	114.58	3,925.28	3,558.53	366.75
8.	21-सामुदायिक विकास	1,002.71	-	1,002.71	932.58	70.13
9.	23-परिवहन	1,067.96	-	1,067.96	970.26	97.70
पूंजीगत – दत्तमत						
10.	6-वित्त	3,075.57	-	3,075.57	2,809.01	266.56
राजस्व – भारित						
11.	8-भवन एवं सड़क	1,832.22	159.00	1,991.22	1,600.26	390.96
12.	14-खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	2,834.41	766.23	3,600.64	3,412.21	188.43
13.	25-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,483.27	-	1,483.27	829.69	653.58
पूंजीगत – भारित						
14.	लोक ऋण	3,685.70	1,092.66	4,778.36	2,745.97	2,032.39
कुल		27,990.18	3,241.75	31,231.93	25,771.92	5,460.01

प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

प्रत्येक प्रकरण में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतों के कारणों की व्याख्या नीचे दी गई है:

i अनुदान संख्या “8 – भवन तथा सड़कें” (राजस्व – दत्तमत)

बचत मुख्यतः “3054 – सड़कें तथा भवन”, (₹ 112.28 करोड़) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्य में उत्तरवान प्रचालन के समापन के कारण सामग्री की कम आपूर्ति / अनुपलब्धता तथा अधिक पथकर की प्राप्ति के कारण हुई।

ii अनुदान संख्या “9 – शिक्षा”

बचत मुख्यतः “2202 – सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” (₹ 254.37 करोड़), “मौलिक शिक्षा” (₹ 64.09 करोड़), “विश्व – विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा” (₹ 100.14 करोड़) तथा “2203 – तकनीकी शिक्षा – अभियांत्रिकी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान” (₹ 97.29 करोड़) के अन्तर्गत हुई। वे मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की बजाए वेतन के बकायों के 30 प्रतिशत के भुगतान, मितव्ययी उपायों, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के अन्तर्गत दिशानिर्देशों/बहुलकताओं की अप्राप्ति, विभागीय प्रस्तावों को पूरा न करने, प्राथमिक तथा मिडल स्कूल कक्षाओं में रिक्त पदों के लिए निधियों के अनुचित प्रावधान, इत्यादि के कारण थी। “2202 – सामान्य शिक्षा – 01 मौलिक शिक्षा – 109 स्कालरशिप तथा प्रोत्साहन – 84 – कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए विद्यार्थियों को मासिक स्टाइफंड,” “789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान – 97 – कक्षा I-VIII में अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को मासिक स्टाइफंड,” “03 – विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – 102 – विश्वविद्यालयों को सहायता” तथा “02 – माध्यमिक शिक्षा – 107 – स्कालरशिप” के अन्तर्गत आधिकयों द्वारा बचतों को बराबर कर दिया गया था।

iii अनुदान संख्या “11 – शहरी विकास”

“2217 – शहरी विकास” के अन्तर्गत बचत (₹ 583.35 करोड़) मुख्यतः जी.ओ.आई. द्वारा सहायता – अनुदान की कम निर्मुक्ति, मितव्ययी उपायों, इत्यादि के कारण थी।

iv अनुदान संख्या “14 – खाद्य एवं आपूर्ति” (राजस्व – दत्तमत)

बचत मुख्यतः हारट्रॉन द्वारा स्मार्ट कार्ड स्कीम के अनन्तिमकरण (₹ 137.63 करोड़), गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को दिए गए परिदानों पर किए गए कम व्यय (₹ 12.73 करोड़) तथा महंगाई भत्तों की दरों में कमी तथा कर्मचारियों को वेतन के बकाये की कम निर्मुक्ति (₹ 6.16 करोड़) के कारण शीर्ष “2408 – खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार” के अन्तर्गत हुई थी।

v अनुदान संख्या “15 – सिंचाई”

बचत मुख्यतः “2701 – मध्यम सिंचाई – नाबाई के अधीन पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार” (₹ 180.74 करोड़), “2700 – प्रमुख सिंचाई – पश्चिम जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)”

(₹ 428.54 करोड़) तथा बहुदेश्य नदी परियोजना (वाणिज्यिक)'' (₹ 57.98 करोड़) के अन्तर्गत हुई। ऊर्जा प्रभारों पर कम मांग, मोटे अनुमान के आधार पर छठे वेतन आयोग के अधीन संशोधन के कारण वेतन के बकायों के परिकलन, मितव्ययी उपायों के कारण अभ्यर्पणों, इत्यादि के कारण बचत हुई। “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत” तथा “4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत को बराबर कर दिया गया था।

vi अनुदान संख्या “6 – वित्त” (राजस्व – भारित)

बचत मुख्यतः “2049 - ब्याज भुगतान - आन्तरिक ऋण पर ब्याज” (₹ 370 करोड़) के अन्तर्गत हुई। वे मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा नियत ब्याज की निम्नतर दरों तथा 2009 - 10 के दौरान बाजार के कम उधार लेने के कारण ब्याज के कम भुगतान, आर.बी.आई. से कम अर्थोपाय अग्रिम लेने, पावर बाण्डस के लिए जी.ओ.आई. से कम ऋण प्राप्त करने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम से कम ऋण प्राप्त करने तथा सामान्य बीमा निगम को ब्याज का कम भुगतान करने के कारण थी। “2049 - ब्याज भुगतान - 01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज - 200 अन्य आन्तरिक ऋण पर ब्याज - 95 - भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण” तथा “96 - नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट निधि से ऋण” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत बराबर कर दी गई थी।

vii अनुदान संख्या “8 – भवन तथा सड़कें” (पूंजीगत – दत्तमत)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) द्वारा परियोजनाओं की देशी से संस्थीकृति के कारण शीर्ष “5054 - सड़कों तथा भवनों पर पूंजीगत लागत, 03 - राज्य राजमार्ग, 337 - सड़क कार्य, जिला सड़क” (₹ 439.02 करोड़) के अन्तर्गत तथा स्कीमों के आमेलन, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए थे, के कारण “अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान, 99 - अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण तथा विशेष मरम्मत” (₹ 234.44 करोड़) के अन्तर्गत बचत हुई। “5054 - सड़कों तथा भवनों पर पूंजीगत लागत - 03 - राज्य राजमार्ग - 101 - पुल - 99 - 1 अंबाला - नारायणगढ़ सड़क पर टांगरी नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण” तथा “04 - जिला तथा अन्य सड़कें - 337 - सड़क जल - 98 - ग्रामीण सड़कें” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत को बराबर कर दिया गया था।

viii अनुदान संख्या “14 – खाद्य एवं आपूर्ति” (पूंजीगत – दत्तमत)

वेतन के बकायों की कम निर्मुक्ति तथा हारट्रॉन द्वारा स्मार्ट कार्ड परियोजना के अनन्तिमकरण (₹ 155.77 करोड़), गेहूं तथा धान की अनुमानित से कम खरीद (₹ 140.62 करोड़) तथा हरियाणा भाण्डागार निगम द्वारा एक गोदाम की निर्माण लागत का अन्तिमकरण न करने (₹ 4.16 करोड़) के कारण शीर्ष “4408 - खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत लागत” के अन्तर्गत बचत हुई। “4408 - खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत लागत - 01 - खाद्य - 101 - प्राप्ति तथा आपूर्ति - 97 - पूंजी पर ब्याज” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत को बराबर कर दिया गया था।

ix अनुदान संख्या “25 – राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम”

बचत मुख्यतः जी.ओ.आई. द्वारा निधियां जारी न करने के कारण “6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण” (₹ 376.46 करोड़), मितव्यी उपायों के कारण “6217-शहरी विकास हेतु ऋण” (₹ 132.39 करोड़), हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड से मांग की अप्राप्ति के कारण तथा उपायुक्तों से सम्पूर्ण मामलों की अप्राप्ति के कारण “6515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ऋण (₹ 77.79 करोड़) के अन्तर्गत हुई। आगे, सरकारी कर्मचारियों से ऋणों की कम मांग के कारण “7610-सरकारी सेवकों को ऋण” (₹ 93.75 करोड़), इत्यादि के अन्तर्गत बचत हुई। “6851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग के लिए ऋण-102-स्माल स्केल इंस्ट्रीज” तथा “7610-सहकारी सेवकों इत्यादि को ऋण-201-गृह निर्माण ऋण” तथा “202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत को बराबर कर दिया गया था।

x विनियोजन – “लोक ऋण”

बचत मुख्यतः “6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण” (₹ 2,161 करोड़) के अन्तर्गत हुई। वे, भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम अनाज उठाने से भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट की कम आवश्यकता, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ उठाने पर कम व्यय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से कम ऋणों की प्राप्ति से वर्ष के दौरान ऋणों के कम पुनर्भुगतान के कारण थी। “6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-105-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण-99-नावार्ड से ऋण” के अन्तर्गत आधिक्यों द्वारा बचत को बराबर कर दिया गया था।

2.3.2 निरन्तर बचतें

लोक ऋण के अनुदान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान निरन्तर 10 करोड़ से अधिक की बचत दर्शाई तथा कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या इसके अधिक थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: 2005-10 के दौरान निरन्तर बचत दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का कम एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पूंजीगत (प्रभारित)						
1.	लोक ऋण	38 (473.43)	38 (684.02)	62 (1,375.17)	46 (1,097.31)	42 (2,032.39)

बचत, नकद उधार सीमा के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक से ऋणों की प्राप्ति में कमी के कारण हुई।

2.3.3 अधिक व्यय

चार प्रकरणों में ₹ 439.22 करोड़ का कुल स्वर्च प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों के ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक तक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया था। विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिए गए हैं। इनमें से अनुदान संख्या “15 - सिंचाई” के प्रकरण में (तालिका 2.4) लगातार पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से भी अधिक का ज्यादा व्यय अवलोकित किया गया।

तालिका 2.4: 2005 – 10 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का क्रम एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पूंजीगत (बतमत्त)						
	15 - सिंचाई	19(118.60)	17 (182.81)	29 (278.72)	12 (171.01)	12 (177.25)

अधिक व्यय मुख्यतः शीर्ष “4701 - कौशल्या बांध पर मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत” (₹ 24.51 करोड़), “नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार” (₹ 199.08 करोड़) तथा “जल के समान वितरण हेतु नई माइनर” (₹ 44.28 करोड़) के अन्तर्गत हुआ।

शीर्ष “2071 - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” (₹ 200.50 करोड़) के अन्तर्गत परिशिष्ट 2.2 में “अनुदान संख्या 6 - वित्त” के अन्तर्गत दर्शाया गया आधिक्य वर्ष के दौरान पेंशन संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण था।

2.3.4 प्रावधान के बिना किया गया व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, किसी भी योजना/सेवा पर धन राशि के प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना है। तथापि यह देखा गया कि तालिका 2.5 में वर्णित 24 प्रकरणों में ₹ 546.26 करोड़ का व्यय किया हुआ था जिस के लिए न तो मूल अनुमानों/अनुपूरक मांगों में और न ही पुनर्विनियोजन के माध्यम से कोई प्रावधान किया गया था।

तालिका 2.5: 2009 – 10 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान का क्रम एवं नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियां
15-सिंचाई	0.33	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 02 - पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 101 - अनुरक्षण तथा मरम्मत, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.27	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 18 - गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	338.59	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 800 - अन्य व्यय, 99 - ब्याज” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	4.84	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।

अनुदान का क्रम एवं नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियां
	2.15	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 94 - मुख्य अभियंता सिंचाई” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	1.71	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 01 - बहुदेश्य नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 800 - अन्य व्यय, 99 - ब्याज” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.74	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 001 - निर्देश तथा प्रशासन, 99 - मुख्य अभियंता” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	1.02	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 95 - विशेष राजस्व स्टाफ” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.24	शीर्ष “2700 - प्रमुख सिंचाई, 09 - नंगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	77.16	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 16 - विद्यमान चैनलों/डेनेज प्रणाली पुनर्निर्माण, 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 99 - स्थापना व्यय” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	3.01	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	6.26	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 99 - स्थापना व्यय” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	8.51	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 14 - दादूपुर नई सिंचाई परियोजना, 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 99 - स्थापना व्यय” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	4.05	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 05 - जवाहर लाल नेहरू परियोजना (वाणिज्यिक), 001 - निर्देशन तथा प्रशासन, 99 - स्थापना व्यय” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.92	शीर्ष “4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 13 - कैनाल प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग, 001 - निर्देश तथा प्रशासन, 99 - स्थापना व्यय” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	5.02	शीर्ष “4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 07 - नाबार्ड के अधीन पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.24	शीर्ष “4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 06 - जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.23	शीर्ष “4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 800 - अन्य व्यय, 98 - नलकूपों में आगमेंट का संस्थापन” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	39.41	शीर्ष “4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत, 01 - बाढ़ नियंत्रण, 800 - अन्य व्यय, 99 - बाढ़ उत्पादन एवं महाविपदा तत्परता” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।

अनुदान का क्रम एवं नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियां
	30.79	शीर्ष “ 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत, 001 - निदेश तथा प्रशासन, 800 - अन्य व्यय, 97 - कार्यान्वयन” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.50	शीर्ष “ 4700 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 06 - जल के समान वितरण हेतु नई माइनर, 19 - कौशल्या बांध, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	0.30	शीर्ष “ 4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत, 13 - कैनाल प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग, 799 - उचंत, 99 - उचंत” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
4.राजस्व	0.17	वर्ष के दौरान राज्य में बाढ़ न आने तथा उपायुक्तों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण पुनः विनियोजन के माध्यम से अविवेकपूर्वक ₹ 5.00 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के पश्चात शीर्ष “ 2245 - प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत, 05 - आपदा राहत निधि, 122 - क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापन” के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
21.सामुदायिक विकास	19.80	यद्यपि बजट में ₹ 19.80 करोड़ का प्रावधान किया गया था, इसे अविवेकपूर्ण तरीके से आहरित किया गया था। तत्पश्चात व्यय, शीर्ष “ 3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए मुआवजा व अभिहस्तांकरण - 200 - अन्य विविध मुआवजा व अभिहस्तांकरण - 92 - स्थानीय इलाका विकास कर (एल.ए.डी.टी.) प्राप्तियों का पंचायती राज संस्थाओं को अभिहस्तांकरण” के अंतर्गत किया गया था। स्कीम को अंतिम स्वरूप न दे पाने के कारण मूल प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
योग	546.26	

2.3.5 बजट अनुदान समाप्त न होने देने के लिए धन राशि की निकासी

पंजाब वित्त नियमावली के नियम 2.10 (6)(5) जो कि हरियाणा को भी लागू होती है, के प्रावधानों के अनुसार कोई भी धन राशि खवाने से तब तक नहीं निकलवाई जानी चाहिए जब तक कि उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। 12 आहरण व वितरण अधिकारियों, जिन की लेरवापरीक्षा वर्ष 2009 - 10 के दौरान की गई थी, ने ₹ 50.04² करोड़ की कुल राशि, जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है, निकलवाई थी जो कि न तो उद्देश्य विशेष के लिए पूर्णतया व्यय की गई थी और न ही वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी खातों को अभ्यर्पित की गई थी।

यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष की अंतिम तिमाही या वर्ष के अंतिम दिन जो धन राशि निकाली गई थी उसे भी तिजोरी या बैंक खाते में इस लिए रखा गया ताकि बजट अनुदान समाप्त न हो।

2.3.6 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अनुदान/विनियोजन से अधिक व्यय को राज्य विधान सभा से नियमित करवाए। यद्यपि अनुच्छेद के

² 2006 - 07: ₹ 19.71 करोड़; 2007 - 08: ₹ 12.42 करोड़, 2008 - 09: ₹ 17.87 करोड़ तथा 2009 - 10: ₹ 0.04 करोड़।

अन्तर्गत, व्यय के नियमित करवाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर विचार विमर्श संपूर्ण होने के पश्चात ही अधिक व्यय को नियमित करवाया जाता है। तथापि, वर्ष 2008-09 हेतु छः अनुदानों (संख्या 3, 8, 10, 15, 20 तथा 22) के विस्तृत ₹ 302.63 करोड़ के अधिक व्यय को अभी नियमित करवाया जाना था।

2.3.7 2009-10 के दौरान प्रावधान से अधिक किए गए व्यय जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

तालिका 2.6 में वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य की सचित निधि में से छः अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल ₹ 439.29 करोड़ का अधिकृत व्यय से अधिक व्यय का सार समाविष्ट है और जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित करवाना अनिवार्य है।

तालिका 2.6: वर्ष 2009-10 के दौरान प्रावधान से अधिक किया गया व्यय जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)				
1.	6-वित्त	22,42,66,65,000	24,37,28,82,581	1,94,62,17,581
2.	10- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	17,11,72,22,000	17,73,47,86,262	61,75,64,262
	उप - योग	39,54,38,87,000	42,10,76,68,843	2,56,37,81,843
राजस्व (भारित)				
1.	3-गृह	26,89,49,000	32,48,17,722	5,58,68,722
2.	10- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	40,04,000	46,80,865	6,76,865
	उप - योग	27,29,53,000	32,94,98,587	5,65,45,587
पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	15- सिंचाई	14,53,00,05,000	16,30,25,43,840	1,77,25,38,840
	उप - योग	14,53,00,05,000	16,30,25,43,840	1,77,25,38,840
	सकल योग	54,34,68,45,000	58,73,97,11,270	4,39,28,66,270

सरकार को अगस्त 2010 में अधिक व्यय के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2010)।

2.3.8 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

नौ प्रकरणों, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख से अधिक, में प्राप्त किया गया ₹ 1,662.82 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित है। ₹ 17.83 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, एक प्रकरण में अपर्याप्त साबित हुआ और ₹ 61.76 करोड़ का कुल अधिक व्यय अछूता ही रहा (परिशिष्ट 2.5)।

2.3.9 निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई में से, जिसमें बचत संभावित है, दूसरी इकाई में जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, धन का हस्तांतरण है। अतर्कसंगत पुनर्विनियोजन अत्यधिक अथवा अपर्याप्त साबित हुआ और परिणामतया, 95 उप-शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,167.18 करोड़ से भी अधिक की बचत संभावित हुई और 50 उप-शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,285.34 करोड़ से भी अधिक का आधिक्य था और प्रत्येक प्रकरण में आधिक्य ₹ एक करोड़ से अधिक का था। 22 उप-शीर्षों में, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित किया गया है, ₹ 10 करोड़ से भी अधिक का आधिक्य/बचत थी। 15³ प्रकरणों में धन राशि का पुनर्विनियोजन अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई गई धन राशि से कहीं अधिक थी। इसी प्रकार छः⁴ प्रकरणों में पुनर्विनियोजन द्वारा कम की गई धन राशि अनीतिपूर्ण साबित हुई क्योंकि अधिक किया गया व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधान से कहीं अधिक था।

33⁵ प्रकरणों में, धन राशि के अनीति पूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25 करोड़ से अधिक राशि का आधिक्य/बचत रही।

2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

सात प्रकरणों में, वास्तविक बचत से अधिक धन राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अभ्यर्पित की गई जो कि इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण में कमी अथवा अपर्याप्तता को दर्शाता है। ₹ 713.94 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 1,177.57 करोड़ अभ्यर्पित किए गए जिस के परिणामस्वरूप ₹ 463.63 करोड़ बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिए गए। इस का विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है। एक प्रकरण में (परिशिष्ट 2.7 की क्रम संख्या 6) व्यय समग्र अनुदान/विनियोजन से अधिक था फिर भी धन राशि का अभ्यर्पण कर दिया गया।

2.3.11 संभावित बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई

पंजाब बजट नियमपुस्तिका के अनुच्छेद 13.2, जो कि हरियाणा को भी लागू होता है, के अनुसार यदि बचत की संभावना हो तो व्ययी विभाग को अनुदान/विनियोजन या उसका अंश, जो भी हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। वर्ष 2009 - 10 की समाप्ति पर आठ अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 10 प्रकरणों में ₹ 3,194.31 करोड़ की समग्र बचत में से (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक की बचत दर्शाई गई थी) ₹ 855.92 करोड़ की कुल धन राशि (समग्र बचत का 27 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2010 के

³ परिशिष्ट 2.6 की क्रम संख्या 13, 14, 15, 28, 38, 40, 80, 91, 110, 112, 114, 115, 117, 118 तथा 119.

⁴ परिशिष्ट 2.6 की क्रम संख्या 41, 42, 44, 60, 99 तथा 108.

⁵ परिशिष्ट 2.6 की क्रम संख्या 6, 9, 14, 16, 26, 27, 28, 41, 42, 53, 54, 56, 59, 61, 72, 73, 77, 78, 81, 82, 83, 88, 92, 99, 100, 104, 108, 109, 110, 111, 115, 140 तथा 144.

अंतिम दो दिनों में 23 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक धन राशि का अभ्यर्पण) ₹ 5,132.42 करोड़ (**परिशिष्ट 2.9**) की धन राशि अभ्यर्पित की गई जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के साथ इस तथ्य को भी उजागर करता है कि इस धन राशि का अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।

2.3.12 व्यय की अधिकता

वित्तीय नियमों के अनुसार, सरकारी धन का व्यय पूरे वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय की आक्रामकता का परिहार करना चाहिए। इसके विरुद्ध, मार्च 2010 में अथवा वर्ष के अन्त पर, **परिशिष्ट 2.10** में दी गई सूची के अनुसार 16 अनुदानों/विनियोजनों के 31 शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ से अधिक व वर्ष भर में कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय किया गया।

आगे जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2009 - 10 के दौरान 15 अनुदानों तथा एक विनियोजन के अन्तर्गत 31 मुख्य शीर्षों पर ₹ 9,901.43 करोड़ व्यय की गई धन राशि में से ₹ 5,687.65 करोड़ (57 प्रतिशत) की धन राशि वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की गई जिस में से भी ₹ 3,203.45 करोड़ (32 प्रतिशत) की धन राशि मार्च 2010 में व्यय की गई थी। वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेषतया, मार्च माह में किये जाने वाले भारी व्यय ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन दर्शाया।

2.4 बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां

राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः

- वित्त विभाग द्वारा दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन के आदेश जारी करने के कारण दोषयुक्त बजट के 13 प्रकरण (**परिशिष्ट 2.11**) ध्यान में आए जिनमें ₹ 189 करोड़ निहित थे।
- इन में से, नौ प्रकरणों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधानों (₹ 113.28 करोड़) की कमी अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इन प्रकरणों में ₹ 100.42 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। ₹ 1,655.48 करोड़ के व्यय के चार प्रकरणों में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों (₹ 76 करोड़) की वृद्धि अविवेकपूर्ण रही क्योंकि इन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 78.21 करोड़ की बचत थी।
- तीन अनुदानों में आवेष्टित (अनुदान संख्या 3, 6 व 7) चार⁶ प्रकरणों में ₹ 1.78 करोड़ का व्यय, जो कि 'नई सेवा /सेवा का नया उपकरण' माना जाना था, विधानपालिका की स्वीकृति के बिना किया गया था।

⁶ परिशिष्ट 2.11 की क्रम संख्या 15, 16, 17 तथा 18.

- दत्तमत अनुदान संख्या “17 - कृषि (राजस्व) ” में ₹ 25.52 करोड़ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 26.97 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे। चूंकि बचत उस सीमा तक उपलब्ध नहीं थी अतः प्रमुख शीर्ष “2402 - मृदा एवं जल संरक्षण प्लान” के अन्तर्गत ₹ 5.95 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश को ध्यान में नहीं रखा गया था।
- सरकार द्वारा अनुसरण की गई सकल बजटीय पद्धति के अन्तर्गत, विधानसभा के पास अनुदानों के लिए मांगें सकल व्यय के लिए प्रस्तुत की जाती हैं और इन में सभी जमा व वसूलियां सम्मिलित रहती हैं। इन्हें लेखाओं में व्यय से घटा कर समायोजित किया जाता है। संभावित वसूलियां व जमा बजट अनुमानों में पृथक - पृथक दर्शाएं जाते हैं। यद्यपि, वर्ष 2009 - 10 के लिए अनुदान संख्या ‘15 - सिंचाई’ के अन्तर्गत बजट अनुमानों में वसूली का प्रावधान नहीं किया गया था, ₹ 58.11 करोड़ की वसूली की गई थी। आगे, छ: अनुदानों के संबंध में, वास्तविक वसूलियां (₹ 2,583.39 करोड़) अनुमानित वसूलियों (₹ 3,661.77 करोड़) से ₹ 1,078.38 करोड़ तक कम थी। वसूलियों के विवरण विनियोजन लेखाओं के परिशिष्ट में दिए गए हैं। अनुमानित वसूलियों और वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विशाल अंतर ने दोषयुक्त बजटीय पद्धति को निर्देशित किया।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “4 - राजस्व⁷” तथा अनुदान संख्या “7 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं⁸”) के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा 2008 - 09 के दौरान असामान्य बचत के आधार पर संचालित की गई (जुलाई तथा अगस्त 2010) थी। 2009 - 10 हेतु इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

2.5.1 अनुदान संख्या 4 - राजस्व:

- राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 547.09 करोड़ (मूल: ₹ 445.42 करोड़ तथा पूरक: ₹ 101.67 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 367.78 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 179.31 करोड़ (कुल प्रावधान का 33 प्रतिशत) की बचत हुई। अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त किया गया ₹ 101.67 करोड़ का पूरक प्रावधान ₹ 179.31 करोड़ की बचत के दृष्टिगत अनावश्यक सिद्ध हुआ।

⁷ 4 - राजस्व, 8 - भवन व सड़कें, 10 - चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य, 14 - खाद्य एवं आपूर्ति, 17 - कृषि तथा 23 - परिवहन।

⁸ “2029 - भू - राजस्व”, “2030 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन”, “2245 - प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत”, “2056 - भू - सुधार” तथा “3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं” से संबंधित।

⁹ “2058 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण”, “2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं” तथा “2075 - विविध सामान्य सेवाएं” से संबंधित।

- ii) ₹ 179.31 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 179.42 करोड़ की राशि 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित की गई थी परिणामतः ₹ 10 लाख का अतिरिक्त अभ्यर्पण हुआ।
- iii) “2245 - प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत” (₹ 163.36 करोड़), “2506 - भू - सुधार” (₹ 15.95 करोड़), “2029 - भू - राजस्व (योजनेत्तर)” (₹ 0.29 करोड़) तथा “3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं” (₹ 0.05 करोड़) के अन्तर्गत हुई बचत के निम्नलिखित कारण थे:
- क) भिवानी जिला के किसानों, जिनकी फसलें सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, को मुआवजे का भुगतान न करना (₹ 101.67 करोड़), राज्य के अन्य भागों में सूखा तथा बाढ़ की घटना न होना (₹ 48.96 करोड़) तथा उपायुक्तों से मांग (₹ 16.96 करोड़) की अप्राप्ति;
- ख) राष्ट्रीय भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई ₹ 14.89 करोड़ की निधियां आवश्यक लेरवा शीर्ष न खोलने के कारण अप्रयुक्त पड़ी रही। विभाग ने विलम्ब, लेरवा शीर्ष खोलने के लिए लम्बी प्रक्रिया को आरोपित किया (सितम्बर 2010);
- ग) भारत सरकार द्वारा कृषीय जनगणना के लिए पटवारियों को मानदेय की दरों का संशोधन न करना जिसके लिए शीर्ष “2029 - भू - राजस्व - 103 - भू - अभिलेख - मुख्यालय स्टॉफ” के अन्तर्गत प्रदान किए गए ₹ 0.30 करोड़ अप्रयुक्त रहे; तथा
- घ) मांग के बिना शीर्ष “2029 - भू - राजस्व - 800 - अन्य व्यय” के अन्तर्गत ₹ 0.49 करोड़ की निधियां प्रदान करने के परिणामस्वरूप राशि अप्रयुक्त रही।

2.5.2 अनुदान संख्या “7 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं”:

- i) राजस्व (दत्तमत) लेरवा के अन्तर्गत ₹ 76.18 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 72.36 करोड़ था परिणामतः ₹ 3.82 करोड़ की बचत हुई जिसमें से ₹ 3.50 करोड़ 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किये गए थे तथा ₹ 0.32 लाख अनभ्यर्पित पड़े रहे।
- ii) राजस्व लेरवा के भारित विनियोजन के अन्तर्गत ₹ 59 करोड़ (पूरक ₹ 3.50 करोड़ सहित) के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 53.05 करोड़ था, परिणामतः ₹ 5.95 करोड़ की बचत हुई जिसमें से मात्र ₹ चार करोड़ 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा ₹ 1.95 करोड़ अनभ्यर्पित पड़े रहे। ₹ 5.95 करोड़ की बचत के दृष्टिगत ₹ 3.50 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था।

इस अनुदान के अन्तर्गत बचत के कारण निम्नलिखित थे:

- क) सिविल डिफेंस को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए ₹ 0.58 करोड़ दर्ज करने के लिए आवश्यक लेखा शीर्ष न खोलना। विभाग ने लेखा शीर्ष खोलने में विलम्ब, लम्बी प्रक्रिया को आरोपित किया (अगस्त 2010); तथा
- ख) शीर्ष “2058 - लेखन - सामग्री तथा मुद्रण” के अन्तर्गत प्रदान किए गए ₹ 1.57 करोड़ मूल्य की मुद्रण तथा लेखन - सामग्री मदों की कम खरीद क्योंकि उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति ने मितव्यी उपायों के कारण क्रय की अनुमति नहीं दी।

2.5.3 अन्य रोचक प्रसंगः

(i) बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा 2009 - 10 के बजट अनुमान 2009 - 10 के लिए 3 अक्टूबर 2008 से पहले वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। अठारह विभागाध्यक्षों (अनुदान संख्या 4: 5 तथा अनुदान संख्या 7: 13) ने 16 तथा 163 दिनों (परिशिष्ट 2.12) के विलम्ब के पश्चात् अपने बजट अनुमान वित्त विभाग को प्रस्तुत किए।

(ii) अनुदान पर अधिक व्यय

प्रमुख शीर्ष “2245 - प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत - 282 - जन स्वास्थ्य” के अन्तर्गत बी.ई. - 2009 - 10 में ₹ पांच करोड़ का प्रावधान ₹ 0.50 करोड़ तक कम कर दिया गया था जिसके विरुद्ध जन - स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग ने ₹ 1.42 करोड़ का व्यय किया। ₹ 0.92 करोड़ के आधिक्य को अभी नियमित किया जाना था (सितम्बर 2010)।

(iii) अनुदानों के निर्गम में त्रुटि

चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए शीर्ष “2070 - अन्य प्रशासनिक व्यय - 107 - होम गार्डस” के अन्तर्गत वर्ष 2009 - 10 के लिए ₹ सात लाख का प्रावधान किया गया था। इसके विरुद्ध, वित्त विभाग ने गलती से ₹ 17 लाख की संस्वीकृति जारी की (मार्च 2009)। ₹ 10.68 लाख के वास्तविक व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 3.68 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.6

निष्कर्ष

कुल ₹ 42,000.16 करोड़ के अनुदानों एवं विनियोजनों के विरुद्ध 2009-10 के दौरान ₹ 36,693.02 करोड़ का खर्च हुआ। समेकित ₹ 5,307.13 करोड़ की बचत ₹ 5,746.42 करोड़ की कुल बचत में से थी जिसमें ₹ 439.29 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित किए जाने की आवश्यकता थी। सात प्रकरणों में कुल ₹ 1,177.57 करोड़ प्रतिसमर्पित किए गए (हर प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक), वास्तविक बचतों से ₹ 463.63 करोड़ तक अधिक थे जो इन विभागों में बजट नियंत्रण नहीं/कम होने के सूचक थे। दस मामलों में ₹ 3,194.31 करोड़ की बचत में से ₹ 855.92 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे। 23 प्रकरणों में ₹ 5,132.42 करोड़ का प्रतिसमर्पण वित्तीय वर्ष के आखिरी दो कार्यकारी दिनों में हुआ। अतर्कसंगत पुनर्विनियोजन के प्रकरण भी देखे गए।

2.7

अनुशंसाएं

सभी सरकारी विभागों, जिनमें पिछले पांच वर्षों से लगातार अधिकताएं/बचतें देखी गई, में बजट नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। वर्ष के अन्त में निधि निर्गमन से बचा जाना चाहिए।

अध्याय – ३
वित्तीय प्रतिवेदन करना

वित्तीय प्रतिवेदन करना

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देता है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना के साथ - साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन करने की यथासमयता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी व परिचालित हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना में राज्य सरकार का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाती है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्रेषित करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसे कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों के लिये उपयोगिता प्रमाण - पत्र (यूसीज़) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त करने चाहिये और सत्यापन के बाद ये, उचित समय के अन्दर, बशर्ते कि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार को प्रेषित किये जाने चाहिए। तथापि, ₹ 8,887.80 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 17,446 यूसीज़ में से ₹ 3,437.09 करोड़ की कुल राशि के 3,002 यूसीज़ (17 प्रतिशत) बकाया में थे। 31 मार्च 2010 को देय, प्राप्त एवं लम्बित यूसीज़ का विभागवार विघटन परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। यूसीज़ के प्रस्तुतिकरण में आयु - वार विलम्ब तालिका 3.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के आयु - वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की श्रृंखला	प्रदत्त कुल अनुदान		लम्बित उपयोगिता प्रमाण - पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 - 1	1234	2053.37	1069	1778.41
2	1 - 3	1725	2427.73	689	1183.31
3	3 - 5	3582	1058.32	269	253.35
4	5 - 7	6249	1375.56	381	182.35
5	7 - 9	3191	1180.64	519	32.06
6	9 एवं अधिक	1465	792.18	75	7.61
कुल		17446	8,887.80	3002	3,437.09

तालिका 3.1 ने दर्शाया कि 3,002 लम्बित यूसीज़ में से, 1,244 यूसीज़ (41 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक पुराने थे। विभागवार विघटन के विश्लेषण ने दर्शाया कि विकास एवं पंचायत, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा, शहरी विकास विभागों से लम्बित यूसीज़ कुल लम्बित

यू.सी.जे का 87 प्रतिशत थे जिसमें निर्मुक्त अनुदान का 78 प्रतिशत आवेष्टित था। 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन - राज्य के वित्त - हरियाणा सरकार में इंगित किये जाने के बावजूद, 2009 - 10 के दौरान विभागों द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 2,340 लम्बित यू.सी.जे के विरुद्ध केवल 400 यू.सी.जे (17 प्रतिशत) प्रेषित किये गये थे। ये न केवल प्रशासनिक विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की कमी को निर्देशित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किये बिना नये अनुदान सवितरित करने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

3.2 लेरवाओं के अप्रस्तुतिकरण / प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिये जो नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. अधिनियम - 1971) के अनुभाग 14 व 15 के अन्तर्गत लेरवापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार / विभागाध्यक्षों के लिये अपेक्षित है कि वो विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेरवापरीक्षा को प्रेषित करें। प्राप्त सूचना के आधार पर 177 निकायों / प्राधिकारियों ने तत्रैव अधिनियम के अनुभाग 14 के अन्तर्गत लेरवापरीक्षा आकर्षित किया। 2009 - 10 के दौरान 72 निकायों / प्राधिकारियों की लेरवापरीक्षा की गई थी।

2009 - 10 तक देय 160 स्वायत्त निकायों / प्राधिकारियों से संबंधित कुल 298 वार्षिक लेरवे जुलाई 2010 तक प्रधान महालेखाकार (लेरवापरीक्षा) के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये थे। इन लेरवाओं के ब्यौरे परिशिष्ट 3.2 में दिये गये हैं और उनकी आयु - वार लम्बामान तालिका 3.2 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों / प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेरवाओं के आयु - वार बकाये

क्र. सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब	लेरवाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	95	206.05
2.	1-3	81	349.16
3.	3-5	39	42.55
4.	5-7	24	26.08
5.	7-9	7	12.60
6.	9 एवं अधिक	52	55.40

तालिका 3.2 दर्शाती है कि ₹ 94.08 करोड़ के अनुदान से आवेष्टित 83 वार्षिक लेरवे (28 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक के लिये बकाये में थे। आगे की समीक्षा ने प्रकट किया कि 50¹ नगरपालिका समितियों, जिन्हें ₹ 425.45 करोड़ की राशि के अनुदान 1982 - 83 और 2008 - 09 के बीच निर्मुक्त किए गए थे,

¹ परिशिष्ट 3.2 की क्रम संख्या 1 से 50 तक।

से संबंधित 154 वार्षिक लेखे (52 प्रतिशत) प्राप्त नहीं हुए थे। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकारी सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 के अनुभाग 14 के प्रावधान आकर्षित करते हैं या नहीं।

3.3 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कृषि, आवास, श्रम कल्याण, शहरी विकास, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आरज.) के जारी करने और इनके विधानसभा में प्रस्तुतिकरण को परिशिष्ट 3.3 में निर्देशित किया गया है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में एस.ए.आरज. के रखने में विलम्बताओं के अनुसार स्वायत्त निकायों के बारम्बारता वितरण को तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3 : लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलम्बतायें

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्बताये (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण	विधानसभा में एस.ए.आरज. के प्रस्तुतिकरण में विलम्बताये (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण
0 1	-	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।	0 - 1	6	विलम्ब के लिये कारण विभागों द्वारा सूचित नहीं किये गये।
1 - 6	-		1 - 2	5	
6 - 12	4		2 - 3	-	
12 - 18	-		3 - 4	-	
18 - 24	4		4 - 5	-	
24 एवं अधिक	13		5 एवं अधिक	-	
योग	21			11	

इसके आगे अवलोकित किया गया कि 11² स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 13 वर्षों (1996 - 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किये थे।

3.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध - वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले विशेष सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वो वित्तीय परिचालनों के प्रक्रिया परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में

²

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, झज्जर, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी प्रक्रिया का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय सेहत और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी कार्य - कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं से समय पर अन्तिमकरण करने के अभाव में, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा / राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतया, जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्य - कुशलता को सुधारने के लिए शोधक उपाय, यदि अपेक्षित हो, समय पर नहीं किये जा सकते। वित्तम्ब के अतिरिक्त धोखेबाजी के जोखिम और जनता के धन के रिसाव की संभावना है।

सरकार में विभागाध्यक्षों को सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम अपने प्रपत्र लेखे तैयार करे और इन्हें एक विशिष्ट समय - सीमा के अन्दर लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करे। जून 2010 तक, इस प्रकार के पांच उपक्रमों में से चार ने 2008 - 09 तक भी अपने लेखे तैयार नहीं किये थे। जिस वित्तीय वर्ष तक उनके लेखे पूर्ण किये गये थे, की समाप्ति पर इन उपक्रमों में ₹ 2,216.79 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थीं। 31 मार्च 2005 को ₹ 366.33 करोड़ का सरकारी निवेश रखने वाले हरियाणा सड़क परिवहन के प्रोफार्मा लेखे 2005 - 06 से बकायों में थे। सी.ए.जी. ने राज्य प्रतिवेदन - सिविल में लेखों के तैयार करने में बार - बार बकायों के बारे टिप्पणी की थी, लेकिन इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग - वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसे कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को महसूस करना चाहिए कि उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या उपेक्षा से उत्पन्न किसी हानि, उस सीमा तक कि हानि में उसने अपने कार्य अथवा उपेक्षा से सहयोग दिया, के लिये वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। इसके आगे, तत्रैव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार को प्रतिवेदित किये जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.85 करोड़ से आवेष्टित सरकारी धन के दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि के 208 मामले प्रतिवेदित किये जिन पर जून 2010 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग - वार विघटन और आयु - वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। लम्बित मामलों की आयु पार्श्वदृश्य और प्रत्येक श्रेणी - चोरी और दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि में लम्बित मामलों की संख्या तालिका 3.4 में संक्षेपित की गई है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, गबन, इत्यादि का पार्श्वदृश्य

लम्बित मामलों का आयु-पार्श्वदृश्य			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेस्टित राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप / विशेषतायें	मामलों की संख्या	आवेस्टित राशि (₹ लाख में)
0 - 5	41	48.01	चोरी	138	87.03
5 - 10	45	73.67			
10 - 15	35	26.88	सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	85	101.60
15 - 20	34	22.48			
20 - 25	29	8.12	कुल	223	188.63
25 एवं अधिक	24	6.14	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	15	3.33
योग	208	185.30	कुल लम्बित मामले	208	185.30

मामलों के लम्बित रहने के लिये कारण तालिका 3.5 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

तालिका 3.5: दुर्विनियोजन, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिये कारण

लम्बित मामलों के अन्तिमकरण में विलम्बों के लिये कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	126	89.60
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिये आदेशों की प्रतीक्षा में	65	56.31
iii)	न्यायालयों में लम्बित	17	39.39
योग		208	185.30

कुल हानि मामलों में से, 61 प्रतिशत सरकारी धन/भण्डारों की चोरी से संबंधित थे, जो कि निर्देशित करता है कि सरकारी सम्पत्ति/नकद इत्यादि की सुरक्षा के लिये उचित कदम, जैसे कि नियमों में निर्धारित है, विभागों द्वारा नहीं उठाये गये थे। इसके आगे, हानियों के 60 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 31 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के केवल आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। इसके आगे देरवा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन इत्यादि के कारण हानियों के 208 मामलों में से 167 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 24 मामले 25 वर्षों से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई थी बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही भी नहीं हुई।

3.6 निष्कर्ष

आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन करना सुशासन का एक गुण है लेकिन यह प्रभावी नहीं था क्योंकि कई पहलुओं पर वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों और निर्देशों की अपालना थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलम्ब थे जिसके कारण अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा लेरवाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप सी.ए.जी. द्वारा लेरवापरीक्षा संचालित करने के लिये संस्थाओं की पहचान नहीं हुई। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिसकी लेरवापरीक्षा सी.ए.जी. को सौंपी गई थी और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रम, लम्बी अवधि से अपने अन्तिम लेरवे तैयार नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति की सरकार को जानकारी नहीं थी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों की बहुत बड़ी संख्या थी जिनके लिए विभागीय कार्यवाही लम्बी अवधि से लम्बित थी। सुशासन के लिये, इन मामलों पर उचित स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.7 अनुशंसाएं

उपयोग प्रमाण - पत्रों के समय पर प्रस्तुतिकरण पर नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने कि स्वायत्त निकायों इत्यादि द्वारा लेरवाओं के समय पर प्रस्तुतिकरण से पृथक पूर्ववर्ती अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अनुवर्ती अनुदान जारी किए जाते हैं, के लिए सरकारी विभागों की आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुटूँ किए जाने की आवश्यकता है। चोरी एवं दुर्विनियोजन इत्यादि के प्रकरणों में उचित कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

(सुषमा दाबक)

चण्डीगढ़

दिनांक : 30 जनवरी 2011

(सुषमा वि. दाबक)
प्रधान महालेरवाकार (लेरवापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 31 जनवरी 2011

(विनोद राय)

भारत के नियन्त्रक - महालेरवापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

1.1

राज्य पार्श्वक

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1, 1.3.1, 1.4.1 तथा 1.4.2; पृष्ठ 1, 14, 17 एवं 20)

क्र. सं.	सामान्य डाटा	विवरण	आंकड़े	
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या			
	क 2001 की जनगणना अनुसार		2.11 कोड	
	ख 2009-10		2.48 करोड	
3	जनसंख्या घनत्व(2001) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		478 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=27.5 प्रतिशत)		14 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत=64.8 प्रतिशत)		67.91 प्रतिशत	
6	शिशु मूल्य - दर(1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=53 प्रति 1000 सजीव जन्म)		55	
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63-5 वर्ष)		66.2 वर्ष	
8	गिनी सहकारी कारण ¹			
	क ग्रामीण(अखिल भारतीय= 0-30)		0.32	
	ख शहरी(अखिल भारतीय= 0-37)		0.36	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2009-10		2,09,510 करोड	
10	जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर ³ (2000-01 से 2009-10)		15.30 प्रतिशत	
11	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2000-01 से 2009-10)		13.24 प्रतिशत	
12	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर	हरियाणा	15.37 प्रतिशत	
13	(2000-01 से 2008-09)	अन्य सामान्य श्रेणी	12.50 प्रतिशत	
14	जनसंख्या वृद्धि(2000-01 से 2009-10)	हरियाणा	17.58 प्रतिशत	
15		अन्य सामान्य श्रेणी	13.42 प्रतिशत	
ख.	वित्तीय आंकड़े			
क्र. सं.	विवरण	आंकड़े(प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.	2000-01 से 2008-09		
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	
		क राजस्व प्राप्तियों का	14.40	13.77
		ख स्वयं कर राजस्व	13.59	13.24
		ग कर भिन्न राजस्व का	12.08	10.67
		घ कल व्यय का	12.38	13.98
		ड पूर्जीगत व्यय का	21.41	15.26
		च शिक्षा पर राजस्व व्यय का	9.33	14.21
		छ स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	8.95	12.09
ज बेतन एंव मजदूरियों का	9.37	11.63		
झ पेशन का	12.03	13.87		
			17.24	

स्रोत: – वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (आयोजना आयोग तथा एन.एस.एस.ओ. डाटा 6वीं राऊंड एच.टी.टी.पी. /प्लानिंग कमीशन. निक. इन/डाटा / डाटाबेस/डाटा 0910 /टैब % 2021 पी.डी.एफ.), गिनी सहकारी कारण (आयोजना आयोग एंव एन.एस.एस.ओ. डाटा के गैर सरकारी अनुमान 6वीं राऊंड 2004 – 05 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मूल्य दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण (2009 – 10) तथा जनसंख्या की सघनता (आर्थिक एवं सार्विक वृद्धि दर।

¹ यह आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।

² जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य धरेलू उत्पाद।

³ सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

सरकारी लेखे का ढांचा : राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित ‘राज्य की समेकित निधि’ शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।

भाग II : आकस्मिक निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की वापसी निधि को कर दी जाती है।

भाग III : लोक लेखा : अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।

परिशिष्ट

1.2

भाग ख : वित्त लेखाओं का प्रदर्शन

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)

विवरणी	प्रदर्शन
वित्त लेखे दो खण्डों में विभाजित होते हैं। खण्ड - I - सामान्य रूप से समझा आने वाले संक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहीं इनका विस्तृत विवरण खण्ड - II में दर्शाया जाता है।	
खण्ड I में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र नीचे दिए गए चार संक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते हैं।	
विवरणी संख्या - 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती है के समेकित आँकड़े इस विवरण में दर्शाये जाते हैं। सम्पत्तियाँ वित्तीय सरकारी परिसम्पत्तियों होती हैं जिन पर अभी तक का पूंजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।
विवरणी संख्या - 2	प्राप्तियाँ एवं संवितरण की विवरणी: यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा - समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी संवितरणों एवं प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूंजीगत खातों की प्राप्तियों एवं प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है।
	सरकार के राजकोषीय मानदण्ड जैसे प्रारम्भिक, राजस्व एवं राजकोषीय घटा सरकार की समेकित निधि, के प्रचालन के आधार पर गणना किए जाते हैं। इस प्रकार निम्न दो विवरणियां समेकित निधि के प्रचालन को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।
विवरणी संख्या - 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) : इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियों को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 4	व्ययों की विवरणी (समेकित निधि) : यह विवरणी न केवल कारों द्वारा व्यय (गतिविधि) प्रदान करती है बल्कि गतिविधि (व्यय के उद्देश्य) के स्वरूप द्वारा व्यय को संक्षेपित भी करती है।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1 जिसमें सरकार के रोकड शेष और रोकड शेषों के निवेश का विवरण है। खण्ड II में तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग में निम्न 6 विवरणियाँ होती हैं:	
विवरणी संख्या - 5	संचित पूंजीगत व्ययों की विवरणी: इस विवरणी में कारों में विस्तृत संचित पूंजीगत व्यय होते हैं, जिनके जोड़ विवरणी 1 में दर्शाये जाते हैं।
विवरणी संख्या - 6	कर्ज तथा अन्य देनदारियों की विवरणी: सरकार के कर्जों में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल हैं। यह दोनों मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियों जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष है, को दर्शाती है। देनदारियों हैं। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिप्पणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल व्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी शामिल होती है।
विवरणी संख्या - 7	सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणी: राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी - 1 में तथा वसूली संवितरण विवरणी संख्या 2,3 व 4 में दर्शाये जाते हैं। इसमें ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते हैं। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिप्पणी होती है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।

विवरणी	प्रदर्शन
विवरणी संख्या - 8	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान की विवरणी: समूह अनुसार सहायतानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिप्पणी भी शामिल होती है।
विवरणी संख्या - 9	सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी की विवरणी: वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।
विवरणी संख्या - 10	भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणी: इस विवरणी में भारित एवं दत्तमत व्ययों का विवरण होता है।
खण्ड - II भाग - II: इसमें खण्ड - I व खण्ड - II के भाग - I संबंधित विवरणियों में दिये लघु शीर्षों के लेन देनों से संबंधित विस्तृत विवरणों को दर्शाने वाली नौ विवरणियाँ होती हैं।	
विवरणी संख्या - 11	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: इसमें सरकार की राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण होता है।
विवरणी संख्या - 12	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के राजस्व व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर तथा योजनागत व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के कार्यों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है।
विवरणी संख्या - 13	पूँजीगत व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के पूँजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनागत व योजनेतर व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के व्ययों के साथ दनकी तुलना भी दर्शाई जाती है। सचित पूँजीगत व्यय जो वर्ष के अंत तक होते हैं उन्हें भी इसमें दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में चालू वर्ष व गत व गत वर्ष में सरकार के हिस्सा पूँजी व ऋणपत्रों में किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें शेयर्स के प्रकार उनकी मूल कीमत व प्राप्त लाभांश को भी दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 15	आहरण एवं अन्य दायित्वों की विवरणी: इसमें आहरणों (सरकार द्वारा बाजार से लिए गए व भारत सरकार से लिए गए ऋणों) की लघु शीर्ष अनुसार व लिए गए सभी ऋणों की भुगतान तिथि एवं उनके पुनर्भुगतान का विवरण इस विवरणी में दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 6 में भाग 1 के खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 16	सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों की विवरणी: इस विवरणी में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों, उनके बदले हुए ऋण शेषों, बट्टे खाते डाले ऋणों, ऋणों से प्राप्त व्याज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इसमें योजनागत ऋणों को भी अलग से दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 7 के भाग - I खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 17	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्ययों की निधियों के स्रोत एवं उनके क्रियान्वयन की विस्तृत विवरणी: इसमें पूँजीगत एवं अन्य व्ययों (राजस्व लेखों को छोड़कर तथा व्यय के लिए निधि के अन्य स्रोतों) के विस्तृत विवरण को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 18	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन - देनों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि पर प्रभारित व्ययों, निधि के विनोयोजन, व्ययों प्रतिपूर्ति धनराशि आदि को दर्शाया जाता है। इसमें लोक लेखा के लेन - देनों का विस्तृत विवरण भी होता है।
विवरणी संख्या - 19	चिन्हित शेषों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में लोक लेखा की सचित निधि से किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण होता है।

परिशिष्ट

1.3

भाग क : वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत (परिशिष्ट 1.2 का भाग ख) विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु टी.एफ.सी. द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्पादकता सह - दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई हैं, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,05,393	1,30,236	1,54,231	1,82,588	2,09,510
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	13.72	22.41	18.42	18.39	14.74

स्रोत: निवेशालय आर्थिक एवं सार्विकी विश्लेषण, हरियाणा

नोट: आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2006 – 07 एवं 2007 – 08, त्वरित अनुमान 2008 – 09 तथा अग्रिम अनुमान 2009 – 10 पर हैं।

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्पादकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर / जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्पादकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर / पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि / गत वर्ष राशि).]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत व्याज	व्याज भुगतान/[(गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)]*100
व्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत व्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * व्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त व्याज	प्राप्त व्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष)]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा – व्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटाव सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर योजनेतर राजस्व व्यय – ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

**हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2005 की हरियाणा अधिनियम संख्या 6)**

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में राजस्व घाटे का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता से सुसंगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा मध्यम कालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (क) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, कहा जा सकता है।
(ख) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -
(क) “बजट” से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन हरियाणा राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण,
(ख) “चालू वर्ष” से अभिप्राय है, आगामी वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;
(ग) “आगामी वर्ष” से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;
(घ) “वित्तीय वर्ष” से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला तथा ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
(ड.) “जी.एस.डी.पी.” से अभिप्राय है, चालू बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;
(च) “राजकोषीय घाटा” राजस्व प्राप्तियों, कर्जों की वसूली तथा गैर ऋण पूँजी प्राप्तियों से संकलित संवितरण (शुद्ध ऋण के पुनः भुगतान) से आधिक्य है;
(छ) “राजकोषीय सूचक” ऐसे सूचक हैं जो राज्य सरकार की राजकोषीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए विहित किए जाएं।
(ज) “राजकोषीय लक्ष्य” राजकोषीय सूचकों के लिये संख्यात्मक उच्चक मूल्य तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) का या जी.एस.डी.पी. का अनुपात है;
(झ) “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(ज) “पूर्व वर्ष” से अभिप्राय है, चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

- (ट) “राजस्व घाटा” से अभिप्राय है, राजस्व खर्च तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) के बीच का अन्तर;
- व्याख्या:** कुल राजस्व प्राप्तियों में शामिल है राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर तथा कर रहित दोनों) तथा केन्द्र से चालू अन्तरण (अनुदानों तथा केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से को समाविष्ट करके)
- (ठ) “विशेष प्रयोजन साधन” से अभिप्राय है, राज्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशिष्ट प्रयोजनों के लिये वित्तीय संव्यवहारों या वित्तीय संस्थाओं या बाजार से कर्ज लेने के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशिष्ट समानुदेशनों/कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन या संस्थान;
- (ड) “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार; तथा
- (ढ) “कुल दायित्वों” से अभिप्राय है, राज्य की सचित निधि तथा राज्य के लोक लेखे के अधीन दायित्वों तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधनों तथा प्रतिभूतियों सहित अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां मूल तथा /या ब्याज, राज्य बजट में से दिए जाने हैं, भी शामिल होंगे।

3. राज्य सरकार:

- (क) राजस्व घाटे का विलोपन करने तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाए रखने तथा पोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने तथा परिसम्पत्तियों के आधिक्य में या नियंत्रण पूँजी खर्च के लिए दायित्वों के निर्वहन के लिए ऐसे अधिशेष, उपयोग हेतु समुचित उपाय करेगी;
- (ख) लागत वसूली तथा साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए कर रहित राजस्व को बढ़ाने के लिए नीतियां जारी करेगी; तथा
- (ग) पूँजी खर्च की प्राथमिकता के लिए मानक अधिकथित करेगी तथा ऐसी खर्च नीतियां जारी करेगी जिनसे आर्थिक विकास, गरीबी घटाने तथा मानव कल्याण के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात्:

- (क) राजकोषीय नीति उद्देश्यों की स्थापना में पारदर्शिता, लोक नीति के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय सूचना का प्रकाशन ताकि लोक राजकोषीय नीति के संचालन तथा लोक वित्तों की स्थिति की संवीक्षा करने में समर्थ हों;
- (ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थिरता तथा प्रकथनीयता तथा रीति जिसमें राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को ढृढ़ बनाए;
- (ग) लोक वित्तों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व, जिसमें बजट बनाने की सत्यनिष्ठा शामिल है;
- (घ) स्पष्टतौर पर सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के नीति निर्णय भावी पीढ़ी पर उनकी वित्तीय विदक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हैं; तथा
- (ड) राजकोषीय नीति को बनाने तथा कार्यान्वयन करने में तथा पब्लिक सैक्टर तुलन-पत्र की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रबन्धन में दक्षता।

5. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख बजट के साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित विवरण रखेगी, अर्थात् :-
 (क) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण;
 (ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण; तथा
 (ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण।
6. वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण ऐसे रूप में होगा, जो विहित किया जाए, जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का अति विचार, विकास तथा जी0एस0डी0पी0 के क्षेत्रीय संयोजन का विश्लेषण, राज्य सरकार के वित्तों तथा भावी प्रत्याशाओं से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।
7. (क) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में नीचे बताई गई पूर्वाधारणा के स्पष्ट कथन के साथ विहित राजकोषीय सूचकों के लिए तीन वर्षीय चल प्रवृत्ति लक्ष्य दिया जाएगा।
 (ख) विशिष्टित्या तथा उपधारा (1) में दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजकोषीय विवरण में राजकोषीय सूचकों के पीछे विभिन्न पूर्व धारणाओं तथा स्थिरता से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण शामिल होंगे:-
 (i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च के बीच का अतिशेष;
 (ii) पूंजी प्राप्तियां, जिसमें उत्पादक परिसम्पत्तियां उत्पन्न करने के लिए उधार लेना शामिल है, का उपयोग; तथा
 (iii) आगामी दस वर्ष के लिए जीवनांकिक आधार पर गणन किए गए अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।

परन्तु यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्व की गणना करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार उस अवधि के दौरान विकास दरों के रूप के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्वों का अनुमान लगा सकती है।

- (8) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे रूप में होगा जो विहित किया जाए तथा इसमें अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा -
 (क) कराधान, खर्च, उधार लेने तथा अन्य दायित्व (जिसमें पब्लिक सैक्टर उपकरणों तथा विशेष प्रयोजन साधन तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहाँ पुनः भुगतान के लिए दायित्व राज्य सरकार पर है, शामिल हैं), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपयोग प्रभार तथा अन्य क्रिया - कलापों का विवरण जैसे कि प्रतिभूतियां तथा पब्लिक सैक्टर उपकरण जो संभावित बजट विवक्षा रखते हैं के क्रिया - कलापों से संबंधित आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां;
 (ख) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिक योजना;
 (ग) कराधान, आर्थिक सहायता, खर्च, उधार लेना तथा सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं

- पर उपभोग - प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी मुख्य परिवर्तन के लिए आधारभूत राजकोषीय उपाय तथा मूलाधार; तथा
- (घ) धारा 4 में उपर्णित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों की तुलना में राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन, धारा 7 की उपधारा (1) में मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में उपर्णित राजकोषीय उद्देश्य तथा धारा 9 में उपर्णित राजकोषीय लक्ष्य होंगे।
9. (क) राज्य सरकार ऐसे लक्ष्य जो वह राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, विहित कर सकती है।
- (ख) विशिष्टित्या तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार -
- (i) वित्त वर्ष 2005 - 06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करेगी ताकि 2008 - 09 तक इसे शून्य तक लाया जा सके तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष उत्पन्न किया जा सके।
 - (ii) वित्त 2005 - 06 तक उत्तरोत्तर राजकोषीय घाटा कम करेगी ताकि मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष तक जी.एस.डी.पी. तीन प्रतिशत से अधिक न हो सके:
 - (iii) वित्त वर्ष 2005 - 06 से शुरू होने वाली तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि बकाया कुल ऋण आकस्मिक दायित्व सहित उस वर्ष के लिए अनुमानित जी०एस०डी०पी० के 28 प्रतिशत से अधिक न हो:
- परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशान्ति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य आपवादित आधार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है:
- परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में विवरण पूर्वोक्त लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
10. (क) राज्य सरकार लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा कम से कम यथा साध्य बजट को तैयार करने में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी;
- (ख) विशिष्टित्या तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट प्रस्तुत करते समय विस्तृत सूचना ऐसे रूप में, जो विहित की जाए, सहित निम्नलिखित पर प्रकटीकरण करेगी:-
- (i) राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले गणन मानकों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का;
 - (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों / ओवर ड्राफ्ट द्वारा लिए गए उधारों के ब्यौरे का।

- (ग) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त तथा तत्वत् मूल राशि का पुनः भुगतान तथा/या किसी पृथक विधिक परिसम्पत्तियों का ब्याज भुगतान करने के लिए वचन देती है तो ऐसा दायित्व इस प्रकार दर्शाना होगा जैसे कि राज्य का उधार हो।
11. (क) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री (जिसे, इसमें, इसके बाद “वित्त मंत्री” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), बजट आकलनों के संबंध में प्राप्तियों तथा खर्च के रूप का अर्धवार्षिक पुनर्विलोकन करेगा तथा ऐसे पुनर्विलोकनों के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।
- (ख) जब कभी वहां राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित अभ्यन्तर वर्ष लक्ष्यों के विषय में या तो राजस्व में कभी या खर्चों की अधिकता हो जाती है तो राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के लिए तथा/या खर्च घटाने के लिए जिसमें राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा प्रयुक्ति की जाने वाली प्राधिकृत राशियों की काट छांट भी शामिल है, समुचित उपाय करेगी:
- परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर प्रभारित खर्च या कोई अन्य खर्च जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है, जो स्थगित या घटाया नहीं जा सकता, को लागू नहीं होगी।
- (ग) (i) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने में कोई भी परिवर्तन राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (ii) जहां अकलिप्त परिस्थितियों के कारण, कोई परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने के लिए किया जाता है, तो वहां वित्त मंत्री राज्य विधानमण्डल के सदन में स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित के बारे में विवरण देगा:-
- (कक) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध दायित्वों के निर्वहन करने में किसी परिवर्तन का;
- (करव) चाहे ऐसा परिवर्तन मूलभूत है तथा वास्तविक या सम्भाव्य बजट निष्कर्ष से संबंधित है; तथा
- (कग) प्रतिकारी उपाय, जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।
- (घ) वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोई उपाय, जिससे राजस्व घाटे में या तो खर्च में बढ़ोत्तरी या राजस्व में कभी करके बढ़ोत्तरी की जा सकती है, ऐसी बढ़ोत्तरी या कभी तटस्थ करने के लिए प्रस्तावित प्रतिकारी उपाय के विवरण सहित होगे तथा ऐसा विवरण राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
- (ङ) राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करेगी तथा ऐसे पुनर्विलोकनों को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगी।

12. किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशावित हैं, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वृद्धि अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी।
13. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे तथा उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
14. (क) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, कर सकती है; बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
 (ख) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।
15. (क) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
 (ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :-
 (i) धारा 6 के अधीन वृहत् आर्थित रूपरेखा विवरण का प्रारूप;
 (ii) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति का प्रारूप जिसमें धारा 7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए चल प्रवृत्ति लक्ष्य भी शामिल है;
 (iii) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति योजना विवरण का प्रारूप;
 (iv) धारा 10 की उप - धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण के लिए प्रारूप;
 (v) अनुपालन लागू करने के उपाय;
 (vi) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; तथा
 (vii) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।
 (ग) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा यदि सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तो तत्पश्चात् यह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

परिशिष्ट

1.4

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 11 एवं 33)

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
भाग - क : प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	13,853	17,952	19,751	18,452	20,993
(i) कर राजस्व	9,079(65)	10,928(61)	11,618(59)	11,655(63)	13,220(63)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	5,604(62)	6,853 (63)	7,721(67)	8,155(70)	9,032(68)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,107(12)	1,217 (11)	1,379(12)	1,419(12)	2,059(16)
वाहनों पर कर	172(2)	224 (2)	234(2)	239(2)	277(2)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण कीस	1,340(15)	1,765 (16)	1,763(15)	1,326(12)	1,294(10)
भू - राजस्व	13	13 (-)	9 (-)	9(-)	9
माल एवं यात्रियों पर कर	758 (8)	738 (7)	379(3)	370(3)	392(3)
बिजली पर कर एवं शुल्क	62(1)	98 (1)	108(1)	106(1)	120(1)
अन्य कर	23	20	25	31	37
(ii) कर - भिन्न राजस्व	2,458(18)	4,591 (26)	5,097(26)	3,238(18)	2,741(13)
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	1,201(9)	1,296 (7)	1,634(8)	1,725(9)	1,775(8)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1,115(8)	1,138 (6)	1,402(7)	1,834(10)	3,257(16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	10	7	9
3. ऋणों एवं अधिमों की वसूलियां	290	2,201	214	352	213
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	14,143	20,153	19,975	18,811	21,215
5. लोक ऋण प्राप्तियां	3,349	2,012	844	3,888	8,455
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्रॉफ्ट रहित)	3,309(99)	1,990(99)	776(92)	3,822(98)	8,320(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्रॉफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन - देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ⁴	40(1)	22 (1)	68(8)	66(2)	135(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	17,492	22,165	20,819	22,699	29,670
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखे प्राप्तियां	5,461	6,732	9,433	12,308	15,789
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	22,953	28,897	30,252	35,007	45,459 ⁵
भाग - ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	12,640	16,362	17,527	20,534	25,257
योजनागत	2,015(16)	2,454 (15)	3,176(18)	3,918(19)	5,715(23)
योजनेतर	10,625(84)	13,908 (85)	14,351(82)	16,616(81)	19,542(77) ⁶
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	4,580(36)	4,845 (30)	5,230(30)	6,024(30)	7,755(31)
आर्थिक सेवाएं	3,815(31)	6,627 (40)	6,222(35)	7,035(34)	7,530(30)
सामाजिक सेवाएं	3,995(32)	4,615 (28)	5,739(33)	7,259(35)	9,902(39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	250(1)	275 (2)	337(2)	216(1)	70(-)

⁴ भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

⁵ उच्चतर दिशा में दुर्लक्ष (राऊंडेड)।

⁶ निम्नतर दिशा में दुर्लक्ष (राऊंडेड)।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
11. पूँजीगत व्यय	1,612	2,428	3,426	4,502	5218
योजनागत	1,652(102)	2,486 (102)	3,411(100)	3,990(89)	4,203(81)
योजनेत्तर	(-)40 (-) (2)	(-) 59 (-2)	15	512(11)	1,015(19)
सामान्य सेवाएं	82(5)	90 (4)	171(5)	195(4)	187(4)
आर्थिक सेवाएं	1,091(68)	1,689 (68)	2,333(68)	3,198(71)	3,961(76)
सामाजिक सेवाएं	439(27)	649 (26)	922(27)	1,109(25)	1,070(20)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	177	185	286	332	830
13. कुल (10+11+12)	14,429	18,975	21,239	25,368	31,305 ^b
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	1,107	1,114	841	1,292	2,746(94)
आन्तरिक ऋण (आर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	997(90)	1,002 (90)	728(87)	1,178(91)	2,576(94)
आर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	110(10)	112 (10)	113(13)	114(9)	170(6)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल सवितरण (13+14+15)	15,536	20,089	22,080	26,660	34,051
17. आकस्मिक निधि सवितरण	--	-	-	-	-
18. लोक लेरवे सवितरण	5,564	5,395	8,818	11,442	14,320
19. राज्य द्वारा कुल सवितरण (16+17+18)	21,100	25,484	30,898	38,102	48,371
भाग - ग : घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(+) 1,213	(+) 1,590	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4264
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-) 286	(+) 1,179	(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	1,814	(+) 3,444	(+) 1,082	(-) 4,218	(-) 7,353
भाग - घ : अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,100	2,265	2,346	2,339	2,737
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	842	922	1,572	2,053	1,947
25. आर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	-	-	92(5)	170
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज ⁷	-	-	-	0.04	0.05
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁸	1,06,393	1,30,236	1,54,231	1,82,588	209,510
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	27,023	28,616	29,118	32,278	39,337
29. ब्याज सहित बकाया गारंटीयां (वर्ष के अन्त में)	5,644	5,074	4,402	4,575	4536
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	8,448	12,694	6,341	5,188	4757
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	22	20	23	29	15
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	43.65	36.30	74.74	85.60	30.00
33. राजस्व का बकाया (कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	1,432 (12)	1,602 (10)	1,982 (12)	2,367 (16)	3232

⁷ अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 5.44 लाख का ब्याज 4.75 प्रतिशत की दर पर दिया गया था।

⁸ आर्थिक एवं सार्विकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकड़े संचारित थे। 2006-07 एवं 2007-08 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकड़े अस्थाई अनुमान पर हैं, 2008-09 तुरन्त अनुमान और 2009-10 अग्रिम अनुमान पर हैं।

परिशिष्ट 1.4

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
भाग – ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	0.085	0.084	0.075	0.064	0.063
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व /जी.एस.डी.पी.	0.023	0.035	0.033	0.018	0.013
केन्द्रीय अन्तरण /जी.एस.डी.पी.	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय /जी.एस.डी.पी.	0.133	0.146	0.138	0.139	0.149
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियां	1.042	1.057	1.075	1.375	1.491
राजस्व व्यय /कुल व्यय	0.876	0.862	0.825	0.809	0.807
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	0.307	0.277	0.314	0.330	0.364
आर्थिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	0.340	0.438	0.403	0.403	0.374
पूँजीगत व्यय /कुल व्यय	0.112	0.128	0.161	0.177	0.167
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	0.106	0.123	0.153	0.170	0.161
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य) /जी.एस.डी.पी.	0.011	0.012	0.014	(-) 0.011	(-) 0.020
राजकोषीय घाटा /जी.एस.डी.पी.	(-) 0.003	0.009	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.048
प्राथमिक घाटा (आधिक्य) /जी.एस.डी.पी.	0.017	0.026	0.007	(-) 0.023	(-) 0.035
राजस्व घाटा /वित्तीय घाटा	(-) 4.241	1.349	(-) 1.759	0.318	0.423
प्राथमिक राजस्व शेष /जी.एस.डी.पी.	0.005	0.006	0.005	(-) 0.023	(-) 0.034
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं /जी.एस.डी.पी.	0.254	0.220	0.189	0.177	0.188
वित्तीय देयताएं /आर.आर	1.951	1.594	1.474	1.749	1.187
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	1.598	1.317	0.409	(-) 1.437	4.181
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज) /कुल ऋण प्राप्तियां	0.876	1.072	1.338	0.897	0.740
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर आवर्त	1.92	5.62	6.05	8.27	9.60
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2424	3087	4300	572	(-) 117
वित्तीय परिसम्पत्तियां /देयताएं	0.79	0.86	0.94	0.88	0.80

परिशिष्ट

1.5

भाग क : वर्ष 2009 – 10 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 32)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण					
2008-09			2009-10	2008-09	योजनेतर	योजनागत	योग	2009-10
	भाग क: राजस्व							
18,452.31	I. राजस्व प्राप्तियां		20,992.66	20,534.73	I. राजस्व व्यय	19,542.62	5,714.77	25,257.39
11,655.28	कर राजस्व	13,219.50		6,024.47	सामान्य सेवाएं	7,687.33	68.02	7,755.35
3,238.45	कर भिन्न राजस्व	2,741.40		7,258.73	सामाजिक सेवाएं	5,887.63	4,014.59	9,902.22
1,724.62	संघीय करों का राज्य का हिस्सा	1,774.47		3,854.30	शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	3,735.61	1,470.94	5,206.55
523.37	योजनेतर अनुदान	1,617.33		724.80	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	698.87	323.07	1,021.94
731.32	राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	920.37		1,170.65	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	845.56	248.34	1,093.90
579.27	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान	719.59		53.44	सूचना एवं प्रसारण	45.03	24.44	69.47
				121.09	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	25.66	135.65	161.31
				145.44	श्रम एवं श्रम कल्याण	135.41	50.96	186.37
				1,183.28	समाज कल्याण एवं पोषण	395.10	1,761.19	2,156.29
				5.73	अन्य	6.39	-	6.39
				7,035.75	आर्थिक सेवाएं	5,897.75	1,632.16	7,529.91
				939.60	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	674.05	448.28	1,122.33
				843.73	ग्रामीण विकास	295.62	573.49	869.11
				-	विंशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
				755.44	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	617.21	241.26	858.47
				3,012.06	ऊर्जा	2,779.85	8.02	2,787.87
				73.17	उद्योग एवं खनिज	36.34	33.46	69.80
				1,277.17	यातायात	1,462.31	19.22	1,481.53
				9.51	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.02	33.07	35.09
				125.07	सामान्य आर्थिक सेवाएं	30.35	275.36	305.71
				215.78	सहायता अनुदान तथा अंशदान	69.91	-	69.91
2,082.42	II. भाग रख को अधिनीत राजस्व घटाता		4,264.73		भाग (ख) को अधिनीत राजस्व सरप्लस			
20,534.73	योग भाग क		25,257.39	20,534.73		19,542.62	5,714.77	25,257.39
	भाग रख – अन्य							
6,500.06	III. स्थायी अधिनीत एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष		3,404.94	-	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्रॉफ्ट			
6.80	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियां		9.39	4,501.67	IV. पूँजीगत परिव्यय	1,015.19	4,203.29	5,218.48
				194.81	सामान्य सेवाएं	-	187.37	187.37
				1,109.28	सामाजिक सेवाएं	-	1,070.00	1,070.00
				90.54	शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य		113.71	113.71
				44.14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	74.59	74.59
				855.77	जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास		769.29	769.29
				-	सूचना एवं प्रसारण			

परिशिष्ट 1.5 (भाग क)

2008-09	प्राप्तियां	2009-10	2008-09	संवितरण			2009-10
				योजनेतर	योजनागत	योग	
			2.40	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		2.80	2.80
			15.32	समाज कल्याण एवं पोषण		17.59	17.59
			101.11	अन्य		92.02	92.02
			3,197.58	आर्थिक सेवाएं	1,015.19	2,945.92	3,961.11
			549.35	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,014.59	16.47	1,031.06
			811.39	सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	-	756.36	756.36
			855.70	ऊर्जा	-	898.82	898.82
			83.23	उद्योग एवं खनिज	-	1.69	1.69
			878.81	यातायात	0.60	1,246.63	1,247.23
			19.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	25.95	25.95
351.80	v. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	212.84	332.31	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	213.93	615.76	829.69
109.37	बिजली परियोजनाओं से	20.58	-	बिजली परियोजनाओं हेतु	-	123.54	123.54
141.72	सरकारी कर्मचारियों से	148.53	189.87	सरकारी कर्मचारियों को	183.93	5.69	189.62
100.71	अन्यों से	43.73	142.44	अन्यों को	30.00	486.53	516.53
	VI. राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया		2,082.42	VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया			4,264.73
3,888.06	VII. लोक ऋण प्राप्तियां	8,455.37	1,291.84	VII. लोक ऋण का पुनर्भुर्गतान बाह्य ऋण			2,745.97
-	बाह्य ऋण	-		अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	2,576.41		
3,822.06	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	8,319.97		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन			
-	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	-		ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल संपादन			
66.00	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	135.40		सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुर्गतान	169.56		
-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन			
-	IX. आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित राशि	-	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय			
12,308.28	X. लोक लेखा प्राप्तियां	15,789.41	11,441.82	X. लोक लेखा संवितरण			14,319.66
1,401.27	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,870.32	1048.89	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,008.40		
361.89	आरक्षण निधियां	419.80	74.95	आरक्षण निधियां		99.27	
375.88	उचन्त एवं विविध	659.70	338.73	उचन्त एवं विविध		616.08	
4,908.29	प्रेषण	5,526.75	4934.92	प्रेषण		5,809.71	
5,260.95	निक्षेप एवं अग्रिम	7,312.84	5044.33	निक्षेप एवं अग्रिम		6,786.20	
-	XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट	-	3,404.94	XI. समाप्ति पर नकद शेष			493.42
			0.54	कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद		0.54	
			(-) 603.39	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	(-) 1,132.20		
			8.24	नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	4.11		
			3999.55		1,620.97		
23,055.00	योग - भाग रख		27,871.95	योग			27,871.95

परिशिष्ट

1.5

भाग ख : 31 मार्च 2010 को हरियाणा सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 32)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2009 को	देयताएं	31 मार्च 2010 को
21,054.48	आन्तरिक ऋण	26,798.04
	7,245.51 ब्याज युक्त बाजार ऋण	10,929.19
	2.39 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.39
	15.98 जीवन बीमा नियम से ऋण	12.90
	3,334.67 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	4,863.21
- 2,030.88	10,455.93 केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियां जारी केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	10,990.35
	0.43 1984 - 85 से पूर्व केव्हण	0.43
	34.15 योजनेत्तर ऋण	30.59
	1,949.16 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,924.01
	15.29 केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	13.37
	31.85 केन्द्रीय पोर्वित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	28.32
10.00	आकस्मिक निधि	10.00
6,609.43	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	7,471.36
2,221.72	निक्षेप	2,748.37
1,519.42	आरक्षण निधियां	1,839.94
	संदेहास्पद एवं विविध शेष	4.00
33,445.93		40,868.43
31 मार्च 2009 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2010 को
24,177.87	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	29,386.96
	5,031.32 कम्पनियों, नियमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	5,575.18
1,877.25	अन्य पूँजीगत परिव्यय	23,811.78
	ऋण एवं अग्रिम	2,494.10
	139.37 विजली परियोजनाओं हेतु ऋण	242.33
	1,285.56 अन्य विकास ऋण	1,758.37
	452.32 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	493.40
0.87	अग्रिम	0.88
39.61	उचन्त एवं विविध शेष	-
6.93	प्रेषण शेष	289.88
3,404.94	नकद	493.42
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-) 603.39 रिजर्व बैंक में निक्षेप	-1,132.20
	8.13 विभागीय नकद शेष	4.00
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.11
	2,841.58 नकद शेष निवेश	103.34
	1,157.97 आरक्षण निधि निवेश	1,517.63
3,938.46	सरकारी लेखाओं पर घाटा	8,203.19
	(i) राजस्व आधिक्य/चालू वर्ष का घाटा	4,264.73
	(i) गत वर्ष तक संचित घाटा	3,938.46
33,445.93	कुल	40,868.43

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: - आगे विवरणियों में सक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में वर्णिया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मध्ये अथवा स्टाक आंकड़ों में डास अथवा भिन्नता जैसे मध्ये लेखे में लेखावद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2010 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 7.79 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (सितम्बर 2010)।

परिशिष्ट

1.6

अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय तथा 2009-10 के दौरान उनके विरुद्ध वास्तविकों को दर्शाने वाला छूटा

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2 ; पृष्ठ 4)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		बजट अनुमान	वास्तविक	व्यय		बजट अनुमान	वास्तविक
क्र	राजस्व लेखा			क्र	राजस्व लेखा	व्यय	
I	कर राजस्व	22,437.00	20,992.66	I	वित्तीय सेवायें	25,821.06	25,257.39
(1)	बिक्री कर*	16,568.22	14,993.97	(1)	कर वसूली प्रभार	245.01	231.58
(2)	राज्य आबकारी शुल्क	10,740.00	9,032.37	(2)	अन्य वित्तीय सेवायें	243.45	230.72
(3)	स्टाम्प एवं रजिस्ट्री	1,700.00	2,059.02	II	सामान्य सेवायें	7,630.59	7,523.77
(4)	गाल एवं यात्रियों पर कर	1,225.00	1,293.56	(1)	प्रशासनिक सेवायें	2,082.91	2,026.86
(5)	अन्य कर राजस्व	425.00	391.45	(2)	ऋण सेवायें	3,075.57	2,809.01
(6)	केन्द्रीय करों से शेयर	556.50	443.10	(3)	अन्य सामान्य सेवायें	2,472.11	2,687.90
II	कर भिन्न राजस्व	5,868.78	5,998.69	III	सामाजिक सेवायें	9,783.25	9,902.22
(1)	ऋण सेवायें	587.89	667.89	(1)	शिक्षा, खेल एवं कला एवं संस्कृति	5,350.51	5,206.55
(2)	सामान्य सेवायें	296.62	271.80	(2)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	993.10	1,021.94
(3)	सामाजिक सेवायें	1,493.53	502.31	(3)	श्रम एवं रोजगार	166.80	186.37
(4)	आर्थिक सेवायें	1,221.97	1,289.80	(4)	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,375.21	2,156.29
(5)	भारत सरकार से अनुदान	3,257.29	3,257.29	(5)	अन्य सामाजिक सेवायें	1,897.63	1,331.07
(6)	अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	10.00	9.60	IV	आर्थिक सेवायें	8,072.16	7,529.91
ख	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	15.25	9.39	(1)	ग्रामीण विकास	935.10	869.11
ग	लोक ऋण	9,508.51	8,455.37	(2)	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	1,110.28	1,122.33
(1)	मार्केट उधार	4,000.00	3,600.46	(3)	उद्योग एवं खनिज	93.20	69.80
(2)	लघु बचत ऋण	806.10	100.00	(4)	सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,144.66	858.47
(3)	राज्य योजना ऋण	135.40	595.20	(5)	परिवहन	1,057.06	1,481.57
(4)	अन्य ऋण	3,513.87	5,212.85	(6)	अन्य आर्थिक सेवायें	3,731.86	3,128.67
घ	ऋण (वसूलियां)	267.35	212.84	V	सहायक अनुदान एवं अंशदान	90.05	69.91
				ख	पूँजीगत व्यय	3,972.67	5,218.48
				ग	ऋण का पुनः भुगतान	3,685.70	2,745.97
				घ	ऋण (अधिकारी)	1,483.27	829.69
	सकल योग (क+ख+ग+घ)	32,228.11	29,670.26		सकल योग (क+ख+ग+घ)	34,962.70	34,051.53

* बिक्री, व्यापार आदि पर कर।

परिशिष्ट

1.7

अनुमोदित योजना में शामिल परन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस
ली गई और जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ, योजनाओं का विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2.3 ; पृष्ठ 7)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित योजना 2009-10
1	फसल पालन	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	200.00
2		अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण प्रोत्साहन	100
3		हरियाणा में कृषि मानव संसाधन विकास, योजनार्गत स्कीम	6.00
4	मत्स्य	ताजा जल झींगा कृषि का विकास (राज्य प्लान)	10.00
5		राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.)	10.00
6		मत्स्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विस्तार (सी.एस.एस. : 80:20)	5.00
7	वन	राज्य संसाधन एवं आजीविका परियोजना	5.00
8	सहकारिता	हरियाणा में स्वर्य सहायता समूहों का प्रोत्साहन	5.00
9		हरियाणा राज्य सहकारिता कृषि ग्रामीण बैंक द्वारा ऋणपत्र का क्रय	100.00
10	सामुदायिक विकास	चौपालों निर्माण का परिवान स्कीम	100.00
		(i) हरिजन	30.00
		(ii) पिछड़ा वर्ग	
		(iii) सामान्य	70.00
11	सिंचाई	सतलुज यमुना लिंक परियोजना का निर्माण (हरियाणा भाग)	10.00
12		अम्बाला सिंचाई स्कीम	800.00
13	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	क्षेत्रीय माध्यमिक एवं योजक नालों का निर्माण	30.00
14	विद्युत	हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड - नई स्कीम फरीदाबाद में गैस आधारित संयंत्र	10,371.00
15		दीन बन्धु छोटू राम थर्मल विद्युत संयंत्र का विस्तार	17,025.00
16		पानीपत यूनिट - 3, पानीपत	2,137.00
17		पानीपत यूनिट - 4, पानीपत	109.00
18		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक/विश्व बैंक ऋण	6,000.00
19		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम - अग्रिम सीटरिंग	724.00
20	नवीकरणीय ऊर्जा	सोर जल हीटिंग प्रणाली के प्रतिष्ठापन को प्रोत्साहन देना	1.00
21	उद्योग	वृद्धि केन्द्र (सी.एस.एस. 67:33)	54.30
22		औद्योगिक आधारभूत संरचना का उत्थान	0.10
23	नागर विमानन	प्रशिक्षकों की अधिप्राप्ति	5.00
24		रनवे पर बिजली का प्रावधान	5.00
25		ग्लाइडरज की अधिप्राप्ति	2.00
26	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	बाह्य सहायतित हरियाणा राज्य सड़क सुधार परियोजना	5,000.00
27		अनुसूचित जाति उप योजना घटक	4,000.00
28	विज्ञान एवं तकनीक	कान्फेस/कार्यशाला/सैमीनार	3.00
29		जैवप्रदोषेशिकी के विकास एवं स्थानांतरण हेतु केन्द्र	20.00
30		बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निधियाँ	49.00
31		प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	135.00
32		पर्यटक परिसरों का बातानुकूलन साज सज्जा	10.00
33	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक स्कूलों में ड्यूल डेस्कों का प्रावधान	800.00
34	माध्यमिक शिक्षा	300 अतिरिक्त प्रवक्ताओं के पद का सृजन	500.00
35		दक्ष शिक्षा के लिए अभिलेख कक्षों की स्थापना	100.00
36		स्कूलों में सौम्य निपुणता का विकास	460.00
37		अनुसूचित जाति उप प्लान स्कीम - अनुसूचित जाति के छात्राओं एवं छात्रों के लिए मुफ्त बाईसिकल	564.00

परिशिष्ट 1.7

क्रम संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित योजना 2009-10
38	उच्चतर शिक्षा	गैर सरकारी सहायता कालेजों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	100.00
39		कालेजों के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य	394.50
40		अल्पसंख्यक समुहों से संबंधित छात्रों को प्रोत्साहन	5.00
41		गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के लिए बजीफा	900.00
42	कलां एवं संस्कृति	राज्य पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना	0.05
43		22 नए मण्डलों को खोलना	2.50
44		ग और घ खण्डों में 72 पुस्तकालयों को खोलना	2.50
45		जिला पुस्तकालयों में नए पदों का सृजन	10.00
46		जिला पुस्तकालय भवनों का निर्माण	15.00
47	तकनीकी शिक्षा	एड्सैट एवं ई-आधारपन/शिक्षण	10.00
48		वाई.एम.सी.ए. संस्थान फरीदाबाद का आधुनिकीकरण	10.00
49		आन्तरिक राजस्व सृजन योजना	1.00
50		सूचना प्रौद्योगिकी	60.00
51		तकनीकी शिक्षा चतुर्थ कार्यक्रम	10.00
52		छात्राओं को योग्यता आधारित पुरस्कार के लिए स्वीम	70.00
53		अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए विशेष प्रशिक्षक एवं स्थापन	10.00
54		अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (कन्या) के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति	200.00
55	खेलकूद	राज्य क्रीड़ा परिषद	100.00
56	स्वास्थ्य	जिला अम्बाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र और भिवानी में कोबाल्ट इकाइयों की स्थापना	1.00
57		व्यापक विशेष सावधानी प्रदान करने हेतु लोक निजी हिस्सेदारी	1.00
58		स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण	1.00
59		उपस्कर एवं फर्मीचर की भरमत एवं अनुरक्षण	50.00
60		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में टेलीफोन सुविधाएं	0.20
61		सहायक नर्सिंग मिडवॉयफ / सामान्य नर्सिंग मिडवॉयफ प्रशिक्षण स्कूल का खोलना एवं सुदृढ़ीकरण	1.00
62		उप केन्द्रों का खोलना / तारस्य	30.00
63		निदेशालय में खाद्य मिलावट सैल को सुदृढ़ करना	1.00
64		परिवहन प्रबंधन एवं वाहनों का प्रतिस्थापन	80.00
65		प्रि - नाटाल डायग्नोस्टिक तकनीक (पी एन डी टी) मानीटरिंग सैल का संस्थापन	1.00
66		नगर पालिकाओं में कम्प्यूटरों के पदों का सृजन	1.00
67		नागरिक पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ करना	1.00
68		अनुसूचित जाति के रोगियों के लिए आरोग्य कोष	21.00
69		मेवात जिले के लिए बहु विकास सैकटोरियल योजना	1.00
70	अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए 10+1 से स्नातक कक्षाओं तक छात्रवृत्ति	532.70
71		हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए परिधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50.00
72		गृह निर्माण हेतु अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यों को ऋण प्रदान करना	0.10
73		अनुसूचित जाति जनसंख्या संकेन्द्रित क्षेत्र में निपुणता प्रदान करने हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना	0.10
74	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	भारत में सामाजिक स्वास्थ्य की संस्था, पंचकूला अशिंआना	1.65
75		तरुण न्याय निधि	20.00
76		तरुणों को निपुण बनाना एवं पुनर्वास	50.00
77		निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह एवं प्रशिक्षण केन्द्र	10.00
78	महिला एवं शिशु विकास	स्वालम्बन	10.00
79		निदेशालय के लिए भवन निर्माण	100.00
		योग	52,420.70
		अर्थात ₹ 524.21 करोड़	

परिशिष्ट

1.8

योजनाओं का विवरण जहां संशोधित अनुमानों में
किए गए प्रावधानों को कम कर दिया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2.3 ; पृष्ठ 7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित योजना 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10
1	पशुपालन	पशु विश्वविद्यालय की स्थापना	50.00	5.00
2	भू- अभिलेख	राजस्व प्रशासन का सुट्टीकरण एवं भू- अभिलेखों का अद्यतन	75.00	1.00
3	पंचायतें	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों का नम्बर लगाना	112.00	112.00
4		गांवों में मुख्यमंत्री द्वारा विशेष परियोजना	8,000.00	8,000.00
5		हरियाणा ग्रामीण विकास निधि	7500.00	1,000.00
6	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	अनुकूली परीक्षण एवं सक्रिया अनुसंधान	2.50	4.50
7	विद्युत	उपभोगता मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग	332.00	332.00
8		स्वचालित वितरण प्रणाली	362.00	1,086.00
9		पुनर्निर्माण एवं विकास ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	4,000.00	2210.00
10	खनन एवं भूविज्ञान	खनन एवं खनिजों का विकास	3.00	60.00
11	इलैक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	गुडगांव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	1.00	1.00
12		हाईवेर एवं साप्टवेर प्रौद्योगिकी पार्क	1.00	1.00
13	संचिवालय आर्थिक सेवाएँ	राज्य स्तर पर प्लानिंग मर्जीनरी का सुट्टीकरण	182.00	70.00
14		सूचना प्रौद्योगिक (कम्यूटरीकरण)	3.00	3.00
15		परिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण	0.05	0.05
16		जिला संस्थिकीय अभिकरण का सुट्टीकरण	0.05	0.05
17		आर्थिक सर्वेक्षण	0.05	0.05
18		आवासीय एवं प्रतिष्ठापन संस्थिकीय प्रणाली की स्थापना	0.25	0.25
19		अलाभकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान एवं राष्ट्रीय भवन संस्थानों का सर्वेक्षण	0.25	0.25
20	विकेन्द्रीकृत / जिला आयोजना	विकेन्द्रीकृत आयोजना	1.00	1.00
21	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 1x-x की सुविधाओं का विस्तार (डिप्लॉ डैस्क)	743.18	743.18
22		डिस्ट्रॉट परियोजना को स्थापित करना	300.00	100.00
23		अनुरूपित जातियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें	650.00	150.00
24	चिकित्सा शिक्षा	खानपुर कलां (सोनीपत) में बी.पी.एस. महिला चिकित्सा महाविद्यालय का प्रतिष्ठापन	450.00	150.00
25	स्वास्थ्य	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करना	3.00	1.00
26	आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी युनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी (ए.वाई.यू.एस.ए.च.)	विद्यमान आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों में सुधार	15.00	17.00
27		आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन करना	1.84	0.19
28	कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा चल औषधालय को खोलना	1.25	1.00
29	जहारी विकास	एकीकृत कम लागत की स्वच्छता स्कीम	1,200.00	500.00
30	अनुरूपित जाति/पिछड़ा वर्गों का कल्याण	रोजगारोन्मुख संस्थान स्थापित करके रोजगार उत्पादन सुविधाएं सृजन करना	500.00	29.50
31	श्रम	सूचना प्रौद्योगिकी	177.50	177.50
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकाता	बृद्ध एवं दुर्बल जनों के लिए गृह, रेवाड़ी	4.00	4.00
33	हरियाणा जन प्रबन्ध संस्थान गुडगांव	उद्यमीता विकास केन्द्र	2.00	2.00
34		हरियाणा लोक प्रशासन केन्द्र रोहतक के लिए विजली उपकरणों की खरीद	1.00	1.00
35	राजस्व	सत्कार भवन	10.00	10.00
योग			24,683.92	14,773.52
			अर्थात् ₹ 246.84 करोड़	अर्थात् ₹ 147.74 करोड़

परिशिष्ट

1.9

संशोधित अनुमानों में सम्मिलित स्कीमों का व्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2.3 ; पृष्ठ 7)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित अनुमानों में प्रावधान 2009-10	व्यय 2009-10
1	सहकारिता	दुग्ध संयंत्र रोहतक का विस्तार / उन्नयन	39.00	39.00
2		हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड (हारको) के लिए गहन आर्थिक सहायता योजना	2,700.00	1,900.00
3		गन्ना की कीमत के भुगतान हेतु सहकारी चीनी मिलों की हिस्सा पूँजी	8,000.00	4,250.00
4	सिंचाई	यमुना के तटबंधों को उठाना और सदृढ़ीकरण	1,200.00	142.50
5	विद्युत	भारवडा व्यास प्रबन्धन बोर्ड (हरियाणा) (चलाना एवं अनुरक्षण)	682.00	682.00
6	नवीकरणीय ऊर्जा	हरित ऊर्जा निधि	50.00	50.00
7	उत्थोग	प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को विशेष रियायत	67.56	67.56
8	पर्यटन	पिजौर में पर्यटन सुविधाएं	6.24	6.22
9	प्राथमिक शिक्षा	रसोई घर एवं कमरों के उन्नयन के लिए अनुदान	1,173.00	1,173.00
10	माध्यमिक शिक्षा	सुरक्षा एवं मार्गदर्शन सहायता अनुदान	100.00	100.00
11	उच्चतर शिक्षा	जिला महेन्द्रगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान	977.00	977.00
12	चिकित्सा शिक्षा	नालहट (मेवात) में मेवात चिकित्सा एवं अध्यापन महाविद्यालय की स्थापना	5,000.00	5,000.00
13	स्वास्थ्य	सिविल सर्जन स्टाफ को जारी रखना	20.00	27.30
14		मुख्यालय स्टाफ का सुधार एवं सदृढ़ीकरण	4.00	0.00
15		जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र	20.00	0.00
16	आयुविद, योग और नेचुरोपैथी, युनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (ए.वाई.यू.एस.एच.)	राष्ट्रीय गांधी न्याय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयु की अनुरक्षण	341.23	249.76
17	शहरी विकास	नगर निगम को गृह कर के स्थान पर क्षातिपूर्ति	6,500.00	0.01
18	अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना	100.00	24.21
19	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	वरिष्ठ नागरिक सम्मान कल्प	160.50	160.50
20		झन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम	165.00	165.00
21		झन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन स्कीम	70.00	70.00
22		हरियाणा में नवा मुक्ति केन्द्र स्थापित करना	100.00	100.00
23		विकलांग हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग के विकलांगों के लिए हिस्सा पूँजी	141.60	141.50
24		सभी जिला शहरी सम्पदाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्प स्थापित करना	20.00	44.82
25	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण	41.70	21.60
26		स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान	20.00	20.00
27		युवतियों के लिए गृह एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण / उत्पादन केन्द्र	10.00	0.00
		योग	27,708.83	15,411.98

अर्थात् ₹ 277.09 करोड़ अर्थात् ₹ 154.12 करोड़

परिशिष्ट

1.10

स्कीमों का ब्यौरा जहां बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परन्तु वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से कम था (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2.3 ; पृष्ठ 7)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10
1	वन	सरकारी भूमि पर स्ट्रीप पौधारोपण लगाना	1,350.00	1,352.87	1,332.36
2	कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जलवायस्त क्षेत्र का सुधार	16.00	20.00	11.81
3		जल उपभोगता संगठनों को संस्थानिक सहायता (कार्यात्मक अनुदान)	157.50	158.50	99.48
4	प्रारंभिक शिक्षा	मध्याह आहार योजना (सी.एस.एस.)	2,640.00	2,743.00	2,153.64
5	माध्यमिक शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - पिछडे रवणों में मॉडल स्कूल खोलना (सी.एस.एस.)	1,000.00	1,150.00	563.63
6	उच्चतर शिक्षा	सूचना प्रौद्योगिकी	100.00	215.00	38.45
7	स्वास्थ्य	राज्य में आपातकालीन सेवाओं का प्रावधान	200.00	250.00	174.73
योग			5,463.50	5,889.37	4,374.10

अर्थात् ₹ 54.64 करोड़ अर्थात् ₹ 58.89 करोड़ अर्थात् ₹ 43.74 करोड़

परिशिष्ट

1.11

स्कीमों का विवरण जहां व्यय, बजट प्राक्कलनों में प्रावधान के बिना किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2.3; पृष्ठ 7)

(₹ लाख में)

क्रमांक	विभाग का नाम	योजना का नाम	व्यय 2009-10
1	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	विशेष सक्षम योजना	131.01
2		आखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए.आई.सी.आर.पी.)	458.70
3	पंचायतें	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	94.50
4	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुडगांव	विद्युत उपकरणों की स्वरीद	6.13
5	राजस्व	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भवन (एच.एस.एस.सी.)	0.81
योग			691.15

अर्थात् ₹ 6.91 करोड़

परिशिष्ट

1.12

**मुख्य घटकों के सम्बन्ध में कर तथा कर - भिन्न
राजस्व का संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए
गए व्यय को दर्शाने वाला व्यौरा**
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 14)

शीर्षक	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
					(₹ करोड़ में)
कर राजस्व					
बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर कर	2005-06	5,604.45	36.86	0.66	
	2006-07	6,853.24	45.42	0.66	0.82
	2007-08	7,720.98	50.64	0.66	0.83
	2008-09	8,154.73	65.92	0.81	0.88
	2009-10	9,032.37	78.48	0.86	
वाहनों पर कर	2005-06	172.12	6.71	3.90	
	2006-07	223.66	6.93	3.10	2.47
	2007-08	233.79	5.47	2.34	2.58
	2008-09	239.30	8.00	3.34	2.93
	2009-10	277.07	11.32	4.09	
राज्य उत्पाद	2005-06	1,106.86	10.75	0.97	
	2006-07	1,217.10	12.09	0.99	3.30
	2007-08	1,378.81	12.95	0.94	3.27
	2008-09	1,418.53	18.46	1.30	2.77
	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	
स्टाम्प तथा पंजीकरण	2005-06	1,339.73	5.63	0.42	
	2006-07	1,764.98	10.59	0.60	2.33
	2007-08	1,763.28	12.04	0.68	2.09
	2008-09	1,326.39	16.31	1.23	2.77
	2009-10	1,293.57	13.72	1.06	
माल एवं यात्रियों पर कर	2005-06	757.60	7.22	0.95	
	2006-07	738.41	-	-	
	2007-08	379.39	1.13	0.30	
	2008-09	370.29	1.50	0.41	
	2009-10	391.45	1.94	0.50	
कर - भिन्न राजस्व					
पुलिस	2005-06	7.49	645.12	8,613.08	
	2006-07	22.79	690.35	3,029.18	
	2007-08	41.44	773.68	1,866.99	
	2008-09	55.22	1,065.23	1,929.07	
	2009-10	35.11	1,390.16	3,959.44	
शहरी विकास	2005-06	714.09	115.18	16.13	
	2006-07	2,562.34	144.66	5.65	
	2007-08	2,805.24	370.89	13.22	
	2008-09	884.50	500.61	56.60	
	2009-10	133.70	334.02	249.83	
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य	2005-06	30.50	385.42	1,263.67	
	2006-07	31.59	410.41	1,299.18	
	2007-08	64.91	468.48	721.74	
	2008-09	30.94	643.73	2,080.58	
	2009-10	30.23	927.05	3,066.65	
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	2005-06	64.13	401.31	625.78	
	2006-07	87.19	492.97	565.40	
	2007-08	72.27	633.38	876.41	
	2008-09	74.01	661.33	893.57	
	2009-10	218.56	729.34	335.23	
पथ परिवहन	2005-06	548.44	669.75	122.12	
	2006-07	571.18	699.63	122.49	
	2007-08	622.56	732.19	117.61	
	2008-09	645.04	826.53	128.14	
	2009-10	699.57	957.34	136.85	
जलापूर्ति तथा सफाई	2005-06	32.84	356.93	1,086.88	
	2006-07	34.94	392.52	1,123.41	
	2007-08	38.12	549.45	1,441.37	
	2008-09	30.74	649.48	2,112.82	
	2009-10	30.02	743.34	2,476.15	

परिशिष्ट

1.13

अंतिम वर्ष, जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2010 को)
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 29)

		निवेश (2009-10 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
			(₹ करोड़ में)	
I. सरकारी कम्पनियां				
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	17.58	5.99	2003-04
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	269.00	2007-08
3.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.57	2008-09
4.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	76.43	2007-08
5.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	22.55	2008-09
6.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	6.18	2007-08
7.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,391.27	140.03	2008-09
8.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,011.78	22.09	2008-09
9.	उत्तर हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	581.46	2,778.33	2008-09
10.	दक्षिण हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसर	743.58	1,260.98	2008-09
योग		4,947.93	4,592.15	

परिशिष्ट 1.14

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिकी/अर्ध वाणिज्यिकी उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्थिति (संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.4, पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

क्रम	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत रखाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन संरक्षारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया हास	आवर्त	निवल लाभ / हानि	पूंजी पर द्व्याज	कुल प्रतिलाभ (9-10)	पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कौटनायियों का क्रय एवं वितरण	1985-86	2.53	2.30	-	-	1.96	0.06	-	0.06	3
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2008.09	1,822.83	1,608.36	-	-	1,690.55	(-)132.27	-	(-)132.27	-
5.	यातायात विभाग हरियाणा परिवहन	2004.05	366.23	361.92	431.86	0.27	482.16	(-) 98.20	21.40	(-)76.80	-
योग			2,216.79	1,994.16	431.95	0.28	2,190.65	(-)229.25	22.88	(-)206.37	16

परिशिष्ट

2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(राजस्व दत्तमत)					
1.	4	राजस्व	547.09	179.31	33
2.	5	आबकारी एवं कराधान	115.88	13.00	11
3.	8	भवन एवं सड़कें	919.77	111.52	12
4.	9	शिक्षा	5,492.64	286.09	5
5.	11	शहरी विकास	911.89	577.87	63
6.	12	श्रम एवं रोजगार	206.30	19.93	10
7.	13	सामाजिक कल्याण एवं पुनर्वास	2,192.11	82.29	4
8.	14	खाद्य एवं आपूर्ति	243.42	156.43	64
9.	15	सिंचाई	3,925.28	366.75	9
10.	16	उद्योग	140.76	22.55	16
11.	17	कृषि	680.43	18.37	3
12.	18	पशु पालन	328.23	31.82	10
13.	21	समुदाय विकास	1,002.71	70.13	7
14.	23	यातायात	1,067.96	97.70	9
राजस्व (प्रभारित)					
15.	6	वित्त	3,075.57	266.56	9
पूंजीगत (क्षमता)					
16.	8	भवन एवं सड़कें	1,991.22	390.96	20
17.	10	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	824.50	82.60	10
18.	12	श्रम एवं रोजगार	36.24	6.81	19
19.	13	सामाजिक कल्याण एवं पुनर्वास	5.66	1.45	26
20.	14	खाद्य एवं आपूर्ति	3,600.64	188.43	5
21.	23	यातायात	169.81	20.88	12
22.	25	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,483.27	653.58	44
पूंजी (प्रभारित)					
23.	8	भवन एवं सड़कें	3.80	3.60	95
24.	15	सिंचाई	42.00	17.07	41
25.		लोक ऋण	4,778.36	2,032.39	43
योग			33,785.54	5,698.09	

परिशिष्ट

2.2

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी
 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय (प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व (दत्तमत)					
1.	6	वित्त	2,242.67	2,437.29	194.62 (9)
2.	10	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1,711.72	1,773.48	61.76 (4)
राजस्व (प्रभारित)					
3.	3	गृह	26.89	32.48	5.59 (21)
पूँजीगत (दत्तमत)					
4.	15	सिंचाई	1,453.00	1,630.25	177.25 (12)
योग			5,434.28	5,873.50	439.22

परिशिष्ट

2.3

बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले विवरण

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 50)

क्रम सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आहरित राशि		टिप्पणियां	लेखापरीक्षा की अवधि
		दिनांक	राशि (₹ लाख में)		
1.	कार्यक्रम पदाधिकारी एकीकृत बाल विकास स्कीम, करनाल	31 मार्च 2008	30.04	राशि आहरित एवं खाते में जमा की गई।	फरवरी 2007 से मार्च 2010
2.	बाल विकास कार्यक्रम कार्यालय, शाहबाद	26 मार्च 2010 22 मार्च 2010 25 मार्च 2010	1.56 0.16 0.01	वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए मजदूरी का भुगतान करने हेतु राशि निकाली गई थी।	अप्रैल 2007 से मार्च 2010
3.	जिला भूत्य अधिकारी, रेवड़ी	29 मार्च 2010	2.40	राशि आहरित की गई एवं खाते में जमा की गई।	मई 2004 से मार्च 2010
4.	जिला बागवानी अधिकारी, हिसार	31 मार्च 2007 18 मार्च 2008 31 मार्च 2008 23 मार्च 2009 31 मार्च 2009	8.75 11.03 3.13 12.39 38.14	राशि आहरित की गई एवं खाते में जमा की गई।	सितम्बर 2004 से दिसम्बर 2009
5.	आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़	मार्च 2008	700.00	शिक्षा सदन सोसायटी पंचकूला में जमा	अप्रैल 2008 से मार्च 2009
6.		जनवरी 2009 मार्च 2009	1,562.50 104.16	डी.डी.नंबर 267925 दिनांक 15 जनवरी 2009	अप्रैल 2008 से मार्च 2009
7.		मार्च 2007	1,962.00	डी.डी.नं. 21449 दिनांक 29 मार्च 2007 ₹ 79128000 डी.डी. 214494 दिनांक 29 मार्च 2007 के लिए ₹ 118692000	अप्रैल 2008 से मार्च 2009
8.	जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत	मार्च 2008 एवं अप्रैल 2008	90.46 60.00	बैंक अकाउट नं. 1329299409 डी.डी. नं. 053216 दिनांक 12 अप्रैल 2008	जुलाई 2007 से अक्टूबर 2009
9.	जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत	मार्च 2008 से अप्रैल 2008	241.18	विभिन्न विद्यालयों के बैंक खाते में जमा किए गए।	नवम्बर 2007 से सितम्बर 2009
10.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महेन्द्रगढ़	मार्च 2009	10.00	सेविंग बैंक अकाउट नं. एस.बी.पी. का 55074577370 महेन्द्रगढ़	जुलाई 2008 से जनवरी 2010
11.	प्राचार्य, राजकीय महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगाधरी	मार्च 2008	142.31	जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर के पास जून 2009 तक	अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2009
12.	प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यमुनानगर / जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर	मार्च 2008	24.00	₹ 27.60 के लिए चैक नम्बर 782400 दिनांक 20 जुलाई 2008 एवं बचत खाता संख्या 672510110001195 (भारतीय स्टेट बैंक) में जमा	
		कुल	5,004.22		(अर्थात ₹ 50.04 करोड़)

परिशिष्ट

2.4

प्रकरण जहां पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान
क राजस्व (दत्तमत)				
4.राजस्व	445.42	367.78	77.64	101.67
8.भवन एवं सड़कें	869.77	808.25	61.52	50.00
9.शिक्षा	5,350.51	5,206.55	143.96	142.13
15.सिंचाई	3,810.70	3,558.53	252.17	114.58
सह योग	10,476.40	9,941.11	535.29	408.38
क राजस्व (भारित)				
2.सामान्य प्रशासन	12.04	11.00	1.04	1.13
सह योग	12.04	11.00	1.04	1.13
ख पूंजीगत (दत्तमत)				
8.भवन एवं सड़कें	1,832.22	1,600.26	231.96	159.00
22.सहकारिता	19.20	17.31	1.89	0.85
सह योग	1,851.42	1,617.57	233.85	159.85
ख पूंजीगत (प्रभारित)				
8.भवन एवं सड़कें	3.00	0.20	2.80	0.80
लोक ऋण	3,685.70	2,745.97	939.73	1,092.66
सह योग	3,688.70	2,746.17	942.53	1,093.46
सकल योग	16,028.56	14,315.85	1,712.71	1,662.82

परिशिष्ट

2.5

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की तालिका जहां
पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़
से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग की संख्या	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)							
1.	10	चिकित्सा एवं जन - स्वास्थ्य	1693.89	17.83	1711.72	1773.48	61.76
		योग	1693.89	17.83	1711.72	1773.48	61.76

परिशिष्ट

2.6

अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9: पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: प्रक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	3	गृह	2055 - पुलिस 109 - जिला पुलिस 99 - जिला पुलिस बल	(ओ) 981.14 (आर) -7.97 973.17	971.81	(-) 1.36
2.			2014 - न्याय प्रशासन 102 - उच्च न्यायालय 98 - स्थापना 98 - स्थापना व्यय	(ओ) 23.46	26.56	(+) 3.10
3.			99 - न्यायाधीश	(ओ) 3.04	4.99	(+) 1.95
4.	4	राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात इत्यादि 282 - जन स्वास्थ्य 113 - गृहों की मरम्मत / पुनर्निर्माण हेतु सहायता	(ओ) 3.50 (आर) (-) 2.10 1.40	0.31	(-) 1.09
5.			01 - सूखा 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 98 - अग्नि पीड़ित को राहत	(ओ) 5.00 (आर) 12.33 17.33	18.47	(+) 1.14
6.	6	वित्त	2071 - पेशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01 - सिविल 101 - सेवानिवृत्ति एवं अधिवार्षिता भत्ते	(ओ) 1,300.00 (आर) 168.65 1,468.65	1,669.15	(+) 200.50
7.			2071 - पेशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ 01 - सिविल 104 - उपदान	(ओ) 424.00 (आर) (-) 31.25 392.75	388.30	(-) 4.45
8.			2049 - ब्याज की अवायगियां 01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज 200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 91 - राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर रहित विशेष बांड (पावर बांड्स)	(ओ) 124.62	106.62	(-) 18.00
9.			04 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों पर ब्याज 108 - 9 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1984 - 89 के राज्य योजनागत समेकित कर्जों पर ब्याज 99 - 1984 - 89 पूर्व के समेकित कर्जों	(ओ) 115.99	69.60	(-) 46.40
10.			60 - अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 - जमाओं पर ब्याज	(ओ) 4.50 (आर) -0.50 4.00	0.03	(-) 3.97
11.			01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज 200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 91 - राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर रहित विशेष बांड (पावर बांड) 96 - नावार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण उधार (एल से ओ) निधि से कर्जे	(ओ) 54.25 (आर) 21.11 75.36	71.89	(-) 3.47
12.			03 - लघु बचतों भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज 104 - राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99 - अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को राज्य निधि पर ब्याज	(ओ) 522.00 (आर) 32.71 554.71	541.30	(-) 13.41

परिशिष्ट 2.6

क्र. सं.	अनुदान सरव्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
13.			01-आन्तरिक ऋणों पर व्याज 123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रति भूतियों पर व्याज 93-लघु बचतों पर व्याज का संग्रहण	(ओ) 1,035.92 (आर) 0.62 1,036.54	1,026.36	(-) 10.18
14.			200-अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज 92-एन सी आर पी बी से ऋण पर व्याज	(ओ) 66.69 (आर) 39.57 106.26	59.95	(-) 46.31
15.			04- केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशेगियों पर व्याज 101- राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्जे पर व्याज 99-ब्लॉक कर्जे	(ओ) 33.08 (आर) 3.10 36.18	27.87	(-) 8.31
16.	8	भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें तथा पुल 80-सामान्य 797-आरक्षण निधि / जमा खाता को /से अन्तरण 99-सी आर एफ को/से अन्तरण अन्तर्लेखा अन्तरण	(ओ) 100.00 (आर) -7.38 92.62	18.16	(-) 74.46
17.			04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 96-टोल संग्रहण में कमी के कारण सड़क निर्माण कार्य के पुनर्भुगतान हेतु हुड़कों को सहायता अनुदान	(ओ) 50.00 (आर) -32.82 17.18	19.81	(+) 2.63
18.			2059- लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001- निवेशन एवं प्रशासन 96-निष्पदान	(ओ) 263.52 (आर) -49.72 213.80	216.34	(+) 2.54
19.			004-आयोजन एवं अनुसंधान 97-इतिहास राज्य भवन एवं सड़कों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी के संस्थापन हेतु	9.60	-	(-) 9.60
20.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 001-निवेशन एवं प्रशासन 99-निवेशन एवं प्रशासन	6.98	4.17	(-) 2.81
21.			3054-सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 159.53 (एस) 50.00 (आर) 84.22 293.75	282.23	(-) 11.52
22.			80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99- - अन्य व्यय	(ओ) 0.03	8.03	(+) 8.00
23.			052-मशीनरी एवं उपकरण 99-मूल्य शीर्ष - 2059 लोक निर्माण कार्यों से अन्तरित मशीनरी एवं उपकरण प्रभारों का अनुपात	2.18	4.83	(+) 2.65
24.			2059-लोक निर्माण कार्य 60-अन्य भवन 053-अनुरक्षण तथा मरम्मत 99-अनुरक्षण तथा मरम्मत	(ओ) 89.79 (आर) 11.21 101.00	103.23	(+) 2.23
25.			80-सामान्य 799-उच्चन्त	(ओ) 1.75 (आर) 7.45 9.20	5.74	(-) 3.46
26.			5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण 99-1 करनाल एवं जीन्द जिलों में कि.मी 0.44 से पानीपत असन्ध एक सड़क चौड़ी एवं सुदृढ़ करना।	(ओ) 652.09 (आर) (-) 176.10 475.99	295.58	(-) 180.41
27.			04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-जिला सड़कें	(ओ) 399.63 (आर) (-) 274.64 124.99	317.02	(+) 192.03

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पुरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
28.			789-अनुसंचित जाति हेतु विशेष घटक योजना 99- अनुसूचित आबादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण / चौड़ा करना / सुदृढ़ीकरण एवं विशेष मरम्मत	(ओ) 40.00 (आर) 220.00 260.00	25.56	(-) 234.44
29.			80-सामान्य 004-अनुसंधान 99- अनुसंधान		2.00	0.11
30.			052-भजीनरी एवं उपकरण 99-मुख्य शीर्ष 2059 लोक निर्माण कार्य से अन्तरित जौजार एवं संयत प्रभार		1.00	(-) 1.00
31.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसंचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-अनुसूचित जाति प्रभागों हेतु प्रशिक्षण भवन	(ओ) 20.00 (आर) (-) 20.00	7.97	(+) 7.97
32.			4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 19.50 (एस) 33.00 (आर) -0.80 51.70	42.70	(-) 9.00
33.			70-योजना भवन	(ओ) 0.50 (एस) 3.00 (आर) -1.52 1.98	-	(-) 1.98
34.			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 98-पंचकूला में शिक्षा सदन के भवन का निर्माण	(ओ) 6.00 (एस) 1.00 (आर) (-) 4.69 2.31	0.43	(-) 1.88
35.			99-महाविद्यालय भवन	(ओ) 49.00 (एस) 5.00 (आर) -9.58 44.42	48.94	(+) 4.52
36.			202- माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 5.00 (आर) -1.55 3.45	1.88	(-) 1.57
37.			02- तकनीकी शिक्षा 789- अनुसंचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 99-बहुतकनीकीयों से अनुसूचित जाति छात्रों हेतु छात्रावासों का निर्माण		4.90	-
38.			4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-जारी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल एवं औषधालय 99-भवन	(ओ) 8.00 (एस) 16.00 (आर) 2.79 26.79	21.35	(-) 5.44
39.			4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-सामाजिक कल्याण 800-अन्य व्यय 81-जे.जे, एक्ट को लागू करना 98-निरीक्षण गृह	(ओ) 2.50 (आर) -1.18 1.32	-	(-) 1.32
40.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 106-जनरल पूल आवास 97-जेल	(ओ) 0.50 (आर) 2.17 2.67	0.11	(-) 2.56
41.			5054 सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 101- पुल 99- 1- अस्वाला नारायणगढ़ सड़क पर टांगरी नदी पर ^१ एच.एल.पुल का निर्माण	(ओ) 29.50 (आर) -8.88 20.62	74.27	(+) 53.65

परिशिष्ट 2.6

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
42.			04- जिला एवं अन्य सड़कों 337- सड़क निर्माण कार्य 98- ग्रामीण सड़कें	(ओ) 412.78 (आर) -130.13 282.65	451.41	(+) 168.76
43.			4202- शिक्षा, खेलखुद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02- तकनीकी शिक्षा 104- बहुतकनीकी 99- बहुतकनीकी भवन	(ओ) 23.10 (एस) 11.00 (आर) 22.55 56.65	61.14	(+) 4.49
44.			4059- लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय 60- अन्य भवन 051- निर्माण 99- लोक निर्माण कार्य	(ओ) 3.00 (एस) 10.00 (आर) -1.66 11.34	24.08	(+) 12.74
45.			4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01- सरकारी रिहायशी भवन 106- जनरल प्ल आवास 96- लोक निर्माण कार्य	(ओ) 1.10 (आर) 6.50 7.60	10.51	(+) 2.91
46.			4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण 99- आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	(ओ) 10.01 (आर) 6.97 16.98	15.74	(-) 1.24
47.			4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- ऐलोपैथी 99- भवन	(ओ) 32.00 (एस) 8.00 (आर) 2.40 42.40	44.65	(+) 2.25
48.			02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 99- भवन	(ओ) 0.01 (आर) 0.99 1.00	3.54	(+) 2.54
49.			5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- अनुसंधान	(ओ) 3.00 (एस) 0.80 (आर) -0.21 3.59	0.20	(-) 3.39
50.	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 02- माध्यमिक शिक्षा 109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय 99- अन्य स्थापना सहित शिक्षण स्टॉफ 98- स्थापना व्यय	(ओ) 1,339.17 (आर) -102.01 1,237.16	1,212.36	(-) 24.80
51.			105- अध्यापक प्रशिक्षण 96- गुडगांव, सोनीपत, मोहरा, विरहीकला, इक्कस, डीग, महेन्द्रगढ़, भटीना इत्यादि में डी आई ई टी एस का संस्थापन	(ओ) 28.53 (आर) -3.18 25.35	19.80	(-) 5.55
52.			001- निदेशक एवं प्रशासन 99- प्रशासनिक स्टॉफ	(ओ) 21.51 (आर) -0.35 21.16	15.95	(-) 5.21
53.			01- आरम्भिक शिक्षा 101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 95- सुविधाओं का विस्तार कक्षाएं 6-8 (पूर्ण कालिक)	(ओ) 8.00 (आर) 53.34 61.34	31.58	(-) 29.76
54.			99- कक्षाएं 1 से 5 तक	(ओ) 1,001.91 (आर) 117.20 1,119.11	1,025.26	(-) 93.85
55.			98- माध्यमिक शिक्षा कक्षाएं 6 से 8 98- स्थापना व्यय	(ओ) 706.27 (आर) 41.79 748.06	725.28	(-) 22.78

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वार्स्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
56.			97 - सुविधाओं का विस्तार कक्षाएं 1-5	(ओ) - (एस) 142.12 (आर) 51.53 193.65	153.42	(-) 40.23
57.			108 - पाठ्य पुस्तके 98 - पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि	(ओ) 22.81 (आर) 2.15 24.96	28.06	(+) 3.10
58.			03 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा 103 - राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान 99 - संस्थान	(ओ) 153.57 (आर) 44.67 198.24	177.44	(-) 20.80
59.			01 - आरम्भिक शिक्षा 101 - राजकीय प्राथमिक विद्यालय 90 - सर्व शिक्षा अभियान	(ओ) 170.00 (आर) -78.27 91.73	161.73	(+) 70.00
60.	10	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी 102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना 99 - मुख्यालय स्टॉफ	(ओ) 2.29 (आर) -0.70 1.59	3.21	(+) 1.62
61.			2215 - जलापूर्ति एवं सफाई 01 - जल आपूर्ति 799 - उच्चन्त	(ओ) 0.60 (आर) 6.73 7.33	38.36	(+) 31.03
62.			001 - निवेशन एवं प्रशासन 99 - मुख्यालय स्टॉफ मुख्य अभियन्ता एवं उसकी स्थापना 98 - स्थापना व्यय	(ओ) 8.55 (आर) 0.91 9.46	10.64	(+) 1.18
63.			221 - परिवार कल्याण 101 - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - 98 - उप केंद्र	(ओ) 44.29 (आर) 4.66 48.95	56.79	(+) 7.84
64.			2215 - जल आपूर्ति एवं सफाई 01 - जल आपूर्ति 001 - निवेशन एवं प्रशासन 96 - कार्यकारी अभियन्ता तथा उनकी स्थापना नियमित /स्थायी मैकेनिकल स्टॉफ	(ओ) 315.77 (आर) 41.79 273.98	275.30	(+) 1.32
65.			2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 06 - जन स्वास्थ्य 101 - बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण 99 - मलेरिया	(ओ) 75.28 (आर) -12.37 62.91	72.91	(+) 10.00
66.	12	श्रम एवं रोजगार	2230 - श्रम एवं रोजगार 03 - प्रशिक्षण 003 - क्राफ्टसमैन तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 99 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(ओ) 57.26 (आर) -7.46 49.80	47.80	(-) 2.00
67.			64 - आईटी.आईज का विकास	(ओ) 12.57 (आर) 19.35 31.92	30.77	(-) 1.15
68.			4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 800 - अन्य व्यय 97 - मशीनरी एवं उपकरण का आधुनिकीकरण	(ओ) 15.63 (एस) 5.37 (आर) -2.30 18.70	16.85	(-) 1.85
69.	13	सामाज कल्याण एवं पुनर्वास	2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 200 - अन्य कार्यक्रम 99 - राष्ट्रीय कार्मिक राहत निधि को योगदान	(ओ) 10.61	-	(-) 10.61
70.			02 - सामाजिक कल्याण 102 - बाल कल्याण 92 - एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	(ओ) 182.09 (एस) 3.36 (आर) -7.85 177.60	172.79	(-) 4.81

परिशिष्ट 2.6

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्राप्तधन ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिकार्य (+)/ बचत (-)
71.			2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 69 - अनुसूचित जाति छात्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।	(ओ) - (एस) 1.00 (आर) 0.24 1.24	0.24	(-) 1.00
72.	15	सिंचाई	2701 - माध्यम सिंचाई 07 - नावार्ड के अधीन पुरानी/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 110.45	-	(-) 110.45
73.			14 - जल स्रोत समेकिकरण परियोजना (उबलयू आरसीपी) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 36.14	-	(-) 36.14
74.			08 - जुर्ड नहर योजना 800 - अन्य व्यय 98 - ऊर्जा प्रभार	17.00	-	(-) 17.00
75.			001 - निवेशक एवं प्रशासन 98 - अधीक्षण अभियन्ता	(ओ) 1.49 (आर) -0.15 1.34	-	(-) 1.34
76.			10 - सिवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - ऊर्जा प्रभार	(ओ) 13.30 (आर) -9.71 3.59	-	(-) 3.59
77.			2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पञ्चमी जमुना नहर योजना (वाणिज्यिक) 001 - निवेशन एवं प्रशासन 98 - निष्पादन सिंचाई	(ओ) 228.72 (एस) 13.61 (आर) -15.37 226.96	136.06	(-) 90.90
78.			96 - विशेष राजस्व	(ओ) 46.70 (एस) 1.46 (आर) -5.96 42.20	12.17	(-) 30.03
79.			99 - पर्यवेक्षण सिंचाई	(ओ) 26.46 (एस) 1.28 (आर) -2.12 25.62	8.56	(-) 17.06
80.			101 - अनुरक्षण एवं मरम्मत 98 - अन्य अनुरक्षण व्यय	(ओ) 25.45 (आर) 0.24 25.69	19.42	(-) 6.27
81.			15 - नगरों की लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 81.72	-	(-) 81.72
82.			80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 97 - रेणुका बांध परियोजना हेतु हिमाचल प्रदेश को हिस्सा	(ओ) - (एस) 60.90 (आर) -35.90 25.00	-	(-) 25.00
83.			99 - ब्याज	(ओ) 54.48	-	(-) 54.48
84.			001 - निवेशन एवं प्रशासन 99 - मुख्य अभियन्ता कामन स्थापना	(ओ) 24.07 (एस) 3.02 (आर) -3.55 23.54	6.15	(-) 17.39
85.			05 - जवाहर लाल नेहरू परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - ऊर्जा प्रभार	(ओ) 73.70 (आर) -20.97 52.73	41.99	(-) 10.74
86.			99 - ब्याज	(ओ) 8.05	-	(-) 8.05
87.			001 - निवेशन एवं प्रशासन 98 - कार्यकारी	(ओ) 1.63 (आर) -0.24 1.39	-	(-) 1.39

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वार्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
88.			01-बहु उद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निवेशन एवं प्रशासन 97-निष्पादन सिंचाई	(ओ) 50.63 (आर) -5.12 45.51	19.35	(-) 26.16
89.			95-विशेष राजस्व स्टाफ	(ओ) 24.60 (आर) -2.43 22.17	0.45	(-) 21.72
90.			98-अधीक्षण सिंचाई	(ओ) 3.91 (आर) -1.01 2.90	1.35	(-) 1.55
91.			101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 98-अन्य अनुरक्षण व्यय 99-हरियाणा भाग	(ओ) 3.43 (आर) 1.10 4.53	-	(-) 4.53
92.			04-लोहारु नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 29.50 (आर) -1.33 28.17	-	(-) 28.17
93.			18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निवेशन एवं प्रशासन 97-निष्पादन सिंचाई	(ओ) 31.70	9.41	(-) 22.29
94.			98-पर्यावरण सिंचाई	(ओ) 5.75 (आर) -0.32 5.43	0.54	(-) 4.89
95.			99-मुख्य सिंचाई	(ओ) 1.70	0.40	(-) 1.30
96.			12-बाढ़ नियंत्रण परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 99-व्याज	(ओ) 14.86	-	(-) 14.86
97.			14-दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजनाएं 800-अन्य व्यय 99-व्याज	(ओ) 12.99	-	(-) 12.99
98.			11-भारतीय प्रबन्धन बोर्ड 800-अन्य व्यय 99-व्याज	(ओ) 1.31	-	(-) 1.31
99.			02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 16.50 (आर) -3.17 13.33	45.74	(+) 32.41
100.			80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, परिचालन एवं अनुरक्षण	(ओ) 27.00 (आर) 6.00 33.00	58.86	(+) 25.86
101.			01-बहु उद्देश्य नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 98-अन्य अनुरक्षण व्यय	(ओ) 7.82 (आर) 5.18 13.00	15.63	(+) 2.63
102.			05-जवाहर लाल नेहरू परियोजना (वाणिज्यिक) 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 98-अन्य अनुरक्षण व्यय	(ओ) 2.20 (आर) 1.05 3.25	8.52	(+) 5.27
103.			04-लोहारु नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 98-अन्य अनुरक्षण व्यय	(ओ) 1.60 (आर) 0.90 2.50	5.35	(+) 2.85
104.			4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 16 भौजूदा चैनलों / निकास प्रणाली का पुरकल्पना 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 33.25 (आर) 25.75 59.00	140.12	(+) 81.12
105.			15-चैनलज की लाईनिंग 800-अन्य व्यय 97-बी.एम.एल. हासी शास्त्रा - बुटाना शास्त्रा बहु उद्देश्य लिंक चैनल	(ओ) 0.10	11.37	(+) 11.27

परिशिष्ट 2.6

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
106.			800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 8.00 (आर) 5.95 13.95	15.45	(+) 1.50
107.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 4 - कौशल्या बाध 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) - (एस) - (आर) 79.32 79.32	103.83	(+) 24.51
108.			07 - नाबांड के अधीन पुरानी/मौजूदा चैनलों का सुधार 800 - अन्य व्यय 98 - नहर का निर्माण	(ओ) 150.00 (आर) -70.00 80.00	203.39	(+) 123.39
109.			06 - जल के समानुपात वितरण हेतु नई माइनर 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 230.30 (आर) -180.30 50.00	94.28	(+) 44.28
110.			21 - एन.सी.आर जलापूर्ति चैनल 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) - (एस) - (आर) 75.00 75.00	(-) 32.00	(-) 107.00
111.			80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 97 - पूर्ण परियोजनाओं की देयता	(ओ) 25.00	-	(-) 25.00
112.			002 - डाटा संग्रहण 99 - डाटा संग्रहण	(ओ) 6.94 (आर) 1.10 8.04	2.19	(-) 5.85
113.			4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 13 - नहर प्रणाली का आधकीकरण एवं लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 98 - नहर का निर्माण	(ओ) 36.25 (आर) -28.64 7.61	1.67	(-) 5.94
114.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में जल मार्गों के पुनरुत्थान में सुधार	(ओ) 3.75 (आर) 1.14 4.89	-	(-) 4.89
115.			16 - मौजूदा चैनलों/निकास प्रणाली का पुनरुत्थान 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - निर्माण कार्यों में सुधार तथा राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में जलमार्गों का पुनरुत्थान	(ओ) 5.75 (आर) 25.75 31.50	-	(-) 31.50
116.			05 - जबाहर लाल नेहरू परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - बांध एवं सम्बद्ध कार्य	(ओ) 12.50 (आर) -12.50	7.35	(+) 7.35
117.			15 - चैनलों की लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 98 - बी एम एल की पुनः स्थापन क्षमता	(ओ) 2.50 (आर) 0.13 2.63	-	(-) 2.63
118.			14 - दाटुपुर नलवी सिंचाई परियोजना 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति आबादी के भूजल को मृदु जल में रिचार्ज करना	(ओ) 2.00 (आर) 0.05 2.05	-	(-) 2.05
119.			4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 - बाढ़ नियंत्रण 201 - जल विकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99 - बाढ़ सुरक्षा एवं महाविपदा तैयारी	(ओ) 25.45 (आर) 6.74 32.19	8.73	(-) 23.46
120.			98 - शहरी बाढ़ जल निकास	(ओ) 7.00	-	(-) 7.00
121.			789 - अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में बाढ़ सुरक्षा, पुनः स्थापना एवं महाविपदा प्रबन्धन	(ओ) 7.55	-	(-) 7.55

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
122.	17	कृषि	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01- फसल पालन 277- शिक्षा 99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 151.43	128.31	(-) 23.12
123.			789- अनुसूचित जातियां के लिए विशेष घटक योजना 99- अनुसूचित जाति को कृषि अनुसंधान सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कीम	(ओ) 1.65	-	(-) 1.65
124.			2402- भू एवं जल संरक्षण 102- भू संरक्षण 86- भिवानी एवं झज्जर जिले में जलीय क्षेत्रों के सुधार हेतु पायलट परियोजना 99- सामान्य योजना	(ओ) 4.30	1.50	(-) 2.80
125.			2402- भू एवं जल संरक्षण 102- भू- संरक्षण 80- जल- बचाव प्रौद्योगिकी को सहायता प्रदान करने हेतु योजना स्कीम	(ओ) 4.00	13.37	(+) 9.37
126.	18	पशुपालन	2403- पशुपालन 102- पशु एवं भैंस विकास 73- एकीकृत मरीह विकास हेतु स्कीम,	(ओ) 15.00 (आर) -15.00	3.48	(+) 3.48
127.			101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 95- पशु चिकित्सा अस्पताल एवं औषधालयों को जारी रखना	(ओ) 56.91 (आर) -3.00 53.91	46.85	(-) 7.06
128.			93- भौजूदा राज्य पशु विकास परियोजना के विस्तारण तथा आई सौंडी पी नारनौल की स्थापना	(ओ) 5.09 (आर) 2.91 8.00	10.06	(+) 2.06
129.			95- अम्बाला, भिवानी, जीन्द, पेहवा तथा सिरसा में सघन पशुधन विकास परियोजना की स्थापना के लिए स्कीम	(ओ) 24.24 (आर) 3.56 27.80	28.82	(+) 1.02
130.			101- पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य 96- पशु चिकित्सा अस्पताल एवं औषधालय	(ओ) 23.33 (आर) 1.38 24.71	27.42	(+) 2.71
131.			98- जिला पशुपालन कार्यालय को कार्यालय को जारी रखने तथा नए जिला कार्यालयों के सृजन हेतु स्कीम	(ओ) 5.83 (आर) -0.39 5.44	6.59	(+) 1.15
132.	21		2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 789- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 98- अनुसूचित जातियों हेतु कुल सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सफाई हेतु स्कीम	(ओ) 4.00	-	(-) 4.00
133.		समुदाय विकास	99- अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई हेतु स्कीम	(ओ) 2.00	-	(-) 2.00
134.			97- अनुसूचित जातियों के लिए हारिजन चौपाल के निर्माण हेतु स्कीम	(ओ) 1.00	-	(-) 1.00
135.			102- सामुदायिक विकास 93- पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 99- सामान्य योजना	(ओ) 8.00	-	(-) 8.00
136.			91- अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु विशेष घटक योजना 98- अनुसूचित जाति एस सी एस पी घटक हेतु रोजगार उत्पादन हेतु स्कीम	(ओ) 2.00	-	(-) 2.00
137.			87- स्वच्छता पर राज्य प्रोत्साहन स्कीम	(ओ) 3.93	2.09	(-) 1.84
138.			96- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम 99- सामान्य योजना	(ओ) 3.57	2.51	(-) 1.06

परिशिष्ट 2.6

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
139.	23	यात्रायात	5053 - नागरिक उड़ायन पूँजीगत परिव्यय 60 - अन्य वैमानिक सेवाएँ 052 - मशीनरी एवं उपकरण 98 - विभिन्न हवाई अडडो पर वायु ट्रैफिक नियंत्रण सुविधाएँ	(ओ) 0.20 (आर) - 0.20	3.32	(+) 3.12
140.	लोक ऋण		6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 110 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अधिगम	(ओ) 1,000.00 (आर) -568.57 431.43	169.58	(-) 261.85
141.			109 - अन्य संस्थाओं से ऋण 97 सड़कों (बी.एण्ड.आर) को उन्नयन हेतु एन.सी.आर.पी. बी से ऋण	(ओ) 85.50 (आर) -38.13 47.37	54.00	(+) 6.63
142.			96 - एन.सी.आर.पी. बी (पी.एच) से ऋण	(ओ) 88.77 (आर) -10.04 78.73	76.34	(-) 2.39
143.			105 - कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक से ऋण 99 - नाश्वाई से ऋण	(ओ) 73.49 (एस) 9.64 (आर) 49.37 132.50	151.40	(+) 18.90
144.			6004 - केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अधिगम 02 - राज्य /संघीय क्षेत्र योजनागत स्कीमों हेतु ऋण 105 - 12 बी वित्त आयोग की अनुशासाओं के निवन्धन में समेकित राज्य योजना ऋण	(ओ) 96.67	154.67	(+) 58.00
145.	25	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अधिगम	7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण अधिगम 801 - अन्य अधिगम 99 - स्वाचालनों के क्रय हेतु अधिगम	(ओ) 72.00 (आर) -25.60 46.40	60.17	(+) 13.77 (-) 2167.18 (+) 1285.34
			योग		13,256.29	

सार	मामलों की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
विनियोजनों पर अधिक व्यय	50	1,285.34
विनियोजनों से बचतें	95	2,167.18
योग	145	3,452.52

₹ 10 करोड़ से अधिक आधिक्य मामले	संख्या	राशि
क्रमांक संख्या . 44,65,105,107 और 143	5	77.42
₹ 10 करोड़ से अधिक बचत मामले		
क्रमांक संख्या . 8,12,13,21,50,55,58,59,69,74,79,84,89,93,96,97,119 और 122	17	301.99
योग	22	379.41

₹ 25 करोड़ से अधिक आधिक्य मामले	संख्या	राशि
क्रमांक संख्या 6,27,41,42,59,61,99,100,104,108,109 और 144	12	1081.03
₹ 25 करोड़ से अधिक बचत मामले		
क्रमांक संख्या 9,14,16,26,28,53,54,56,72,73,77,78,81,82,83,88,92,110,111,115 और 140	21	1654.26
योग	33	2735.29

परिशिष्ट 2.7

वास्तविक बचतों को आधिक्य में अभ्यर्पण (₹ 50 लाख अथवा अधिक) (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
राजस्व - दत्तमत					
1	18 - पशुपालन	328.23	(-) 31.82	43.43	11.61
2	21 - समुदाय	1,002.71	(-) 70.13	309.40	239.27
3	23 - यातायात	1,067.96	(-) 97.70	99.66	1.96
पूंजी - प्रभारित					
4	15 - सिंचाई	42.00	(-) 17.07	18.00	0.93
पूंजी - दत्तमत					
5	23 - यातायात	169.81	(-) 20.89	24.04	3.15
6	15 - सिंचाई	1,453.00	(+) 177.25	15.49	192.74
7	25 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अधिग्रहण	1,483.27	(-) 653.58	667.55	13.97
योग		5,546.98	(-) 713.94	1,177.57	463.63

परिशिष्ट

2.8

अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का विवरण

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	अनुदानों / विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी शेष रही
1	2	3	4	5
राजस्व (दत्तमत)				
1.	8 - भवन एवं सड़कें	111.52	36.81	74.71
2.	9 - शिक्षा	286.09	117.60	168.49
3.	12 - श्रम एवं रोजगार	19.93	15.05	4.88
4.	13 - सामाजिक कल्याण एवं पुनर्वास	82.29	65.65	16.64
5.	15 - सिंचाई	366.75	129.48	237.27
6.	17 - कृषि	18.37	4.50	13.87
राजस्व (प्रभारित)				
7.	6 - वित्त	266.56	116.11	150.45
पूँजी (दत्तमत)				
8.	12 - श्रम एवं रोजगार	6.81	4.41	2.40
पूँजी (प्रभारित)				
9.	8 - भवन एवं सड़कें	3.60	0.21	3.39
10.	लोक ऋण	2,032.39	1,848.57	183.82
योग		3,194.31	2,338.39	855.92

परिशिष्ट

2.9

30 एवं 31 मार्च 2010 को ₹ 10 करोड़ के
आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण के कुल मामले
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 53)

क्रमांक	अनुदान संख्या	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
राजस्व (दत्तमत)				
1.	2 – सामान्य प्रशासन	643.34	13.07	2
2.	4 – राजस्व	547.09	179.42	33
3.	5 – आबकारी एवं कराधान	115.88	13.02	11
4.	8 – भवन एवं सड़क	919.77	36.81	4
5.	9 – शिक्षा	5,492.64	117.60	2
6.	11 – शिक्षा विकास	911.89	577.91	63
7.	12 – श्रम एवं रोजगार	206.30	15.05	7
8.	13 – समाज कल्याण एवं पुनर्वास	2,192.11	65.65	3
9.	14 – स्वास्थ्य एवं आपूर्ति	243.42	156.43	64
10.	15 – सिंचाई	3,925.28	129.48	3
11.	16 – उद्योग	140.76	22.75	16
12.	18 – पशु पालन	328.23	43.43	13
13.	21 – समुदाय विकास	1,002.71	309.40	31
14.	23 – यातायात	1,067.96	99.66	9
राजस्व प्रभारित				
15.	6 – वित्त	3,075.57	116.11	4
पूंजी दत्तमत				
16.	8 – भवन एवं सड़कें	1,991.22	392.19	20
17.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	824.50	82.34	10
18.	स्वास्थ्य एवं आपूर्ति	3,600.64	188.44	5
19.	15 – सिंचाई	1,453.00	15.50	1
20.	23 – यातायात	169.81	24.04	14
21.	25 – राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,483.27	667.55	45
पूंजी प्रभारित				
22.	15 – सिंचाई	42.00	18.00	43
23.	लोक ऋण	4,778.36	1,848.57	39
	योग	35,155.75	5,132.42	

परिशिष्ट

2.10

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना / सेवा	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2010 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	मार्च 2010
1.	02 - सामान्य प्रशासन	2220 - सूचना एवं प्रसारण	69.47	40.81	59	30.29	44
2.	04 - राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	209.13	206.44	99	200.26	96
3.	06 - वित्त	2048 - ऋण के परिहार अथवा कटौती हेतु विनियोजन	72.48	72.48	100	72.48	100
4.	12 श्रम एवं रोजगार	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	29.42	29.42	100	26.95	92
5.	13 - समाज कल्याण एवं पुनर्वास	2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पैंथडा वर्ग	161.31	97.30	60	79.73	50
6.	15 - सिंचाई	2700 - मुख्य सिंचाई	725.29	364.13	50	154.38	21
7.		2801 - बिजली	2,774.45	1,559.77	56	577.21	21
8.		4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	275.58	188.06	68	120.55	44
9.		4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	401.80	212.57	53	159.22	40
10.		4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	78.98	49.46	63	46.52	59
11.		4801 - बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	898.82	497.43	55	428.62	48
12.	16 - उद्योग	2810 - ऊर्जा के गैर अभिसामयिक स्रोत	13.41	7.98	60	2.02	15
13.		2852 - उद्योग	27.28	13.75	50	5	18
14.		2853 - अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	12.91	8.55	66	7.64	59
15.		3452 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	31.41	25.23	80	23.83	76
16.	17 - कृषि	2401 - फसल पालन	331.47	194.50	59	153.51	46
17.		2402 - मिटटी एवं जल संरक्षण	39.66	22.85	58	13.31	34
18.	19 - मत्स्य पालन	2405 - मत्स्य पालन	24.17	12.04	50	7.72	32
19.	20 - वन	2402 - मिटटी एवं जल संरक्षण	10.94	3.70	34	5.96	54
20.	21 - समुदाय विकास	2505 - ग्रामीण रोजगार	66.85	37.91	57	13.61	20
21.		3604 स्थानीय विकास एवं पंचातयी राज संस्थाओं को सतिपूर्ति एवं आबंटन	69.91	52.74	75	46.82	67
22.	22 - सहकारिता	2425 - सहकारिता	71.61	37.57	52	31.35	44
23.		4425 - सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	16.39	12.20	74	13.10	80
24.	23 - यातायात	5055 - सड़क यातायात पर पूँजीगत परिव्यय	79.26	59.00	74	53.94	68
25.	24 - पर्यटन	5452 - पर्यटन पर पूँजीगत व्यय	25.95	16.73	64	15.68	60
26.	25 ऋण एवं अग्रिम	6860 - उपभोक्ता उद्योग हेतु ऋण	72.50	42.50	59	42.50	59
27.		6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	123.54	123.54	100	123.54	100
28.		6217 - शहरी विकास हेतु ऋण	417.61	217.61	52	167.61	40
29.		6851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग हेतु ऋण	23.86	23.86	100	23.86	100
30.	लोक ऋण	6003 - राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	2,576.41	1,357.37	53	554.01	22
31.		6004 - केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	169.56	100.15	59	2.23	1.32
		योग	9,901.43	5,687.65	57	3,203.45	32

परिशिष्ट 2.11

दोषपूर्ण बजट दर्शाने वाले प्रकरणों के विवरण (संदर्भ : अनुच्छेद 2.4: पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक्य(+)
1.	2049 - ब्याज अदायगियां 03 - लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि का ब्याज 104 - राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 99 - अखिल भारतीय सेवा अधिकारी से अन्य सरकारी कर्मचारी को राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	522.00	-	32.71	554.71	541.30	(-) 13.41
2.	01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज 123 - राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, लघु बचत संग्रहण पर ब्याज	1,035.92	-	0.62	1,036.54	1,026.36	(-) 10.18
3.	200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 92 - एन सी आर पी वी से ऋणों पर ब्याज	66.69	-	39.57	106.26	59.95	(-) 46.31
4.	04 - केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 101 - राज्य/संघीय क्षेत्र योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज 99 - ब्लॉक ऋण	33.08	-	3.10	36.18	27.87	(-) 8.31
योग		1,657.69	-	76.00	1,733.69	1,655.48	(-) 78.21
5.	3054 - सड़कें एवं पुल 04 - जिला एवं अन्य सड़कें 337 - सड़क कार्य 99 - जिला सड़क	31.10	-	(-) 10.23	20.87	30.90	(+) 10.03
6.	2010 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 06 - जन स्वास्थ्य 101 - बीमारियों का रोकथाम एवं नियंत्रण 99 - मलेरिया	75.28	-	(-) 12.37	62.91	72.91	(+) 10.00

क्र. सं.	शीर्ष		मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक्य(+)
7.	2236 - पोषण 02 - पौष्टिक खाद्य एवं पेयों का सवितरण 789 - अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 99 - अनुसूचित जातियों के लिए किशोरी शक्ति योजना	2.00	-	(-) 0.65	1.35	2.05	(+) 0.70	
8.	2403 - पशु पालन 101 - पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 93 - पशुचिकित्सा औषधालय / स्टाकमन केन्द्रों का अस्पताल सह प्रजनन केन्द्रों में परिवर्तन	44.54	-	(-) 8.65	35.89	41.70	(-) 5.81	
9.	107 - चारा एवं पोषण विकास 99 - हिंसार पशु फार्म (स्थायी पक्ष) अधीन चारे का विकास	2.47	-	(-) 0.27	2.20	2.82	(+) 0.62	
10.	3055 - सड़क यातायात 201 - हरियाणा परिवहन 98 - बी परिचालन 95 - हरियाणा परिवहन करनाल	40.23	-	(-) 1.52	38.71	41.01	(+) 2.30	
11.	2202 - सामान्य शिक्षा 01 - आरम्भिक शिक्षा 101 - राजकीय प्राथमिक विद्यालय 90 - सर्व शिक्षा अभियान	170.00	-	(-) 78.27	91.73	161.73	(+) 70.00	
12.	2204 - खेल एवं युवा सेवाएं 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - नई कोचिंग योजना	6.51	-	(-) 0.65	5.86	6.45	(+) 0.59	
13.	98 - क्रीड़ा कोचिंग कैम्प की स्थापना	8.40	-	(-) 0.67	7.73	8.10	(+) 0.37	
	योग	380.53	-	(-) 113.28	267.25	367.67	(+) 100.42	
	कुल योग	2,038.22				2,023.15		

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक्य(+)
नई सेवाएँ							
14.	2014 - न्याय प्रशासन 114 - कानूनी सलाहकार एवं परिषदें 95 - विवेचन एवं समाधान कार्यक्रम	-	-	0.30	0.30	0.30	-
15.	94 - राज्य कानूनी सहायता निधि	-	-	0.20	0.20	0.20	-
16.	2054 - कोषालय एवं लेखा प्रशासन 095 - निदेशालय लेखा एवं कोषालय 98 - सी.आर.ए. सेवा प्रभार	-	-	0.34	0.34	0.34	-
17.	2075 - विविध सामान्य सेवाएँ 800 - अन्य व्यय 94 - हरियाणा वर्ग 'घ' कर्मचारी चयन समिति 98 - स्थापना व्यय	-	-	1.39	1.39	0.94	(-) 0.45
योग		-	-	2.23	2.23	1.78	(-) 0.45

परिशिष्ट

2.12

वर्ष 2009-10 के लिए वित्त विभाग को बजट अनुमान प्रस्तुत किए जाने में देरी का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3.; पृष्ठ 56)

क्र. सं.	मांग संख्या एवं नामावली	खातों का मुख्य शीर्ष	विभागों / योजनाओं का नाम	बजट प्राप्ति तिथि	वित्त विभाग को सौंपने की बकाया तिथि	देरी दिनों में
1.	4 - राजस्व	2029 - (गैर योजना) भू - राजस्व	वित्तीय आयुक्त (राजस्व) भू - अभिलेख एवं चक्कर्दी 103 भू अभिलेख (मुख्यालय एवं जिला स्टॉक)	19-12-2008	23-10-2008	56
2.		2506 - (गैर योजना) भू - सुधार	वित्तीय आयुक्त (राजस्व) भू - अभिलेख एवं चक्कर्दी, (एस.एन.ई) 012 - भू सुधार (अस्थाई पद)	25-11-2008	05-10-2008	50
3.		2030 - (गैर योजना) स्टॉक निवधन	वित्तीय आयुक्त (राजस्व) एस.एन.ई, 001 - निवेशन तथा जांच कर्मचारी	04-11-2008	05-10-2008	29
4.		2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	वित्तीय आयुक्त (राजस्व) (एस.एन.ई), प्राकृतिक आपदा	12-11-2008	05-10-2008	37
5.		3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	वित्तीय आयुक्त (राजस्व) एस.एन.ई, 201 - (99) भू सुधार	18-03-2009	05-10-2008	163
6.	7 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	हिपा - बी.ई.	25-11-2008	06-10-2008	49
7.			राज्य सतर्कता ब्युरो	17-12-2008	06-10-2008	71
8.			जांच अधिकारी सतर्कता	12-11-2008	06-10-2008	36
9.			लोका युक्त	23-10-2008	06-10-2008	16
10.			नागरिक सुरक्षा	02-01-2009	06-10-2008	87
11.			गृह रक्षा	11-12-2008	06-10-2008	65
12.			शहरी संगठन	01-01-2009	06-10-2008	86
13.			आतिथ्य संगठन	05-12-2008	06-10-2008	59
14.			पुर्नवास विभाग	27-11-2008	06-10-2008	51
15.			मुख्य सचिव हरियाणा (विभिन्न कमेटी मीटिंग पर व्यय)	20-11-2008	06-10-2008	44
16.			हरियाणा राज्य लाटरीज	03-11-2008	06-10-2008	27
17.			हरियाणा राज्य प्रशासनिक सुधार मिशन	24-12-2008	06-10-2008	78
18.		2075 - विविध सामान्य सेवाएँ	वित्तीय आयुक्त (राजस्व)	19-12-2008	06-10-2008	73
19.			वित्तीय आयुक्त एवं मुख्य सचिव, राज्य लाटरीज	10-11-2008	06-10-2008	34

परिशिष्ट

3.1

31 मार्च 2010 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उपयोगिता प्रमाण – पत्रों का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 59)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		देय ⁹ उपयोगिता प्रमाण – पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण – पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण – पत्र	
		मर्दे	राशि	मर्दे	राशि	मर्दे	राशि	मर्दे	राशि
ग्रीष्मीय और विकास	2008-09	01	150.00	01	150.00	-	-	01	150.00
	1998-99	601	38,075.97	04	259.99	-	-	04	259.99
	1999-2000	864	41,141.77	77	513.67	07	14.51	70	499.16
	2000-01	1,388	51,217.52	113	1,015.10	13	86.65	100	928.45
	2001-02	1,803	66,846.07	439	1,267.77	34	55.20	405	1,212.57
	2002-03	1,852	60,779.91	271	3,342.76	40	42.45	231	3,300.31
	2003-04	1,592	13,665.44	147	2,531.04	26	448.23	121	2,082.81
	2004-05	212	4,837.81	03	945.81	01	38.02	02	907.79
	2005-06	561	10,127.05	35	3,649.03	23	256.84	12	3,392.19
	2006-07	201	11,914.72	88	8,928.55	23	213.92	65	8,714.63
	2007-08	123	35,407.20	25	33,982.68	12	2,883.76	13	31,098.92
	2008-09	41	46,445.31	41	46,445.31	07	5,348.78	34	41,096.53
सिंचार्ह	2007-08	02	170.00	01	04.59	01	04.59	-	-
	2008-09	02	230.00	02	230.00	02	230.00	-	-
कृषि	2006-07	11	10,865.67	11	10,865.67	05	710.00	06	10,155.67
	2007-08	09	11,961.00	09	11,961.00	09	11,961.00	--	--
	2008-09	08	14,025.65	8	14,025.65	-	-	08	14,025.65
ग्रामीण विकास	2001-02	-	-	01	13.53	-	-	01	13.53
	2002-03	27	4,444.69	01	1.69	-	-	01	1.69
	2004-05	41	4,518.96	7	1,120.65	-	-	7	1,120.65
	2005-06	248	3,617.80	127	2,919.17	-	-	127	2,919.17
	2006-07	46	6,434.89	46	6,434.39	-	-	46	6,434.39
	2007-08	330	7,796.33	330	7,796.33	-	-	330	7,796.33
	2008-09	416	4,002.20	416	4,002.20	-	-	416	4,002.20
विकास एवं पंचायत	2002-03	-	-	03	502.06	-	-	03	502.06
	2003-04	19	10,597.24	16	10,095.18	01	44.51	15	10,050.67
	2004-05	14	6,891.70	13	6,884.90	01	41.79	12	6,843.11
	2005-06	44	15,811.82	41	9,802.48	01	6,369.34	40	3,433.14
	2006-07	11	14,150.03	11	8,574.39	02	1,383.78	09	7,190.61
	2007-08	04	35,842.00	04	34,017.01	आधिकारिक	193.41	04	33,823.60
	2008-09	72	57,865.20	72	57,865.20	- सम -	100.88	72	57,764.32
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	2004-05	36	15.00	02	0.51	-	-	02	0.51
	2005-06	60	20.83	10	0.10	-	-	10	0.10
	2006-07	20	2,000.00	09	61.52	-	-	09	61.52
	2007-08	20	3,500.00	20	3,500.00	-	-	20	3,500.00
	2008-09	40	10,062.00	40	10,062.00	-	-	40	10,062.00
चिकित्सा	2003-04	68	1,228.53	01	3.30	-	-	01	3.30
	2007-08	11	2,795.34	02	24.31	02	24.31	-	-
	2008-09	07	2,391.00	07	2,391.00	05	2,359.30	02	31.70
सामान्य शिक्षा	2005-06	305	20,922.22	02	77.20	01	40	01	37.20
	2006-07	296	21,476.00	64	5,284.72	31	3,665.17	33	1,619.55
	2007-08	259	43,415.20	25	24.10	-	-	25	24.10
	2008-09	255	35,968.81	255	35,968.81	35	2959.90	220	33,008.91
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2008-09	09	351.94	09	351.94	08	350.60	01	1.34

⁹ 2006-07 और पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में देय, 31 मार्च 2009 को वास्तव में लम्बित उपयोगिता प्रमाण – पत्रों के आधार पर दर्शाये गये हैं।

परिशिष्ट 3.1

विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		देय उपयोगिता प्रमाण - पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण - पत्र	
		मर्दे	राशि	मर्दे	राशि	मर्दे	राशि	मर्दे	राशि
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	2000-01	-	-	10	653.86	03	139.86	07	514.00
	2001-02	-	-	06	606.55	01	68.91	05	537.64
	2002-03	-	-	11	280.81	11	280.81	-	-
	2003-04	260	7,132.37	21	525.38	14	370.41	07	154.97
	2004-05	28	1,706.66	17	1,543.96	05	150.32	12	1,393.64
	2005-06	74	1,480.26	42	1,087.12	17	314.96	25	772.16
	2006-07	53	1,536.08	08	1,233.18	-	-	08	1,233.18
	2007-08	48	2,128.20	48	2,128.20	02	28.88	46	2,099.32
	2008-09	76	2,238.20	76	2,238.20	02	32.48	74	2,205.72
तकनीकी शिक्षा	2007-08	21	2,280.00	21	2,280.00	21	2,280.00	-	-
	2008-09	70	16,738.83	70	16,738.83	36	5,850.15	34	10,888.68
खेलकूद	2006-07	10	326.54	10	326.54	-	-	10	326.54
	2007-08	10	240.00	10	240.00	-	-	10	240.00
	2008-09	69	1,111.66	69	1,111.66	-	-	69	1,111.66
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2007-08	30	515.53	08	220.74	04	122.99	04	97.75
	2008-09	32	568.80	32	568.50	12	175.90	20	392.60
पर्यावरण	2006-07	02	7.16	01	0.47	01	0.47	-	-
	2007-08	06	79.15	05	9.25	03	2.75	02	6.50
	2008-09	07	50.00	07	50.00	01	0.50	06	49.50
पर्यटन	2008-09	04	21.00	04	21.00	04	21.00	-	-
जलाधार्पण एवं स्वच्छता	2003-04	2,426	35,422.91	14	1,053.41	14	1053.41	-	-
	2004-05	1,824	17,596.21	16	946.46	16	946.46	-	-
कला एवं संस्कृति	2005-06	04	15.27	03	15.00	-	-	03	15.00
	2006-07	01	15.00	01	15.00	-	-	01	15.00
	2007-08	01	30.00	01	30.00	-	-	01	30.00
	2008-09	01	30.00	01	30.00	-	-	01	30.00
पशुपालन	2008-09	05	503.96	05	503.96	05	503.96	-	-
मत्स्य पालन	2005-06	54	352.59	06	18.86	04	14.71	02	4.15
	2006-07	41	228.28	10	37.15	10	37.15	-	-
	2007-08	42	220.62	16	48.79	09	15.02	07	33.77
	2008-09	36	236.25	36	236.25	18	163.52	18	72.73
नवीकरणी ऊर्जा	1993-94			01	1.99	-	-	01	1.99
	2004-05	12	108.79	02	12.64	01	0.94	01	11.70
	2005-06	25	397.56	02	1.17	01	0.43	01	0.74
	2006-07	22	391.99	05	112.79	-	-	05	112.79
	2007-08	17	817.99	11	434.51	08	360.79	03	73.72
	2008-09	17	782.50	17	782.50	07	509.82	10	272.68
उद्योग	2000-01	-	-	01	0.14	-	-	01	0.14
	2005-06	21	7,538.80	8	6,983.85	3	5,942.14	5	1,041.71
	2006-07	26	12,409.40	13	11,895.40	2	10,817.50	11	1,077.91
	2007-08	27	1,777.50	19	1,408.21	4	154.01	15	1,254.20
	2008-09	23	2,652.26	23	2,652.26	9	629.19	14	2,023.07
नागर विमानन	2008-09	02	34.90	02	34.90	2	34.90	-	-
स्वास्थ्य सेवाएं	2008-09	24	51.21	24	51.21	-	-	24	51.21
भू- अभिलेख	2006-07	01	378.00	01	378.00	-	--	01	378.00
कमांड थेट्र विकास प्राधिकरण	2003-04	05	4,285.23	02	2,139.62	-	-	02	2,139.62
	2004-05	09	2,732.12	06	2,418.86	-	-	06	2,418.86
	2005-06	10	7,070.77	07	4,326.83	06	3,303.94	01	1,022.89
	2006-07	11	5,487.37	11	5,487.37	06	4,554.55	05	932.82
	2007-08	13	7,125.44	08	1,526.07	08	1,526.07	-	-
योग	2008-09	17	8,826.00	17	8,826.00	12	8,226.00	05	600.00
		17,446	8,88,779.87	3,574	4,32,171.26	572	88,461.84	3,002	3,43,709.42

परिशिष्ट

3.2

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	नगरपालिका, बहादुरगढ़	1986-87 1993-94 1996-97 1997-98 1999-2000 2000-01 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	35.93 34.08 50.00 25.95 49.50 48.93 304.10 33.12 221.34 51.00 223.47 1,171.40
2.	नगरपालिका, भिवानी	1987-88 1988-89 1989-90 1995-96 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2007-08	36.40 33.25 36.00 50.00 27.56 72.00 1,156.87 247.58 48.45
3.	नगरपालिका, करनाल	1982-83 1988-89 1997-98 1998-99 2000-01 2007-08 2008-09	7.00 32.61 36.12 26.25 60.08 1,038.41 53.00
4.	नगरपालिका, नारनील	1988-89 1989-90 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	25.30 28.63 192.58 201.00 25.90 351.81
5.	नगरपालिका, रोहतक	2004-05 2007-08 2008-09	140.58 1,215.88 1,166.54
6.	नगरपालिका, फरीदाबाद	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	39.38 50.00 30.00 669.00 394.00 111.61 93.29 175.14 121.80 404.28 202.45 4,443.62 16,395.00
7.	नगरपालिका, सोनीपत	2007-08 2008-09	178.73 41.00
8.	नगरपालिका, जगाधरी	2004-05 2005-06 2007-08	33.46 54.92 37.10

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
9.	नगरपालिका, पानीपत	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	78.09 57.06 238.95 50.23 145.86 51.00
10.	नगरपालिका, गुडगांव	2006-07 2007-08 2008-09	38.72 173.69 39.00
11.	नगरपालिका, यमुनानगर	2007-08 2008-09	1,841.67 37.00
12.	नगरपालिका, पलवल	2007-08	60.19
13.	नगरपालिका, चरखी दादरी (भिवानी)	1995-96 1999-2000 2008-09	33.33 50.00 306.90
14.	नगरपालिका, रेवड़ी	1996-97 1997-98 1999-2000 2000-01 2003-04 2004-05 2005-06 2007-08	50.00 38.82 229.73 84.17 48.40 35.70 133.45 191.91
15.	नगरपालिका, आनेसर	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	31.01 163.32 89.72 51.00 29.33
16.	नगरपालिका, अम्बाला कैन्ट	2002-03 2005-06 2007-08 2008-09	26.43 239.80 56.85 901.03
17.	नगरपालिका, कुरुक्षेत्र	1998-99 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	33.75 133.48 180.00 375.00 200.00
18.	नगरपालिका, कैथल	2007-08	72.78
19.	नगरपालिका, गन्नौर	2002-03 2006-07	41.16 40.00
20.	नगरपालिका, गोहाना	2005-06 2006-07	69.99 116.98
21.	नगरपालिका, बचानी खेड़ा	1998-99 1999-2000	32.03 40.00
22.	नगरपालिका, स्वरस्वोदा	1998-99 2005-06	50.00 46.41
23.	नगरपालिका, सिरसा	2006-07 2007-08	30.85 58.87
24.	नगरपालिका, डबबाली	2002-03 2003-04 2007-08	140.23 158.58 69.71
25.	नगरपालिका, तावडू	1999-2000 2005-06	40.00 59.95
26.	नगरपालिका, उचाना	1999-2000 2006-07	30.00 46.22
27.	नगरपालिका, असन्ध	1999-2000 2003-04 2004-05	120.00 74.54 44.06

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
28.	नगरपालिका, नारायणगढ़	2005-06	70.10
29.	नगरपालिका, कलानीर	1999-2000	40.00
30.	नगरपालिका, तोशाम	1999-2000	28.40
31.	नगरपालिका, लाडवा	2000-01	45.16
32.	नगरपालिका, नरवाना	2000-01 2007-08	60.58 43.41
33.	नगरपालिका, हांसी	2006-07	51.17
34.	नगरपालिका, महेन्द्रगढ़	2005-06 2007-08	61.26 48.77
35.	नगरपालिका, जीन्द	2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	57.39 25.01 41.85 133.74 26.35 102.82
36.	नगरपालिका, फतेहाबाद	2000-01 2002-03 2004-05 2006-07	50.23 40.16 89.71 33.33
37.	नगरपालिका, ऐलनाबाद	2000-01	43.10
38.	नगरपालिका, पंचकूला	2001-02 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09	116.06 160.54 27.04 51.61 27.00
39.	नगरपालिका, चीका	2003-04 2004-05	158.28 81.00
40.	नगरपालिका, इन्द्री	2003-04 2005-06 2006-07	74.01 54.21 46.51
41.	नगरपालिका, पिंजौर	2003-04 2006-07	34.60 73.93
42.	नगरपालिका, बावल	2006-07	40.00
43.	नगरपालिका, हिसार	2008-09	200.00
44.	नगरपालिका, होडल	2006-07	40.00
45.	नगरपालिका, कालका	2006-07	25.06
46.	नगरपालिका, कलायत	2006-07	47.05
47.	नगरपालिका, नूह	2006-07	40.00
48.	नगरपालिका, पूर्णी	2006-07	47.07
49.	नगरपालिका, धारुहेड़ा	2008-09	47.40
50.	नगरपालिका, झज्जर	2008-09	121.40
51.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जींद	1994-95	25.29
52.	झरावली विकास संगठन, गुडगांव	1995-96	100.00
53.	भारतीय साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली	2002-03	250.00
54.	हरियाणा मलिन आवास शोधन बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
55.	जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
56.	मत्स्य फार्म विकास अभिकरण, गुडगांव	2000-01	45.85
57.	धर्मार्थ दान हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
58.	ई - गर्वनेंस हेतु आई.टी. अभिक्रम निधि समिति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
59.	हरियाणा उर्जा विकास अभिकरण, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
60.	न्यासी बोर्ड (एस.ओ.एस.) बच्चों का गांव बाल ग्राम राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
61.	साकेत हस्पताल, पंचकुला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
62.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
63.	मत्स्य फार्म विकास एजैन्सी, हिसार	2005-06	42.54
64.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	2005-06	170.00
65.	रक्ताधान परिषद, पंचकुला	2005-06	150.00
66.	गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
67.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
68.	राईट्स इंडिया लिमिटेड	2009-10	1750.00
निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय			
69.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10	68.40
70.	एम.पी.एन. महाविद्यालय, लुबाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10	66.58 61.35 105.29
71.	जी.एम.एन महाविद्यालय, अम्बाला कैंट	2009-10	335.96
72.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला कैंट	2009-10	476.16
73.	आर्य महिला महाविद्यालय, अम्बाला कैंट	2009-10	116.20
74.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10	338.50
75.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10	154.39
76.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10	432.72
77.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, न्योला (अम्बाला)	2009-10	70.90
78.	एस.एम.एस. लुबाना खालसा महिला महाविद्यालय, बड़ा (अम्बाला)	2009-10	134.05
79.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रोदर	2009-10	139.34
80.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुना नगर	2009-10	535.53
81.	गुरु नानक महिला महाविद्यालय, यमुना नगर	2009-10	455.80
82.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुना नगर	2009-10	527.38
83.	डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, यमुना नगर	2009-10	277.28
84.	हिन्दू महिला महाविद्यालय, जगाधरी	2009-10	241.36
85.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, सढ़ौरा (वाई.एन.आर.)	2009-10	100.42
86.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
87.	बी.एल.जे. सूर्वाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2009-10	89.87
88.	आर.एल.एस. शिक्षा महाविद्यालय सिध्धारावली (गुडगांव)	2009-10	74.12
89.	डी.ए.वी. सेटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2009-10	160.40
90.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2009-10	112.21
91.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी (हिसार)	2008-09 2009-10	66.15 106.90
92.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2009-10	67.45
93.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुन्डरी (कैथल)	2009-10	102.80
94.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका (कैथल)	2008-09 2009-10	98.02 163.85
95.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2008-09 2009-10	86.65 164.28
96.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	85.75
97.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2007-08 2008-09 2009-10	88.93 100.55 224.04
98.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2008-09 2009-10	54.44 108.98
99.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10	67.35 77.67 156.34
100.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2007-08 2008-09 2009-10	34.41 41.45 60.13
101.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुन्डरी (कैथल)	2008-09 2009-10	89.80 154.41
102.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2007-08 2008-09 2009-10	25.06 31.85 51.18
103.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2009-10	51.10
104.	डा० गणेशदास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2009-10	49.01
105.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	28.45 38.32 39.60 67.61
106.	कन्या महाविद्यालय, स्वरसोदा, (सोनीपत)	2009-10	68.80
107.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	52.04
108.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2009-10	149.60
109.	के.वी.ए. डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2009-10	203.40
110.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2009-10	409.25
111.	गुरु नानक ख्वालसा महाविद्यालय, करनाल	2009-10	157.03
112.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10	236.47
113.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10	200.00
114.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2009-10	77.98
115.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10	255.30
116.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2009-10	245.57
117.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2009-10	77.01
118.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2009-10	209.55

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष, जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
119.	आई.पी.नेशनल महाविद्यालय, लाडवा	2009-10	236.98
120.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10	161.05
121.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10	186.65
122.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहवा	2009-10	200.88
123.	पी.के.एस. महाविद्यालय, कैथल	2009-10	418.57
124.	आई.जी.हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत कैथल	2009-10	81.56
125.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2009-10	124.61
126.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, डांड डडवाँ	2009-10	139.69
127.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2009-10	213.28
128.	सी.एम.के. नेशनल महिला महाविद्यालय, सिरसा	2009-10	162.13
129.	एम.पी. महिला महाविद्यालय, डबवाली	2009-10	105.83
130.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2009-10	493.01
131.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10	502.40
132.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2009-10	281.53
133.	सी.आर.ए. महिला महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10	227.94
134.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10	403.27
135.	हिन्दू महिला महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10	526.03
136.	हिन्दू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10	103.74
137.	टी.आर. महिला महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10	86.07
138.	गीता विद्या मंदिर के एम.वी. सोनीपत	2009-10	358.80
139.	वैश महाविद्यालय, भिवानी	2009-10	366.04
140.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2009-10	303.38
141.	जे.पी.एम.जी.आर. महाविद्यालय, चरखरी दादरी	2009-10	271.26
142.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखरी दादरी	2009-10	90.75
143.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखरी दादरी	2009-10	76.08
144.	वाई.एम.डिग्री, नुह (मेवात)	2009-10	105.33
145.	एन.एच.जी.एस. भेमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2009-10	129.65
146.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009-10	78.83
147.	के.ए.ल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2009-10	232.16
148.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2009-10	271.14
149.	जी.जी.डी. एस. डी महाविद्यालय, पलवल	2009-10	28.20
150.	के.ए.ल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	425.93
151.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्लज भारती महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	131.90
152.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	204.77
153.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	47.97
154.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	26.99
155.	ऑल इंडिया जाट हीरोज भेमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	581.55
156.	जी. बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	83.09
157.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	216.74
158.	वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	285.71
159.	वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	209.00
160.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर (रोहतक)	2009-10	155.89

परिशिष्ट

3.3

सी.ए.जी. को लेखे प्रस्तुत करने के और स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 61)

क्र.सं	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा सौपने की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे प्रस्तुत किए थे	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई	वर्ष, जब तक राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लेखे देय हैं	लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी की अवधि
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनोमाजरा, चण्डीगढ़	2007-08 से 2011-12	2004-05	2004-05	2004-05	2005-06 से 2009-10	चार वर्ष
2.	हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2008-09 ¹⁰	2006-07	2006-07	2009-10	-
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2008-09 ¹¹	2007-08	2006-07	2009-10	-
4.	हरियाणा आवास बोर्ड, पंचकुला	2004-05 से 2008-09	2008-09	2007-08	2006-07	2008-09	आगे सुपुर्दीगी प्राप्त नहीं हुई
5.	हरियाणा राज्य कृषि विषयन बोर्ड, पंचकुला	2005-06 से 2009-10	2008-09	2007-08	2004-05	2009-10	
6.	हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकुला	1996-97 से 2005-06	1996-97 से 2005-06	लेखों की संशोधन के बाद एस.ए.आर. प्रक्रियाधीन थे।	प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं थे		अब 2006-07 से धारा 14(1) के अधीन लेखापरीक्षा की जा रही है।
7.	हरियाणा चक्र बोर्ड, अम्बाला कैंट	2008-09 से 2012-13	2008-09	2006-07	प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं थे	2009-10	-
8.	हरियाणा राज्य कानून सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़	आगे कोई सुपुर्दीगी अपेक्षित नहीं है क्योंकि सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा ले ली गई है।	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09	तीन वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, भिवानी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
11.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुडगांव	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष

¹⁰

2007-08 एवं 2008-09 के लिए एस.ए.आर. प्रक्रियाधीन है।

¹¹

2008-09 के लिए एस.ए.आर. प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 3.3

क्र.सं	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेरवाओं की लेरवापरीक्षा सौंपने की अवधि	वर्ष, जब तक लेरवे प्रस्तुत किए थे	वर्ष, जब तक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई	वर्ष, जब तक राज्य विधायिका को लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लेरवे देय हैं	लेरवाओं को प्रस्तुत करने में देरी की अवधि
13.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, झज्जर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कैथल	- सम -	2006-07	2006-07	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पानीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रेवड़ी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतक	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोनीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2009-10	13 वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, हिसार	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 2009-10	दो वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, नारनील	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 2009-10	दो वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सिरसा	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 2009-10	दो वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अंबला	- सम -	2007-08		-	2008-09 2009-10	एक वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जीन्द	- सम -	2007-08		-	2008-09 2009-10	एक वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, करनाल	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 2009-10	एक वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 2009-10	एक वर्ष
28.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़।	- सम -	-	-	-	2009-10	-
29.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी - सह सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मेवात	- सम -	-	-	-	2009-10	-

परिशिष्ट

3.4

लेरवाओं के अन्तिमकरण और विभागीय नियंत्रित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 62)

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अन्तर्गत उपक्रम/स्कीमों का नाम	तक लेरवे पूर्ण किये गये	अन्तिम पूर्ण किए लेरवाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेरवों को देरी से तैयार करने हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपों स्कीम ¹²	1987-88	-	देरी हेतु कारण सूचित नहीं किये गए हैं
2.	कृषि	जीवनाशकों का क्रय एवं वितरण	1985-86	2.53	देरी हेतु कारण सूचित नहीं किये गए हैं
3.	मुद्रण एवं लेरवन सामग्री	पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	देरी हेतु कारण सूचित नहीं किये गए हैं
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2008-09	1,822.83	देरी हेतु कारण सूचित नहीं किये गए हैं
5.	परिवहन	हरियाणा सड़क परिवहन	2004-05	366.23	देरी हेतु कारण सूचित नहीं किये गए हैं
योग				2,216.79	

¹² ये स्कीमें 1986 - 87 (जीवनाशकों का क्रय एवं संवितरण) और 1984 - 85 (बीज डिपो स्कीम) से बन्द हैं।

परिशिष्ट

3.5

दुर्विनियोजन, गबन आदि के प्रकरण, जिनमें जून 2010 की समाप्ति तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी,
का विभागवार / अवधिवार विघटन
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5 ; पृष्ठ 62)

(कोष्ठक में आंकड़े ₹ लाख में सूचित करते हैं)

क्र. सं.	विभाग	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष	कुल
1	पशुपालन	1 (6.50)	2 (0.54)	-	3 (3.22)	-	-	6 (10.26)
2	शिक्षा	2 (0.92)	9 (5.62)	8 (7.54)	3 (1.65)	1 (0.40)	5 (2.13)	28 (18.26)
3	मत्स्य पालन	-	1 (8.06)	-	-	-	-	1 (8.06)
4	लोक सम्पर्क	3 (4.32)	1 (0.08)	-	-	-	-	4 (4.40)
5	वन	5 (0.15)	1 (0.92)	7 (10.63)	2 (0.71)	5 (0.96)	1 (0.15)	17 (13.52)
6	श्रम एवं रोज़गार	-	-	-	-	-	-	-
7	चिकित्सा	2 (0.00)	2 (2.04)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	-	7 (15.46)
8	तकनीकी शिक्षा	3 (4.36)	11 (31.61)	2 (1.12)	-	-	1 (0.03)	17 (37.12)
9	राजस्व	-	2 (10.52)	-	-	-	-	2 (10.52)
10	पुलिस	1 (3.79)	-	-	-	-	-	1 (3.79)
11	समाज कल्याण	-	-	-	1 (0.00)	-	-	1 (0.00)
12	स्वेल्कूट एवं युवा कल्याण	1 (0.00)	1 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
13	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
14	परिवहन	2 (0.41)	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	-	4 (4.17)
15	सिंचाई	13 (7.00)	14 (12.69)	15 (2.92)	21 (4.87)	21 (5.91)	16 (3.11)	100 (36.50)
16	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	1 (0.00)	1 (0.71)	-	-	-	-	2 (0.71)
17	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	11 (20.52)	-	1 (0.00)	1 (0.00)	1 (0.25)	1 (0.72)	15 (21.54)
योग		41 (48.01)	45 (73.67)	35 (26.88)	34 (22.48)	29 (8.12)	24 (6.14)	208 (185.30)

अर्थात् ₹ 1.85 करोड़

परिशिष्ट

3.6

चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामान की हानि के कारण सरकार को हानि से सम्बन्धित प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		दुर्विनियोजन/सरकारी सामान की हानि		कुल	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पशुपालन	4	9.95	2	0.31	6	10.26
शिक्षा	20	14.24	8	4.02	28	18.26
मत्स्य पालन	-	-	1	8.06	1	8.06
लोक सम्पर्क	3	4.32	1	0.08	4	4.40
वन विभाग	3	4.70	14	8.82	17	13.52
श्रम एवं रोजगार	-	-	-	-	-	-
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी विभाग	15	25.49	2	11.63	17	37.12
राजस्व	-	-	2	10.52	2	10.52
परिवहन	1	0.36	3	3.81	4	4.17
खेलकूद एवं युवा कल्याण	2	0.87	-	-	2	0.87
पुलिस	-	-	1	3.79	1	3.79
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	-	-	1	0.12
समाज कल्याण	-	-	1	-	1	-
सिंचाई	65	15.97	35	20.53	100	36.50
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	2	0.71	-	-	2	0.71
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	10	9.75	5	11.79	15	21.54
योग	128	86.49	80	98.81	208	185.30

अर्थात् ₹ 1.85 करोड़

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
1.	ए. एण्ड ई.	लेखा एवं हकदारी
2.	ए.ई.	कुल व्यय
3.	ए.आई.ए.	अखिल भारतीय औसत
4.	ए.पी.	अनुमोदित योजना
5.	बी.ई.	बजट अनुमान
6.	सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
7.	सी.ई.	पूंजीगत व्यय
8.	सी.ओ.	पूंजीगत परिव्यय
9.	डी.सी.आर.एफ.	त्रट्टण समेकन एवं राहत सुविधा
10.	डी.ई.	विकास व्यय
11.	डी.ई.एस.ए.	निदेशक आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण
12.	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
13.	डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीश विकास अभिकरण
14.	ई.एस.	आर्थिक सेवाएं
15.	एफ.सी.पी.	वित्तीय शोधन पथ
16.	एफ.डी.	वित्त विभाग
17.	एफ.आर.बी.एम.	राजकोष दायितव एवं बजट प्रबन्धन एक्ट 2005
18.	जी.आई.ए.	सहायता अनुदान
19.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
20.	जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
21.	एच.एफ.आर.बी.एम.	हरियाणा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
22.	एच.पी.जी.सी.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड
23.	एच.वी.पी.एन.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम
24.	आई.पी.	ब्याज भुगतान
25.	के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष

क्र.सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण रूप
26.	एम.आई.एस.	लघु सिंचाई स्कीम
27.	एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यम अवधि वित्तीय पोलिसी विवरण
28.	एन.ए.बी.ए.आर.डी.	कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक
29.	एन.जी.ओज	गैर सरकारी - संस्थाएं
30.	एन.पी.आर.ई.	योजनेतर राजस्व व्यय
31.	एन.पी.आर.आर.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
32.	ओ. एण्ड एम.	परिचालन एवं अनुरक्षण
33.	पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
34.	पी.आर.ई.	योजना राजस्व व्यय
35.	आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
36.	आर.ई.	राजस्व व्यय
37.	आर.ई.	संशोधित अनुमान
38.	आर.आर.	राजस्व प्राप्तियां
39.	आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
40.	एस. एण्ड डब्ल्यू.	वेतन एवं मजदूरी
41.	एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
42.	एस.ओ.एफ.	राज्य की स्वनिधि
43.	एस.एस.	सामाजिक सेवाएं
44.	एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
45.	टी.ई.	कुल व्यय
46.	टी.एफ.सी.	बारहवां वित्त आयोग
47.	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
48.	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
49.	वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर